AALA HAZRAT SE SUWAL JAWAB (HINDI)

(आ'ला ह़ज़रत رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ से किये गए सुवालात के मुख़्तसर मगर जामेअ़ जवाबात)



اِظْهَارُ الْحَقِّ الْجَلِی

ब नाम

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه

आ'ला ह़ज़रत से सुवाल जवाब

المدينة العلمية
(دعوتِ اسلامی)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी रज़वी** دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ़ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ़ येह है :

اَللّٰھُمَّ افْتَحْ عَلَیْنَا حِکْمَتَكَ وَانْشُرْ عَلَیْنَا رَحْمَتَكَ یَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِکْرَام

तर्जमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़ज़मत और बुज़ुर्गी वाले।

(اَلْمُسْتَطْرَف ج ۱ ص ۴۰ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

त़ालिबे ग़मे मदीना
बक़ीअ़
व मग़फ़िरत

13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

क़ियामत के रोज़ ह़सरत

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **:** सब से ज़ियादा ह़सरत क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इ़ल्म ह़ासिल करने का मौक़अ़ मिला मगर उस ने ह़ासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने इ़ल्म ह़ासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़्अ़ उठाया लेकिन उस ने न उठाया (या'नी उस इ़ल्म पर अ़मल न किया)

(تاریخِ دمشق لابن عساکر، ج ۵۱ ص ۱۳۸ دار الفکر بیروت)

किताब के ख़रीदार मुतवज्जेह हों

किताब की त़बाअ़त में नुमायां **ख़राबी** हो या **सफ़ह़ात कम हों** या **बाइन्डिंग** में आगे पीछे हो गए हों तो **मक्तबतुल मदीना** से रुजूअ़ फ़रमाइये।

आ'ला ह़ज़रत से सुवाल जवाब

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ **दा'वते इस्लामी** की मजलिस "**अल मदीनतुल इल्मिय्या**" ने येह किताब "उर्दू" ज़बान में पेश की है और **मजलिसे तराजिम** ने इस किताब का "**हिन्दी**" रस्मुल ख़त़ (लीपियांतर) करने की सआ़दत ह़ासिल की है [**भाषांतर** (TRANSLATION) नहीं बल्कि सिर्फ़ **लीपियांतर** (TRANSLITERATION) या'नी ज़बान तो **उर्दू** ही है जब कि लीपि **हिन्दी** रखी है] और **मक्तबतुल मदीना** से **शाएअ़** करवाया है।

इस किताब में अगर किसी जगह **कमी-बेशी** या **ग़लत़ी** पाएं तो **मजलिसे तराजिम** को (ब ज़रीअ़ए Sms, Whats App या E-mail) **मुत्तलअ़** फ़रमा कर सवाब कमाइये।

उर्दू से हिन्दी रस्मुल ख़त़ का लीपियांतर चार्ट

त = ت	फ = پھ	प = پ	भ = بھ	ब = ب	अ = ا
झ = جھ	ज = ج	स = ث	ठ = ٹھ	ट = ٹ	थ = تھ
ढ = ڈھ	ध = دھ	ड = ڈ	द = د	ख़ = خ	ह़ = ح
ज़ = ژ	ज़ = ز	ढ़ = ڑھ	ड़ = ڑ	र = ر	ज़ = ذ

अ़ = ع	ज़ = ظ	त़ = ط	ज़ = ض	स = ص	श = ش	स = س
ग = گ	ख = کھ	क = ک	क़ = ق	फ़ = ف	ग़ = غ	' = ءُ
य = ی	ह = ہ	व = و	न = ن	म = م	ल = ل	घ = گھ
ू = ٗ	ु = ُ	ि = ِ	– = َ	ी = ئ	ृ = وٗ	ा = آ

-: राबित़ा :-

मजलिसे तराजिम, मक्तबतुल मदीना (दा'वते इस्लामी)

मदनी मर्कज़, क़ासिम हाला मस्जिद, सेकन्ड फ़्लोर,

नागर वाड़ा मेन रोड, बरोडा, गुजरात, अल हिन्द

Mo. + 91 9327776311

E-mail : translation.baroda@dawateislami.net

येह किताब सिर्फ़ इमामे अहले सुन्नत رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ
के मुबारक मल्फ़ूज़ात का मजमूआ ही नहीं बल्कि
बेशबहा मा'लूमात का ख़ज़ाना भी है

आ'ला हज़रत رضی اللہ عنہ से सुवाल जवाब

(إظهار الحق الجلي)

अज़ : आ'ला हज़रत इमामे अहले सुन्नत अश्शाह इमाम
अहमद रज़ा ख़ान رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ

-: पेशकश :-

अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

-: नाशिर :-
मक्तबतुल मदीना
421, उर्दू मार्केट, मटया महल, जामेअ़ मस्जिद,
देहली-110006 फ़ोन : 011-23284560

नाम किताब	: आ'ला हज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان से सुवाल जवाब
मुसन्निफ़	: इमामे अहले सुन्नत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان
पेशकश	: मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या
सिने तबाअ़त	: सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, सि. 1436 हि.
नाशिर	: मक्तबतुल मदीना, देहली – 6

–: मक्तबतुल मदीना की मुख़्तलिफ़ शाख़ें :–

- ... **अह़मदाबाद** : फ़ैज़ाने मदीना, तीकोनी बाग़ीचे के सामने, मिरज़ापूर, अह़मदाबाद, गुजरात –1, फ़ोन : 9327168200
- ... **मुम्बई** : 19-20, मुह़म्मद अ़ली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफ़िस के सामने, मुम्बई, महाराष्ट्र, फ़ोन : 022-23454429
- ... **नागपूर** : सैफ़ी नगर रोड़, ग़रीब नवाज़ मस्जिद के सामने, मोमिन पूरा, नागपूर, महाराष्ट्र, फ़ोन : 09373110621
- .... **अजमेर** : 19 / 216 फ़लाहे दारैन मस्जिद के क़रीब, नल्ला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, फ़ोन : (0145) 2629385
- .... **हुबली** : A.J मुधल कोम्पलेक्स, A.J मुधल रोड, ओल्ड हुबली, कर्नाटक, फ़ोन : 08363244860
- ... **हैदराबाद** : मुग़ल पूरा, पानी की टंकी, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश, फ़ोन : (040) 2 45 72 786
- ... **कानपूर** : मस्जिद मख़्दूमे सिमनानी, डिपटी का पडाव, गुर्बत पार्क, कानपूर, यू.पी. फ़ोन : 09335272252
- ... **बनारस** : मक्तबतुल मदीना, अल्लू की मस्जिद, अम्बा शाह की तकया, मदन पूरा, बनारस, यू.पी. फ़ोन : 09369023101

E.mail : ilmiapak@dawateislami.net

www.dawateislami.net

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

कुतुबे आ'ला ह़ज़्रत عَلَيۡهِ الرَّحۡمَة और अल मदीनतुल इल्मिय्या

अज़ : शैखे़ त़रीक़त अमीरे अहले सुन्नत ह़ज़्रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी रज़वी ज़ियाई دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه

الحمد لله على اِحۡسَانِهٖ وَ بِفَضۡلِ رَسُوۡلِهٖ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم मेरे वलिय्ये ने'मत, मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़्रत, इमामे अहले सुन्नत, अ़ज़ीमुल बरकत, अ़ज़ीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए़ रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, ह़ामिये सुन्नत, माह़िये बिदअ़त, आ़लिमे शरीअ़त, पीरे त़रीक़त, बाइ़से खै़रो बरकत, ह़ज़्रते अ़ल्लामा मौलाना अलह़ाज अल ह़ाफ़िज़ अल क़ारी अश्शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيۡهِ رَحۡمَةُ الۡحَنَّان बे मिसाल ज़हानत व फ़त़ानत, कमाल दरजा फ़क़ाहत और क़दीम व जदीद उ़लूम में कामिल दस्तरस व महारात रखते थे। आप رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡه की तक़रीबन एक हज़ार कुतुब आप رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡه के पचपन से ज़ाइद उ़लूम व फ़ुनून में तबह़्हु़रे इ़ल्मी पर दाल्ल हैं। आप رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡه की जिन क़लमी काविशों को बैनल अक़्वामी शोहत ह़ासिल हुई उन में कन्ज़ुल ईमान, ह़दाइक़े बख़्शिश और फ़तावा रज़विय्या (तख़रीज शुदा तादमे तह़रीर **30** जिल्दें) भी शामिल हैं, आख़िरुज़्ज़िक्र तो उ़लूमो फ़ुनून का ऐसा बह़रे बेकरां है जो बे शुमार व मुस्तनद मसाइल और तह़क़ीक़ाते नादिरा को अपने अन्दर समोए हुवे है, जिसे पढ़ कर क़द्रदान इन्सान बे साख़्ता पुकार उठता है कि इमामे अहले सुन्नत رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡه, सय्यिदुना इमामे आ'ज़म अबू ह़नीफ़ा رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡه की मुज्तहिदाना बसीरत का परतव हैं। आप رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡه की कुतुब रहती दुन्या तक मुसलमानों के लिये मश्अ़ले राह हैं। हर इस्लामी भाई और इस्लामी बहन को चाहिये कि सरकारे आ'ला ह़ज़्रत رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡه की जुम्ला तसानीफ़ का ह़स्बे इस्तित़ाअ़त ज़रूर मुत़ालआ़ करे।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ तब्लीगे़ कुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर गै़र सियासी तह़रीक "दा'वते इस्लामी" नेकी की दा'वत, इह़याए सुन्नत, और इशाअ़ते इल्मे शरीअ़त को दुन्या भर में आ़म करने का अ़ज़्मे मुसम्मम रखती है, इन तमाम उमूर को ब हुस्ने ख़ूबी सर अन्जाम देने के लिये मुतअ़द्दिद मजालिस का क़ियाम अ़मल में लाया गया है जिन में से एक मजलिस "**अल मदीनतुल इल्मिय्या**" भी है जो **दा'वते इस्लामी** के उ़लमा व मुफ़्तियाने किराम کَثَّرَھُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی पर मुश्तमिल है, जिस ने ख़ालिस इल्मी, तह़क़ीक़ी और इशाअ़ती काम का बीड़ा उठाया है । इस के मुन्दरिजए ज़ैल छे शो'बे हैं :

(1) शो'बए कुतुबे आ'ला ह़ज़रत رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ (2) शो'बए दर्सी कुतुब
(3) शो'बए इस्लाह़ी कुतुब (4) शो'बए तराजिमे कुतुब
(5) शो'बए तफ़्तीशे कुतुब (6) शो'बए तख़रीजे कुतुब

अल मदीनतुल इल्मिय्या की अव्वलीन तरजीह़ सरकारे आ'ला ह़ज़रत رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ की गिरां माया तसानीफ़ को अ़स्रे ह़ाज़िर के तक़ाज़ों के मुत़ाबिक़ ह़त्तल वस्अ़ सह्ल उसलूब में पेश करना है । तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इल्मी, तह़क़ीक़ी और इशाअ़ती मदनी काम में हर मुमकिन तआ़वुन फ़रमाएं और मजलिस की त़रफ़ से शाएअ़ होने वाली कुतुब का ख़ुद भी मुत़ालआ़ फ़रमाएं और दूसरों को भी इस की तरग़ीब दिलाएं ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ "**दा'वते इस्लामी**" की तमाम मजालिस ब शुमूल "**अल मदीनतुल इल्मिय्या**" को दिन ग्यारहवीं और रात बारहवीं तरक़्क़ी अ़त़ा फ़रमाए और हमारे हर अ़मले ख़ैर को ज़ेवरे इख़्लास से आरास्ता फ़रमा कर दोनों जहां की भलाई का सबब बनाए । हमें ज़ेरे गुम्बदे ख़ज़रा शहादत, जन्नतुल बक़ीअ़ में मदफ़न और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाए ।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

फ़ेहरिस्त

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

पेशे लफ़्ज़

आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, अ़ज़ीमुल बरकत, परवानए शम्ए़ रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, अश्शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िले बरेलवी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ एक ऐसी शख़्सिय्यत हैं जो किसी तआ़रुफ़ की मोह़ताज नहीं, एक ऐसी जलीलुल क़द्र हस्ती कि जिन के फ़हम व फ़िरासत व इ़ल्मी जलालत को अपने तो अपने, ग़ैरों ने भी तस्लीम किया।

ऐसी यगानए रोज़गार हस्ती कि जिसे तक़रीबन पचपन 55 से ज़ाइद उ़लूम पर मुकम्मल दस्तरस ह़ासिल थी, किसी भी शो'बहाए ज़िन्दगी ख़्वाह तह़रीरी हो या तक़रीरी, इ़ल्मी हो या अदबी आ'ला ह़ज़रत رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ की शख़्सिय्यत न सिर्फ़ येह कि दुन्याए सुन्निय्यत के लिये मश्अ़ले राह है बल्कि ग़ैरों और बद मज़्हबों के लिये हिदायत के एक रोशन मनारे कि ह़ैसिय्यत रखती है। आ'ला ह़ज़रत तक़रीबन एक हज़ार से ज़ाइद कुतुब के मुसन्निफ़ भी हैं, इन के अफ़्कार व ख़यालात ने जब कभी अल्फ़ाज़ का जामा पहना तो इन के क़लमे नूरे फ़ज़ा ने इ़ल्मो अदब की रविश पर ऐसे ख़ुश्नुमा रंग गुलबोटे खिला दिये हैं कि जिन की महक से कुल आ़लम ता अबद मुअ़त्त़र रहेगा।

जब येह नूर बरसाता क़लम शाइ़री की राह पर गामज़न होता है तो "**ह़दाइक़े बख़्शिश**" के नाम से एक ऐसा दीवान तरतीब पाता है जिस का हर हर शे'र अपने अन्दर इ़श्क़े रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का गन्जीना लिये हुवे है।

जब इसी क़लमे नूर से इफ़्ता नवेसी का काम होता है तो **"फ़तावा रज़्विय्या"** के नाम से बारह (तख़रीज शुदा 30) जिल्दों में गोया मसाइले दीनिया का एक अ़ज़ीम समन्दर गोया कूज़े में बन्द होता महसूस होता है।

और जब येही क़लमे पुरनूर **तर्जमए कुरआन** का अ़ज़्म बांधता है तो गोया कौसरो तस्नीम में धुला हुवा एक ऐसा शाहकार तर्जमा **"कन्ज़ुल ईमान"** के नाम से तराजुमे कुरआन के उफ़ुक़ पर उभरता है जो न सिर्फ़ ह़क़ीक़ी मा'ना में ईमान का कन्ज़ (ख़ज़ाना) है बल्कि मक़ामे उलूहिय्यत व रिसालत का बेहतरीन मुह़ाफ़िज़ भी है।

और जब येही किलके रज़ा ख़न्जरे ख़ूंख़्वार, बर्क़ बार बन कर गुस्ताख़ान व शातिमाने रसूलुल्लाह के तअ़क़्कुब में चलता है तो दुश्मनों के सीनों में गहरा ग़ार डाल कर छोड़ता है।

ज़ेरे नज़र रिसाला "إظهار الحق الجلي" (आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن से सुवाल जवाब) दर ह़क़ीक़त ग़ैर मुक़ल्लिदीन के रद्द से मुतअ़ल्लिक़ है, पूरी उम्मते मुस्लिमा का इस बात पर **"इजमाअ़"** है कि तक़्लीद ज़रूरिय्याते दीन में से है, और हर आ़म मुसलमान का मुक़ल्लिद होना निहायत ज़रूरी बल्कि वाजिब है, और तमाम मुसलमान कमो बेश एक हज़ार साल से भी ज़ाइद अ़र्से से तक़्लीद के क़ाइल चले आ रहे हैं, आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن के ज़माने में एक ऐसे फ़ितने ने सर उठाना शुरूअ़ किया जो ख़ुद को **"अहले ह़दीस"** कहते थे, इस फ़िर्क़े ने तक़्लीद का इन्कार किया और अ़वाम में इस बात का प्रचार किया कि **"कुरआन व ह़दीस समझने और इस पर अ़मल करने के लिये किसी**

इमाम या मुज्तहिद की तक़्लीद ज़रूरी नहीं, क्यूंकि अल्लाह तआ़ला ने हर इन्सान को अ़क़्ल से नवाज़ा है और वोह अपनी फ़हम व फ़िरासत और अ़क़्ल की बुन्याद पर कुरआनो ह़दीस को समझने और इस से मसाइल इस्तिम्बात़ करने की सलाहिय्यत रखता है", नतीजतन हर शख़्स दीनी अह़काम को अपनी अ़क़्ल के ताबेअ़ करने लगा, जिस से उम्मत में इन्तिशार पैदा हुवा और तफ़रिक़ा बाज़ी की हवा चल निकली, इस सिलसिले में मर्कज़ी किरदार **मौलवी इस्माईल देहलवी** ने अदा किया, जिस ने अपनी रुस्वाए ज़माना किताब "**तक़्वियतुल ईमान**" में तर्के तक़्लीद की तरग़ीब दी। क़ौलन और फ़े'लन अ़वाम को येह बावर करवाने की कोशिश की, कि कुरआनो ह़दीस समझने के लिये कोई ख़ास इल्म दरकार नहीं। आ'ला ह़ज़रत رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने बर वक़्त इस फ़ित्ने की सरकोबी फ़रमाई और अपनी तह़रीर के ज़रीए़ मुसलमानों को इस फ़िर्क़ए बात़िला से ख़बरदार किया।

आप رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने रद्दे ग़ैर मुक़ल्लिदीन पर कई रसाइल तसानीफ़ फ़रमाए। जो सब के सब उस मौजें मारते हुवे समन्दर की त़रह़ हैं जो अपनी ज़द में आने वाली हर चीज़ को तहस नहस कर के रख देता है। इस रज़वी ख़न्ज़रे ख़ूंख़्वार के आगे जब ग़ैर मुक़ल्लिदीन को अपनी मौत यक़ीनी नज़र आने लगी तो उन्हों ने आ'ला ह़ज़रत رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ी कोर्ट में मुक़द्दमा कर दिया, जब इस केस के सिलसिले में मज़ीद पेश रफ़्त हुई तो मेजिस्ट्रेट की जानिब से आ'ला ह़ज़रत رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ को कोर्ट में ह़ाज़िर होने के लिये कहा गया। चूंकि इमामे अहले सुन्नत, आ'ला ह़ज़रत رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ अंग्रेज़ी गवर्नमेन्ट की कोर्टस में ह़ाज़िर

होना, ख़िलाफ़े शरअ़ समझते थे, इस लिये आप वहां न गए, इस पर मेजिस्ट्रेट की नुमाइन्दा टीम आप की बारगाह में ह़ाज़िर हुई, ग़ैर मुक़ल्लिदीन और दीगर उ़नवानात से मुतअ़ल्लिक़ चन्द सुवालात किये। आप رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ ने ख़ुश उसलूबी से अपने मौक़िफ़ का इज़्हार किया और निहायत मुख़्तसर मगर जामेअ़ अन्दाज़ में मुदल्लल व मुस्कित जवाबात इरशाद फ़रमाए।

सुवालो जवाब के इस सिलसिले में आ'ला ह़ज़रत رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ ने अपने लिये लफ़्ज़ "**मुज़्हिर**" इस्ति'माल फ़रमाया है। येह रिसाला सिर्फ़ इमामे अहले सुन्नत رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ के मुबारक मल्फ़ूज़ात का मजमूआ़ ही नहीं बल्कि बेश बहा मा'लूमात का ख़ज़ाना भी है। नीज़ दौराने मुत़ालआ़ आप पर येह इन्किशाफ़ात ह़ैरानगी का बाइ़स होंगे कि ग़ैर मुक़ल्लिदीन ने किस त़रह़ अपनी ख़्वाहिशात के मुत़ाबिक़ निहायत अहम कुतुब में क़त़अ़ व बुरीद से काम लिया है।

الحمدللّٰہ علٰی احسانہٖ आ़लमे इस्लाम में मजलिस "**अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या**" ही को येह सआ़दत नसीब हुई कि उस ने इस रिसाले पर निहायत अ़र्क़ रैज़ी और बारीक बीनी से तख़्रीज व ह़वाशी का काम पायए तक्मील तक पहुंचाया, जिस से इस की इफ़ादिय्यत व अहम्मिय्यत में चार चांद लग गए हैं, अ़वामुन्नास के लिये येह रिसाला बिल उ़मूम और अहले इ़ल्म ह़ज़रात के लिये बिल ख़ुसूस अहम्मिय्यत का ह़ामिल है। आप के ज़ौक़े मुत़ालआ़ के मे'यार का ख़याल करते हुवे दौराने कम्पोज़िंग कोमाज़, कोलोन, सेमी कोलोन और ब्रेकट वग़ैरा भी लगाए गए हैं, नीज़ प्रूफ़ रीडिंग का भी ख़ास ख़याल रखा गया है, क़ारिईन

की सहूलत के लिये कुरआनी आयात व अह़ादीस और अ़रबी इ़बारात का तर्जमा और मुश्किल अल्फ़ाज़ के मआ़नी व मुतअ़ल्लिक़ा उमूर को भी ह़वाशी में लिख दिया गया है ताकि मुकम्मल बात समझने में आसानी रहे। नीज़ इन इ़बारतों के साथ साथ तख़रीज का भी एहतिमाम किया गया है ताकि उ़लमाए किराम को अस्ल माख़ज़ से रुजूअ़ करने में अपना क़ीमती वक़्त सर्फ़ न करना पड़े। इस सिलसिले में ह़वाशी व तख़रीज की ख़िदमात मौलाना अ़ब्दुर्रशीद हुमायूं अल मदनी और मौलाना मुह़म्मद यूनुस अ़ली अ़त्तारिय्युल मदनी ने अन्जाम दी हैं, जब कि मौलाना अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ अल अ़त्तारिय्युल मदनी ने इस पर नज़रे सानी फ़रमाई है। इलावा अज़ीं येह रिसाला इस ह़वाले से भी इम्तियाज़ी ह़ैसिय्यत का ह़ामिल है कि अमीरे अहले सुन्नत, शैख़े त़रीक़त, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल, मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी, रज़वी, ज़ियाई دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने इमामे अहले सुन्नत رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से मह़ब्बत का इज़्हार करते हुवे बज़ाते ख़ुद इस का उर्दू नाम "आ'ला ह़ज़रत رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ से सुवाल जवाब" तजवीज़ फ़रमाया है, जो यक़ीनन इस्मे बा मुसम्मा है। याद रहे कि "**अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या**" का क़ियाम अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ही की इन्क़िलाबी सोच का नतीजा है। जो "**दा'वते इस्लामी**" की मर्कज़ी मजलिसे शूरा के ज़ेरे एहतिमाम कामयाबी से अपनी मन्ज़िल की जानिब गामज़न है। दुआ़ है कि **अल्लाह** तआ़ला इसे रोज़ अफ़ज़ूं तरक़्क़ी नसीब फ़रमाए।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

मजलिस : अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या (शो'बए कुतुबे आ'ला ह़ज़रत رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ)

بسم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الکریم

नक़्ल इज़्हार हु़ज़ूरे पुरनूर, मुर्शिदे बर ह़क़, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत सय्यिदुना आ'ला ह़ज़रत मौलाना शाह अ़ब्दुल मुस्त़फ़ा अह़मद रज़ा ख़ां साहि़ब क़िब्ला फ़ाज़िले बरेलवी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ गवाह जानिब मुद्दआ़ अ़लैहिम ब मुक़द्दमा नम्बर **28** सि. **1902** ई. ह़ाजी इलाही बख़्श वग़ैरा मुद्दइयान बनाम अबुल बरकात वग़ैरा मुद्दआ़ अ़लैहिम मोह़कमा साहि़ब जज बहादुर शहरआरा निस्बत मस्जिद डूमरादल, मुन्फ़सला **17** जून सि. **1903** ई. जो बज़रीआ़ बन्द कमीशन के हुवा ।

मुसम्मा बनाम तारीख़ी "إظهار الحق الجلي" सि. 1320 हि.

सुवालाते चीफ़ जानिबे मुद्दआ़ अ़लैहिम मअ़ जवाब

सुवाल नम्बर 1 : नाम, उ़म्र, सुकूनत, पेशा ?

जवाब : मुज़्हिर(1) का नाम मौलवी ह़ाजी अह़मद रज़ा ख़ां साहि़ब वल्द ह़ज़रते मौलाना मौलवी नक़ी अ़ली ख़ां साहि़ब, उ़म्र **48** साल, पेशा ज़मीनदारी ।

सुवाल नम्बर 2 : आप तमाम उ़लूमे दीनिय्यात से पूरी त़ौर पर वाक़िफ़िय्यत रखते हैं ?

जवाब : मैं आबाओ अजदाद से उ़लूमे दीन का ख़ादिम हूं । चोहत्तर (**74**) साल से मेरे यहां से फ़तवा जारी है । तमाम हिन्दुस्तान और कश्मीर और बर्मा से मसाइल के सुवालात आते हैं । अभी चीन से चौदह मस्अले दरयाफ़्त किये हैं, चुनान्चे, लिफ़ाफ़ए मुर्सला चीन दाखि़ल करता हूं ।

---

(1).....बयान करने वाला । यहां मुराद आ'ला ह़ज़रत عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن हैं ।

सुवाल नम्बर 3 : आप का मज़हब क्या है ?

जवाब : मुसलमान सुन्नी मुक़ल्लिद ।

सुवाल नम्बर 4 : हिन्दुस्तान के आ़म सुन्नी मुसलमानों का क्या मज़हब है ?

जवाब : येही मज़हब है जो मेरा मज़हब है ।

सुवाल नम्बर 5 : ग़ैर मुक़ल्लिद जो अपने आप को अहले ह़दीस कहते हैं हिन्दुस्तान में कब ज़ाहिर हुवे ?

जवाब : इन को पैदा हुवे अभी सो बरस नहीं गुज़रे, सि. 1233 हि. में देहली के एक शख़्स इस्माईल ने येह **नया मज़हब निकाला**(1) और हिन्दुस्तान को **दारुल ह़र्ब बता कर जिहाद**

---

(1).....सदरुश्शरीआ़ बदरुत्तरीक़ा मौलाना अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه इस नए मज़हब के मुतअ़ल्लिक़ इरशाद फ़रमाते हैं कि "येह एक नया फ़िर्क़ा है जो सि. 1209 हि. में पैदा हुवा इस का बानी मुह़म्मद बिन अ़ब्दुल वह्हाब नजदी था जिस ने तमाम अ़रब ख़ुसूसन ह़रमैन शरीफ़ैन में बहुत शदीद फ़ितने फैलाए, उ़लमा को क़त्ल किया, सह़ाबए किराम व आइम्मा, उ़लमा व शोहदा की क़ब्रें खोद डालीं, रौज़ए अन्वर का नाम مَعَاذَ الله सनमे अक्बर रखा था या'नी "**बडा बुत**" और त़रह़ त़रह़ के ज़ुल्म किये जैसा कि सह़ीह़ ह़दीस शरीफ़ में हुज़ूरे अक़्दस صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने ख़बर दी थी कि नज्द (मौजूदा नाम "रियाज़") से फ़ितने उठेंगे और शैत़ान का गुरौह निकलेगा, वोह गुरौह बारह सो बरस बा'द येह ज़ाहिर हुवा, अ़ल्लामा इब्ने आ़बिदीन शामी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने इसे ख़ारिजी बताया, इस अ़ब्दुल वह्हाब के बेटे ने एक किताब लिखी जिस का नाम **अत्तौह़ीद** रखा, इस का तर्जमा हिन्दुस्तान में इस्माईल देहलवी ने किया जिस का नाम "**तक़्वियतुल ईमान**" रखा और हिन्दुस्तान में इसी ने वहाबिय्यत फैलाई । इन वहाबिय्या का एक बहुत बड़ा अ़क़ीदा है कि जो इन के मज़हब पर न हो वोह काफ़िर, मुशरिक है येही वजह है कि बात बात पर मह़ज़ बिला वजह मुसलमान पर हुक्मे शिर्क व कुफ़्र लगाया करते और तमाम दुन्या को मुशरिक बताते हैं । (मुलख़्ख़स अज़ : बहारे शरीअ़त, जहेज़ एडीशन, हिस्सा अव्वल, स. 54-55 मत़बूआ़ मक्तबए रज़विय्या कराची)

का झन्डा क़ाइम किया।[1]

(1).....किसी भी दारुल इस्लाम के दारुल ह़र्ब होने के लिये येह ज़रूरी है कि वहां अह़कामे शिर्क ए'लानिय्या जारी हों और इस्लामी शआ़इर व अह़काम मुत़लक़न जारी न हों जब कि हिन्दुस्तान में ऐसा हरगिज़ नहीं बल्कि मुसलमानों को हर त़रह़ की आज़ादी ह़ासिल थी और है। लेकिन इस्माईल देहलवी ने हिन्दुस्तान को दारुल ह़र्ब क़रार दे कर जिहाद का ना'रा बुलन्द किया जब कि इस के पसे पर्दा मक़ासिद का ह़ुसूल "**सस्ती शोहरत और सूद का जाइज़**" होना था क्यूंकि शरीअ़ते मुत़ह्हरा के उसूल के मुत़ाबिक़ अगर कोई मुसलमान दारुल ह़र्ब में है तो उसे कुफ़्फ़ार से ज़ियादती बिला इवज़ ह़ासिल करना जाइज़ है, मुसलमान के लिये वोह हरगिज़ सूद में शुमार न होगा। आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ने इस्माईल देहलवी के रद्द में एक मुस्तक़िल रिसाला "إعلام الأعلام بأن هندوستان دار السلام" (या'नी बिला शकोशुबा हिन्दुस्तान दारुल इस्लाम है) तह़रीर फ़रमाया जो कि फ़तावा रज़विय्या (जदीद) की चौदहवीं जिल्द में मौजूद है। दारुल ह़र्ब में रहने वाले मुसलमानों को येह भी हुक्म है कि अगर इन को क़ुदरत व इस्तित़ाअ़त हो तो वोह हिजरत कर के दारुल इस्लाम जाएं ताकि इन को अह़कामे शरीअ़त पर अ़मल करने में आसानी हो। मज़्कूरा बाला रिसाले में आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ने इस्माईल देहलवी को मुख़ात़ब कर के इरशाद फ़रमाया है कि अगर हिन्दुस्तान दारुल ह़र्ब है तो यहां से हिजरत क्यूं नहीं कर जाते जब कि अंग्रेज़ गवर्मेन्ट की त़रफ़ से किसी क़िस्म की रोक टोक भी नहीं। हिन्दुस्तान के दारुल ह़र्ब न होने पर मज़ीद दलाइल देते हुवे "**फ़ुसूले इमादिय्या**" के ह़वाले से फ़रमाते हैं कि "दारुल इस्लाम में जब तक कुछ भी अह़कामे इस्लाम बाक़ी रहें वोह दारुल ह़र्ब न बनेगा अगर्चे वहां अहले इस्लाम का ग़लबा ख़त्म हो जाए" जब कि इस के बर अ़क्स साह़िबे दुर्रे मुख़्तार की "**अल मुन्तक़ा**" से लिखा "कि दारुल ह़र्ब में बा'ज़ इस्लामी अह़काम नाफ़िज़ हो जाएं तो वोह दारुल इस्लाम बन जाता है" मज़ीद बरआं येह कि किसी ऐसी जगह पर "जहां अह़कामे शिर्क व अह़कामे इस्लाम दोनों नाफ़िज़ हों (जैसा कि फ़िल वक़्त तक़रीबन पूरी दुन्या में ऐसा ही है) तो वोह दारुल ह़र्ब नहीं होगा" (मुलख़्ख़स अज़ "फ़तावा रज़विय्या" (जदीद), जि. 14, स. 105 ता 109 रज़ा फ़ाऊनडेशन लाहौर)

सुवाल नम्बर 6 : इस से पहले सुन्नियों में हिन्दुस्तान के तमाम मुसलमान किस मज़हब पर थे और सलातीन किस मज़हब पर थे ?

जवाब : तमाम मुसलमान रिआया व सलातीन सब मुक़ल्लिद, सुन्नी हनफ़ी थे । इसी लिये गवर्मेन्ट ने हनफ़ी मज़हब को इस मुल्क के सुन्नी मुसलमानों का मज़हब मान कर इसी मज़हब की किताबें "**हिदाया, क़ाज़ी ख़ां, आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार**" अंग्रेज़ी में तर्जमा कराईं और इन्हीं किताबों पर मुक़द्दमात फ़ैसल होते हैं । ग़ैर मुक़ल्लिद की कोई किताब न तर्जमा हुई और न इस पर फ़ैसला हुवा ।

सुवाल नम्बर 7 : सलतनत की हालते कुव्वत में येह फ़िर्क़ए ग़ैर मुक़ल्लिदीन पैदा हुवा या कब ? और निकल कर अपना नाम क्या रखा ?

जवाब : येह फ़िर्क़ा, ज़ो'फ़े सलतनत में पैदा हुवा । अपना नाम **मुवह्हिद** व **मुहम्मदी** व **आमिल बिल हदीस** रखा और अहले सुन्नत ने अरबो अजम में इन का नाम **वहाबी** और **ग़ैर मुक़ल्लिद**(1) और ला मज़हब रखा इन्हों ने अहले सुन्नत होने का दा'वा किया । मगर अरबो अजम के अहले सुन्नत ने इन को "**अहले बिदअत**" जाना ।

---

(1).....जो किसी के पैरूकार न हों । **मुक़ल्लिद** का मा'ना पट्टा डालने या इताअत करने के हैं । आइम्मए अरबआ या'नी इमामे आ'ज़म अबू हनीफ़ा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ इमाम शाफ़ेई رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ इमाम मालिक رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ और इमाम अहमद बिन हम्बल رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ की फ़िक़्ह पर अमल करने वालों को बित्तरतीब हनफ़ी, शाफ़ेई, मालिकी, हम्बली मुक़ल्लिद कहते हैं । इजमाए उम्मत की रू से जो शख़्स इन चारों आइम्मा में से किसी एक का भी मुक़ल्लिद नहीं वोह गुमराह व बद दीन है । तफ़्सील के लिये मुलाहज़ा फ़रमाइये आ'ला हज़रत رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ की तहरीर "**अल फ़ज़्लुल मौहिबी**" अल मा'रूफ़ रद्दे ग़ैर मुक़ल्लिदीन ।

सुवाल नम्बर 8 : इस फ़िर्क़े के ज़ाहिर होने पर हिन्दुस्तान के उ़लमाए अहले सुन्नत ने इस की तरदीद की या नहीं और उ़लमाए ह़रमैन शरीफ़ैन से फ़तावा इस मज़्हब के बुत़लान पर आए या नहीं ?

जवाब : हां ।

सुवाल नम्बर 9 : इस फ़िर्क़ए जदीदा का फ़ितना, हिन्दुस्तान में दफ़्अ़तन (एकदम) फैला या आहिस्ता आहिस्ता और हर जगह और हर मक़ाम में इस की कसरत हुई या क्या ?

जवाब : इस का फ़ितना ब तदरीज फैला। बहुत जगह अभी तक इन का नामो निशान नहीं और बा'ज़ जगह चन्द साल से गिनती के लोग इस मज़्हब के हुवे हैं।

सुवाल नम्बर 10 : ग़ैर मुक़ल्लिदीन, अहले सुन्नत में दाख़िल हैं या **मुबतदेअ़**[1] हैं और मुबतदेअ़ हैं तो किस दलील से ?

जवाब : ग़ैर मुक़ल्लिदीन मुबतदेअ़, गुमराह हैं। उ़लमाए अ़रबो अ़जम का इस पर इत्तिफ़ाक़ है। देखो अ़रब शरीफ़ का फ़तवा, "**फ़तावल ह़रमैन**"[2] जिस पर उ़लमाए मक्का व मदीना की

---

(1)......दीन में नई बात निकालने वाला, बिदअ़त करने वाला (2)......आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने "**अकाबिरीने देवबन्द**" रशीद अह़मद गंगोही, क़ासिम नानोतवी, ख़लील अह़मद अम्बेठवी और अशरफ़ अ़ली थानवी अलैहिम माअ़लैहिम को इन की कुफ़्रिय्या इ़बारात पर मुत्त़लअ़ फ़रमाया और इन से तौबा नामा शाएअ़ करने का मुत़ालबा फ़रमाया लेकिन इन्हों ने तौबा करने के बजाए ह़स्बे साबिक़ इन कुफ़्रिय्या इ़बारात पर मुश्तमिल कुतुब की इशाअ़त का सिलसिला जारी रखा, आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने हर इ़ल्मी मैदान में इन कुफ़्रिय्या इ़बारात को चेलेन्ज किया और मुक़ाबले की दा'वत दी लेकिन "**अकाबिरीने देवबन्द**" की त़रफ़ से किसी क़िस्म की पेश रफ़्त न हुई। जिन किताबों में येह कुफ़्रिय्या इ़बारात शाएअ़ हुई उन के नाम येह हैं (i) तह़ज़ीरुन्नास (ii) बराहीने क़ात़िआ़, (iii) ह़िफ़्ज़ुल ईमान। येह कुतुब आज भी इसी त़रह़ इन कुफ़्रिय्या इ़बारात के साथ =

मोहरें हैं और किताब "**फ़तहुल मुबीन**" और "**जामेउश्शवाहिद**" जिन पर अ़रब व हिन्द के बहुत से उ़लमा की मोहरें हैं और "**त़ह़त़ावी ह़ाशिया दुर्रे मुख़्तार**"[(1)] में इन के बिदअ़ती होने की तसरीह़ है।

सुवाल नम्बर 11 : फ़िर्क़ए ग़ैर मुक़ल्लिदीन क्यूं कर **मज़ाहिबे अरबआ़**[(2)] अहले सुन्नत व जमाअ़त से ख़ारिज हैं जो बिदअ़ती और नारी हुवे बल्कि वोह तो बिला तअ़य्युन चारों इमामों की तक़्लीद करते हैं ?

जवाब : येह ग़ैर मुक़ल्लिदीन का धोका है इन के यहां तक़्लीद शिर्क है। इन के पेश्वा **इस्माईल देहलवी** और **सिद्दीक़ ह़सन ख़ान भोपाली** इसे लिख गए हैं, चारों इमामों को ह़दीस का मुख़ालिफ़ बताते हैं। इन्हीं की किताब "**ज़फ़रुल मुबीन**" इसी बयान में है, येह कोई मस्अला किसी इमाम की तक़्लीद से नहीं मानते, इत्तिफ़ाक़िय्या कोई मुवाफ़क़त हो जाए तो दूसरी बात है इसे इत्तिबाअ़ नहीं कहेंगे। देखो "**तौज़ीह़ व तलवीह़**।[(3)]"

= इन के मक्तबों से शाएअ़ हो रही हैं और लोगों के ईमान में ख़राबी का बाइ़स बन रहीं हैं। बहर ह़ाल आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ने "**तह़ज़ीरुन्नास**" की इशाअ़त के तीस (**30**) साल बा'द, "**बराहीने क़ाति़आ़**" की इशाअ़त के तक़रीबन सोलह (**16**) साल बा'द और "**ह़िफ़्ज़ुल ईमान**" की इशाअ़त के क़रीबन एक साल बा'द सि. **1320** हि. में मज़्कूरा बाला अश्ख़ास पर इन कुफ़्रिय्या इबारात की वजह से कुफ़्र का फ़तवा सादिर फ़रमाया जिस की तस्दीक़ "**उ़लमाए ह़रमैने शरीफ़ैन**" ने फ़रमाई, इन्ही तस्दीक़ात को "**फ़तावा ह़रमैन**" कहते हैं। येह तस्दीक़ात "**ह़ुस्सामुल ह़रमैन**" के नाम से उर्दू तर्जमे के साथ मक्तबतुल मदीना **421** उर्दू मार्केट, मटया मह़ल, जामेअ़ मस्जिद, देहली-**6** पर ब आसानी दस्तयाब हैं।

(1).....حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الجهاد، باب البغاة، ج٢، ص٣٩٤، المكتبة العربية، كوئته

(2)..... (i) ह़नफ़िय्या (ii) शाफ़ेइय्या (iii) मालिकिय्या (iv) ह़म्बलिय्या

(3) توضيح تلويح، فصل في تقليد الصحابي رضي الله عنه، ج٢، ص٣٩٤، ٣٩٣، مير محمد كتب خانه، كراچی

सुवाल नम्बर 12 : येह बयान कीजिये कि ग़ैर मुक़ल्लिदीन के मसाइल ऐसे भी हैं जो मज़ाहिबे अरबआ़ अहले सुन्नत में से किसी के नज़्दीक जाइज़ न हों ?

जवाब : बहुत मसाइल हैं जैसे एक जल्से में तीन त़लाक़ों से एक ही त़लाक़ पड़ना, वुज़ू में सर की जगह पगड़ी का मस्ह़, इन की किताब "**तोह़फ़तुल मोअमिनीन**" में जो इन के पेश्वा नज़ीर हुसैन के शागिर्द ने बा'दे नज़्रे सानी के मत़्बअ़ नौलकिश्वर में दोबारा छपवाई इस के सफ़ह़ा 17 पर साफ़ लिखा है कि फूफी के साथ निकाह़ दुरुस्त है इन के यहां ख़ून और शराब और सुव्वर की चर्बी नापाक नहीं जैसा कि इन की "**रौज़ए नदिय्या**" सफ़ह़ा 12 वग़ैरा से साबित है।

सुवाल नम्बर 13 : क़ियासे अबू ह़नीफ़ा के ख़िलाफ़ व बात़िल कहने वाले को क्या लिखा है ?

जवाब : फ़तावा आ़लमगीरी[1] वग़ैरा में है "जो शख़्स इमाम अबू ह़नीफ़ा के क़ियास को ह़क़ न माने वोह काफ़िर है।"

सुवाल नम्बर 14 : ग़ैर मुक़ल्लिदीन के पेश्वाओं ने बुज़ुर्गाने दीन व फ़ुक़हाए किराम व मुक़ल्लिदीने मुसल्लए अरबआ़[2] की

---

(1) "الفتاوی العالمکیریة المعروفة "بالفتاوٰی الھندیہ" مطلب موجبات الکفر الخ، ومنھا ما یتعلق بالعلم و العلماء، ج۲،ص ۲۷۱ المکتبۃ الرشیدیہ کوئٹہ

(2)..... तुर्कों के दौरे हुकूमत में ह़रम शरीफ़ में चार मुसल्ले क़ाइम किये गए थे ताकि ह़नफ़ी, शाफ़ेई, मालिकी और ह़म्बली फ़िक़्ह से तअ़ल्लुक़ रखने वाले मुसलमान अपनी अपनी फ़िक़्ह के मुत़ाबिक़ मस्जिदे ह़राम शरीफ़ में नमाज़े बा जमाअ़त अदा कर सकें, ह़नफ़ी मुसल्ला शिमाली जानिब, शाफ़ेई मुसल्ला जुनूब मशरिक़ी सम्त में, ह़म्बली मुसल्ला जुनूबे मग़रिबी और मालिकी मुसल्ला मग़रिब की सिम्त में वाक़ेअ़ था, बा'दे अज़ां नजदी हुकूमत ने इन मुसल्लों को उठवा दिया।

(حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ باب وقد سئل بعض العلماء عن ھذہ المقامات الخ، ج۱،ص ۱۴۶، دار الطباعۃ عامرہ، مصر)

निस्बत और नीज़ **कुब्बए मुबारक**[1] (हुज़ूर साहिबे लौलाक) صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के बारे में क्या लिखा है ?

जवाब : इन के पेश्वा सिद्दीक़ हसन खां वगै़रा ने शिर्क व बिदअ़त व मुशरिक लिखा है।

सुवाल नम्बर 15 : नवाब सिद्दीक़ हसन खां ने ख़लीफ़ए सानी हज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ की शान में क्या बे अदबी के कलिमात लिखे हैं ?

जवाब : अपनी किताब ''इन्तिक़ादुर्रजीह़'' के ग़ालिबन सफ़ह़ा 62 पर सरीह़ गुमराह बताया है कि ''इन्हों ने जमाअ़ते तरावीह़ को रवाज दिया और खुद इसे बिदअ़त कह कर अच्छा बताया हालांकि कोई बिदअ़त क़ाबिले सताइश नहीं, सब **गुमराही** है।''

सुवाल नम्बर 16 : शैख़ैन को जो गाली देने वाला है उस के बारे में अकाबिरे अहले सुन्नत की क्या राए है ?

जवाब : जो शख़्स अबू बक्र सिद्दीक़ या उ़मर फ़ारूक़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ को बुरा कहे बहुत से आइम्माने उसे काफ़िर कहा है। और इस क़दर पर तो इजमाअ़ है कि ऐसा शख़्स **बद दीन है**[2] देखो तन्वीरुल अबसार, दुर्रे मुख़्तार, फ़तावा आ़लमगीरी, फ़तावा खुलासा, फ़तहुल क़दीर, अश्बाह व बह़्रुर्राइक़, **ग़ुनिय्या**[3] उ़मूदुर्रिया वगै़रा।

---

(1)..... हुज़ूरे पुरनूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के रौज़ए मुबारका का गुम्बद शरीफ़

(2)..... अगर हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ और हज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ को गाली निकालता है जब तो उस के काफ़िर होने में किसी क़िस्म का शको शुबा नहीं और अगर सिर्फ़ हज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ को शैख़ैने करीमैन से अफ़्ज़ल बताए तो फिर गुमराह है।

(فتاوی بزازیہ علیٰ ھامش فتاوی الھندیہ،نوع فیما یتصل بہا ج۶،ص۳۱۹ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ،سرکی روڈ،کوئٹہ،فتاوی رضویہ جدید، کتاب السّیر ،ج۱۴،ص۲۵۲ رضا فاؤنڈیشن لاہور)

(3).....इसी त़रह़ हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ या हज़रते उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ की ख़िलाफ़त या सहाबिय्यत का इन्कार करने वाला भी काफ़िर है।

(غنیۃ المستملی،فصل الأولی،باب الإمامۃ،ص۵۱۵، سہیل اکیڈمی لاہور)

सुवाल नम्बर 17 : ऐसा कहने वाले को एह़तियात़न काफ़िर न कहें तो मुबतदेअ़ कह सकते हैं या नहीं ?

जवाब : ज़रूर मुबतदेअ़ व गुमराह हैं ।

सुवाल नम्बर 18 : ह़नफ़ियों की नमाज़ शाफ़िइयुल मज़हब के पीछे जाइज़ है या नहीं ?

जवाब : इस में बहुत इख़्तिलाफ़ है और सह़ीह़ येह है कि शाफ़ेई ने अगर फ़राइज़ व शराइते ह़नफ़ी की रिआ़यत न की तो उस के पीछे ह़नफ़ी की नमाज़ जाइज़ नहीं, देखो "बह़रुर्राइक़" और "**रद्दुल मुह़तार**"[1] वग़ैरा, और "**फ़तावा आ़लमगीरी**" वग़ैरा में येह भी क़ैद लगाई कि वोह ह़नफ़ी के साथ **तअ़स्सुब**[2] न रखता हो, वरना उस के पीछे नमाज़ मन्अ़ है ।[3]

सुवाल नम्बर 19 : ह़नफ़ियों की नमाज़, ग़ैर मुक़ल्लिदीन के पीछे जाइज़ है कि नहीं ?

जवाब : जाइज़ नहीं है इस लिये कि ग़ैर मुक़ल्लिदीन **अहले हवा**[4] से हैं जिस का बयान अभी गुज़रा, और अहले हवा के पीछे नमाज़ जाइज़ नहीं है ।" "**फ़त्हुल क़दीर शर्हे हिदाया**" में है कि **इमाम मुह़म्मद, इमाम अबू ह़नीफ़ा** और **इमाम अबू यूसुफ़** से रिवायत फ़रमाते हैं कि अहले हवा के पीछे नमाज़

---

(1) ردّ المحتار على الدرّالمختار، كتاب الصّلاة، مطلب:في الاقتداء بشافعي، ج ٢، ص ٣٦١، دارالمعرفة، بيروت

(2).....दुश्मनी, बुग़्ज़

(3) الفتاوٰی العالمكيريه، كتاب الصلاة، الفصل الثالث، الباب الخامس في الإمامة، ج ١ ص ٨٤، مكتبۂ رشيديه، سركی روڈ كوئٹه۔

(4).....बद मज़हब, बिदअ़ती, ख़्वाहिशाते नफ़्सानिय्या की पैरवी करने वालों में से हैं ।

नाजाइज़ है(1) और इन के मज़हबी मस्अले इस क़दर मुख़ालिफ़ हैं कि हमारे मज़हब में न उन की त़हारत ठीक होती है और न नमाज़, कि येह मुर्दार और सुव्वर की चर्बी तक को नापाक नहीं जानते हैं और कटोरे भर पानी में छे माशा पेशाब पड़ जाए तो उसे पाक समझते हैं। इन का मज़हब येह है कि जब तक इतनी नजासत न पड़े कि पानी का रंग, मज़ा, बू बदल जाए उस वक़्त तक पानी पाक रहेगा। देखो ग़ैर मुक़ल्लिदीन की किताब "**फ़त्हुल मुग़ीस**" सफ़्ह़ा 5 और "**त़रीक़ए मुह़म्मदिय्या**" सफ़्ह़ा 6 ता 7।

सुवाल नम्बर 20 : क्या ह़रमैने शरीफ़ैन में चारों मज़हब के अहले सुन्नत व जमाअ़त ग़ैर मुक़ल्लिदों के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं?

जवाब : येह मह़्ज़ ग़लत़ है।

सुवाल नम्बर 21 : मौलवी नज़ीर हुसैन पैश्वाए ग़ैर मुक़ल्लिदीन जब मक्कए मुअ़ज़्ज़मा गए थे ह़ाकिमे मक्का ने उन के साथ क्या मुआ़मला किया था?

जवाब : नज़ीर हुसैन देहलवी ज़ुल ह़िज्जा सि. 1300 हि. में मक्कए मुअ़ज़्ज़मा गए, वहां मुख़्बरी हुई कि येह और इन का एक साथी **सुलैमान जूनागढ़ी** ग़ैर मुक़ल्लिद हैं और मस्जिदुल ह़राम में ग़ैर मुक़ल्लिदीन के मसाइल बयान करते हैं, इस पर दौड़ आई येह दोनों ग़ैर मुक़ल्लिद और इन के साथी गिरिफ़्तार हुवे, तीन दिन ह़वालात में रहे फिर दौलते उ़स्मान नूरी पाशा, गवर्नर मुल्के ह़िजाज़ के हुज़ूर इन की पेशी हुई वहां इन्हों ने तौबा की और ह़नफ़ी ह़ाकिम ने इन से तौबा नामा लिखवा लिया, उस वक़्त रिहाई हुई। येह ख़बर मैं ने मो'तबर उ़लमा से सुनी जो इस वाक़िए में मौजूद थे, फिर मक्कए मुअ़ज़्ज़मा के छपे हुवे इश्तिहार

(1).....فتح القدیر، کتاب الصلاۃ، باب الإمامۃ، ج ۱، ص ۳۰۴، مکتبۃ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ

देखे जो वहां के मत्बअ् मीरी में छपे थे, वोह इश्तिहार पेश करता हूं। फिर दूसरा इश्तिहार मअ् तर्जमा वहीं मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में छपा वोह भी पेश करता हूं और इस के सिवा सि. **1295** हि. में कि **मुज़्हिर**(1) ह़ज को गया था, क़ाफ़िले की दाख़िली का'बए मुअ़ज़्ज़मा में थी, का'बए मुअ़ज़्ज़मा का दरवाज़ा बहुत बुलन्द है, ख़ादिम ऊपर बैठे लोगों का हाथ पकड़ कर दाख़िली के लिये खींच रहे थे, एक मुग़ल की वज़अ् पर अफ़सर को बद मज़हबी का शुबा हुवा, जब वोह दाख़िली के लिये गया ख़ादिम ने धमका दिया, इस के साथ का एक ग़ैर मुक़ल्लिद वहाबी सिफ़ारिश को बढ़ा, अफ़सर के हुक्म से उस वहाबी के सर पर ख़ादिम ने इस ज़ोर से चपत लगाई कि तमाम मस्जिद में आवाज़ पहुंची होगी, येह मेरी आंख का देखा हुवा है, येह लोग जब जाते हैं अपना मज़हब छुपाते रहते हैं वरना सज़ा पाते हैं।

सुवाल नम्बर 22 : ग़ैर मुक़ल्लिदीन के बारे में "**फ़तावल ह़रमैन**" आप के पास हैं?

जवाब : अस्ल दो फ़तवे पेश करता हूं, नीज़ एक किताब मत्बूआ़ बम्बई पेश करता हूं।

सुवाल नम्बर 23 : आप तस्दीक़ करते हैं कि येह मोहरें वहीं के उ़लमा की हैं?

जवाब : मैं तस्दीक़ करता हूं कि जो मोहरें इन फ़तवों में हैं, वोह वहीं की हैं।

सुवाल नम्बर 24 : क्यूंकर और किस वजह से आप तस्दीक़ करते हैं?

जवाब : मुज़्हिर ने येह बड़ा फ़तवा मक्कए मुअ़ज़्ज़मा भेजा था और येह दूसरा फ़तवा मेरे दोस्त मौलवी नज़ीर हुसैन अह़मद ख़ां साहिब मर्हूम ने अह़मदाबाद गुजरात से मदीना शरीफ़ को भिजवाया था वहां की मोहरें हो कर ब ज़रीअ़ए मौलवी अ़ब्दुल ह़क़ साहिब मुजावर (या'नी मुहाजिर) के, इन के पास आया और इन्हों ने

(1).....या'नी मैं (इमाम अह़मद रज़ा ख़ां عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن)

मुझे भेजा। जिद्दा का लिफ़ाफ़ा मौजूद है और इस में **सुल्तानी टिकट**[1] लगे हैं पेश करता हूं। बड़ा फ़तवा मक्का शरीफ़ की मोहरें हो कर बज़रीअ़ए मौलाना ह़ाजी अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ साहिब "मुतव्वफ़े का'बए मुअ़ज़्ज़मा" के बम्बई मौलवी उ़मरुद्दीन साहिब को और इन के वासिते से मुझे पहुंचा। जिद्दा का लिफ़ाफ़ा पेश करता हूं और इस के साथ मौलाना ह़ाजी अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक साहिब मक्की का येह ख़त़ जो पेश करता हूं, मेरे नाम आया और दूसरा ख़त़ और पेश करता हूं। येह सरदार उ़लमाए मक्कए मुअ़ज़्ज़मा मौलाना मुह़म्मद सईद बाबसील ने मेरे नाम अपनी मोहर के साथ मअ़ इसी फ़तवा के भेजा। इस की चन्द सत़रों का ख़ुलासा, तर्जमा येह है :

"कि येह ख़त़ है ह़ज़रते **अजल्ल**[2] व अफ़्ज़ल मेरे सरदार और मेरे भाई और मेरे मुअ़ज़्ज़ज़ ह़ज़रते अह़मद रज़ा क़ादिरी मुह़म्मदी ह़नफ़ी को कि इन की सआ़दत और जलालत हमेशा रहे। वोह आदाब जो आप के रुत्बे के लाइक़ हैं हदिय्या भेज कर अ़र्ज़ है कि आप का **इज़ाला**[3] जो आप ने **राफ़िज़ियों**[4]

---

(1).....हुकूमती टिकट (2).....जलीलुल क़द्र, बहुत बुज़ुर्ग (3).....रिसाला (4).....राफ़िज़ी की जम्अ़ रवाफ़िज़ है, मुराद इस से शीआ़ ह़ज़रात हैं, येह इन्तिहाई गुस्ताख़ और बे बाक फ़िर्क़ा है इन लोगों ने अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशात की तक्मील की ख़ात़िर शरई अह़काम को तोड़ मोड़ कर और अह़ादीस में रद्दो बदल कर के अपनी फ़िक़्ह ईजाद कर ली है, इन के अ़क़ाइद गुमराह कुन और कुफ़्रिय्यात पर मब्नी हैं मसलन "(i) मुर्दे दोबारा दुन्या में आएंगे, (ii) रूह़ दूसरे बदन में आएगी (iii) अल्लाह तआ़ला की रूह़, आइम्मए अहले बैत में मुन्तक़िल हुई है (iv) इमामे बात़िल ख़ुरूज करेंगे (v) इमामे बात़िन के ख़ुरूज तक अम्र व नही अह़काम मो'त़ल रहेंग (vi) ह़ज़रते जिब्रील عَلَيْهِ السَّلَام से ह़ज़रते अ़ली के मुक़ाबले में मुह़म्मद صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पर वह़ी लाने में ग़लती हुई है" (مَعَاذَ اللّٰه) इन्ही कुफ़्रिय्या अ़क़ाइद की बिना पर इन की तक्फ़ीर निहायत ज़रूरी है। येह लोग मिल्लते इस्लामिय्या से ख़ारिज हैं और मुर्तद्दीन के अह़काम इन पर लागू होंगे। (माख़ूज़ अज़ "**फ़तावा रज़विय्या**" जदीद, जि. 14 स. 128 रज़ा फ़ाउन्डेशन, लाहौर)

नेचरियों(1)

(1).....येह फ़िर्क़ा, मौलवी इस्माईल देहलवी के मो'तक़िदीन व मुत्तबेईन का एक मख़्सूस टोला है इस का संगे बुन्याद सर सय्यिद अह़मद ख़ान अ़लीगढ़ी ने रखा था इस का मर्कज़ "**अ़लीगढ़ कोलेज**" क़रार पाया मौसूफ़ के मुआ़विनीन में सर आग़ा ख़ान, ख़्वाजा अल्त़ाफ़ हु़सैन ह़ाली, अ़ल्लामा शिब्ली नो'मानी और मौलाना समीउ़ल्लाह ख़ां देहलवी वग़ैरा ह़ज़रात थे। मज़हबी मुआ़मलात में इन के मिशन को मौलवी चिराग़ अ़ली, राइट आनरेबल, सय्यिद अमीर अ़ली चन्सूरी, वक़ारुल मुल्क (नवाब मुश्ताक़ हु़सैन), मोह़सिनुल मुल्क (सय्यिद मेहदी अ़ली ख़ां) और डिपटी नज़ीर अह़मद वग़ैरा ने परवान चढ़ाने में कोई कसर न छोड़ी, बल्कि हमा वक़्त नया मज़हब घड़ने और मुक़द्दस इस्लाम को ज़ब्ह़ करने में मसरूफ़ रहे। येह फ़िर्क़ा, अ़क़ीदए रिसालत और अह़ादीसे मुत़ह्हरा के ख़िलाफ़ एक चेलेन्ज है। क़ुरआनी ता'लीमात के अ़लम बरदार होने का मुद्दई लेकिन कलामे इलाही के ख़िलाफ़ पुर असरार साज़िश है, दा'वा मुसलमान होने का है लेकिन इन के नज़रिय्यात इस्लामी ता'लीमात को मस्ख़ करते हैं, नेचरी फ़िर्क़े के चन्द अ़क़ाइद मुलाह़ज़ा फ़रमाएं। (i) क़ुरआन की कोई आयत या इस का हु़क्म किसी दूसरी आयत से मन्सूख़ नहीं। (ii) इजमाअ़ व क़ियास हु़ज्जते शरई नहीं। (iii) तक़्लीद वाजिब नहीं। (iv) शैत़ान या इब्लीस से मुराद कोई वुजूद नहीं बल्कि इन्सान के नफ़्से अम्मारा या क़ुव्वते बहीमिया का नाम है। (v) चूंकि ख़बरे वाह़िद सिद्क़ व किज़्ब का एह़तिमाल रखती है इस लिये इस्लाम, ख़बर इह़ाद की बिना किये जाने वाले ए'तिराज़ात का जवाब देह नहीं। (vi) कुफ़्फ़ार की वज़्अ़ व क़त़्अ़ इख़्तियार करना शरअ़न ममनूअ़ नहीं। (vii) मे'राज और शक़्क़े सद्र के वाक़िआ़त ख़्वाब में पेश आए। (viii) ह़ज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام मलाइका और इब्लीस का क़िस्सा क़ुरआन में ज़िक्र हुवा वोह किसी वाक़िए़ की ख़बर नहीं बल्कि एक तमसील है। (ix) मो'जिज़ा, नबुव्वत की दलील नहीं हो सकता। (x) रुइय्यते बारी तआ़ला किसी त़रह़ भी मुमकिन नहीं। (xi) प्रामेस्टरी नोटों पर सूद लेना जाइज़ है (xii) शुहदा ज़िन्दा नहीं होते। (xiii) ह़ज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام का बिन बाप के पैदा होना किसी आयत से साबित नहीं। (xiv) चोर के लिये हाथ काटने की सज़ा जो क़ुरआन में बयान हुई, ज़रूरी नहीं। (xv) क़ुरआन में ज़िक्र कर्दा जिन्नात से मुराद सह़राई लोग हैं न कि देव, भूत वग़ैरा (मुलख़्ख़स अज़ बरत़ानवी मज़ालिम की कहानी अ़ब्दुल ह़कीम ख़ां अख़्तर शाहजहांपूरी की ज़बानी, जनरल प्रिन्टर्ज़, लाहौर)

वहाबियों[(1)] **ग़ैर मुक़ल्लिदों**[(2)] गुमराह फ़िर्क़ों के रद्द के लिये तालीफ़ किया, यहां पहुंचा मुझे निहायत पसन्द आया और मैं ने इस के आख़िर में वोह लिख दिया जो इस के लिये लाज़िम था। तह़रीर 22 रबीउ़ल अव्वल सि. 1317 हि. मुह़म्मद सई़द बिन बाबसील मुफ़्तिये शाफ़ेइय्या, सरदारे उ़लमाए मक्कए मुअ़ज़्ज़मा

(1).....मुह़म्मद बिन अ़ब्दुल वह्हाब नजदी के मानने वालों को वहाबी या **नजदी** कहते हैं इस फ़िर्क़े के लोग, ख़यालाते बातिला और अ़क़ाइदे फ़ासिदा रखते हैं, इब्ने अ़ब्दुल वह्हाब नजदी ने अहले सुन्नत व जमाअ़त से क़त्ल व क़िताल को जाइज़ क़रार दिया, इन की औ़रतों को लौंडियां बनाना भी जाइज़ कहा। सलफ़े सालिह़ीन की शान में गुस्ताख़ी व बे अदबी को अपना वत़ीरए ख़ास बनाया, तमाम मुसलमानाने आ़लम को मुशरिक क़रार दिया और इन से इन के अम्वाल छीन लेना ह़लाल और जाइज़ बल्कि वाजिब क़रार दिया, इसी त़रह़ अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام के बारे में कहा कि "वोह मर कर मिट्टी हो गए, उन को कुछ ख़बर नहीं", "नबी عَلَيْهِ السَّلَام का नमाज़ में ख़याल आ जाए तो नमाज़ टूट जाती है और बेल गधे का आए तो नहीं टूटती" शैत़ान का इ़ल्म, हुज़ूर عَلَيْهِ السَّلَام के इ़ल्म से बढ़ कर है", "ख़ुदा झूट बोल सकता है क्यूंकि वोह हर चीज़ पर क़ादिर है" वग़ैरा वग़ैरा (मुलख़्ख़स अज़ तारीख़े नज्द व हिजाज़ अज़ मुफ़्ती मुह़म्मद अ़ब्दुल क़य्यूम क़ादिरी قُدِّسَ سِرُّهُ النُّوْرَانِی ज़ियाउल क़ुरआन पब्लीकेशन्ज़ लाहौर)

(2).....ग़ैर मुक़ल्लिदिय्यत भी वहाबिय्यत की एक शाख़ है चन्द अ़क़ाइद के इलावा बाक़ी तमाम अ़क़ाइद में शरीक हैं और इन ह़ाल के, अशद देवबन्दी कुफ़्रों में भी वोह यूं शरीक हैं कि इन क़ाइलों को काफ़िर नहीं जानते और इन की निस्बत हुक्म है कि जो इन के कुफ़्र में शक करे वोह भी काफ़िर है, ग़ैर मुक़ल्लिदीन ह़ज़रात ने चारों मज़हबों से जुदा तमाम मुसलमानों से अलग एक नई राह निकाली है कि तक़्लीद को ह़राम व बिदअ़त कहते हैं और आइम्मए दीन को गालियां देते हैं लेकिन ह़क़ीक़तन येह तक़्लीद से ख़ाली नहीं क्यूंकि येह आइम्मए दीन की तक़्लीद तो करते नहीं मगर शैत़ाने लईन के ज़रूर मुक़ल्लिद हैं इसी त़रह़ येह लोग क़ियास के भी मुन्किर हैं और हुक्मे शरई की रू से क़ियास का मुत़लक़न इन्कार कुफ़्र है। (मुलख़्ख़स अज़ बहारे शरीअ़त जहेज़ एडीशन, ह़िस्सा अव्वल, स. 61 मत़बूआ़ मक्तबा रज़विय्या कराची)

सुवाल नम्बर 25 : गै़र मुक़ल्लिदीन की बिदअ़त लुज़ूमे कुफ़्र तक पहुंची है या नहीं ?

जवाब : बहुत वजह से पहुंची है, तीन वजहें येह कि गै़र मुक़ल्लिदीन, **इजमाअ़**(1) और **क़ियास**(2) और **तक़्लीद**(3) के

---

(1).....**इजमाअ़** का लुग़वी मा'ना पुख़्ता और इत्तिफ़ाक़ है इस्तिलाहे़ शरअ़ में इस का मा'ना येह है कि हर ज़माने के आ़दिल व मुज्तहिद उ़लमाए अहले सुन्नत का किसी हुक्म पर मुत्तफ़िक़ हो जाना, इजमाअ़, ज़रूरियाते दीन" में से है और इस पर अ़मल करना वाजिब है, इस का मुन्किर काफ़िर है। (मुलख़्ख़स अज़ फ़तावा रज़विय्या, जदीद, किताबुस्सियर, जि. 14 स. 288 रज़ा फ़ाउन्डेशन लाहौर)

(2).....**क़ियास** का लुग़वी मा'ना : अन्दाज़ा लगाना है और इस्तिलाहे़ शरअ़ में क़ियास येह है कि किसी मन्सूस अ़लैह (जिस के बारे में क़ुरआने पाक या ह़दीस शरीफ़ में वाज़ेह हुक्म हो) के हुक्म को उस मा'ना की बुन्याद पर जो इस हुक्म के लिये इल्लत बनता है गै़र मन्सूस के लिये साबित किया जाए। **मसलन :** नस्स से साबित है कि गुलामों के लिये घर में आने जाने के लिये इजाज़त की ज़रूरत नहीं क्यूंकि इस में ह़रज पैदा होता है तो इस पर क़ियास करते हुवे बिल्ली के झूटे को नापाक क़रार नहीं दिया बल्कि मकरूह कहा क्यूंकि इस का भी घरों में आना जाना है। "**फ़तावा रज़विय्या**" में है क़ियास हुज्जते शरई है और इस का मुत़लक़न इन्कार कुफ़्र है (मुलख़्ख़स अज़ फ़तावा रज़विय्या, जदीद, किताबुस्सियर, जि. 14, स. 292 रज़ा फ़ाउन्डेशन लाहौर)

(3).....**तक़्लीद** की दो क़िस्में हैं (i) तक़्लीदे मह़ज़ (ii) तक़्लीदे शख़्सी।

1...तक़्लीदे मह़ज़ : (या'नी तक़्लीदे मुत़लक़) को आइम्मए किराम ने ज़रूरिय्याते दीन में शुमार फ़रमाया, (अन्नज़िर फ़तावा रज़विय्या जदीद, किताबुस्सियर, जि. 14. स. 290-291), और ज़रूरिय्याते दीन का मुन्किर मुसलमान नहीं, (واللہ أعلم بالصواب و رسولہ أعلم)

2...तक़्लीदे शख़्सी : या'नी किसी गै़र मुज्तहिद शख़्स को आइम्मए अरबआ़, इमामे आ'ज़म अबू ह़नीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अह़मद बिन ह़म्बल (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُم) में से किसी एक इमाम की तक़्लीद इस त़रह़ वाजिब है कि वोह उस इमाम के तमाम अह़काम में उस का मुक़ल्लिद हो, मुक़ल्लिद शख़्स के लिये किसी मस्अले में एक इमाम की तक़्लीद करना और किसी मस्अले में दूसरे इमाम की तक़्लीद करना ह़राम है। तक़्लीदे शख़्सी का इन्कार मकरुहे तह़रीमी और इस का मुन्किर =

मुन्किर हैं जैसा कि उन की किताबों से ज़ाहिर है और उन के पेश्वा नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ां ने लिखा है कि : "क़ियासे बातिल व इजमाअ़ बे असर आमद।" और हमारे आइम्मा तसरीह़ फ़रमाते हैं कि "इजमाअ़, क़ियास, व तक़्लीद **ज़रूरिय्याते दीन**(1) से हैं।"

= गुमराह है, आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن इरशाद फ़रमाते है कि "किसी ग़ैर मुज्तहिद (या'नी आम आदमी) को येह इख़्तियार नहीं कि अपनी राए से किसी ह़दीसे मुतअ़ल्लिके अह़कामे फ़रइय्या मरविय्या कुतुबे ह़दीस पर अ़मल करे" (अ़क़ाइदे ह़क़्क़ा अहले सुन्नत व जमाअ़त, सफ़ह़ा **13**, रज़ा एकेडमी बम्बई)

(**1**).....ज़रूरिय्याते दीन वोह मसाइल हैं जिन को हर ख़ासो आम जानते हैं, जैसे **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की वह़दानिय्यत, अम्बिया (عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) की नुबुव्वत, जन्नत व नार, ह़श्र व नश्र वग़ैरहा (बहारे शरीअ़त जहेज़ एडीशन, हि़स्सा अव्वल, अ़क़ाइद का बयान, ईमान व कुफ़्र का बयान जि. **1** स. **44** मक्तबा रज़विय्या, आराम बाग़ कराची), मज़्कूरा मसाइल में से किसी में भी शको शुबा या तावील की गुन्जाइश हरगिज़ नहीं, जो शख़्स इन चीज़ों को तो ह़क़ कहे और इन लफ़्ज़ों का इक़रार करे मगर इन के लिये नए मा'ना गढ़े मसलन यूं कहे कि जन्नत व दोज़ख़ व ह़श्र व नश्र व सवाब व अ़ज़ाब से ऐसे मा'ना मुराद हैं जो इन के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से समझ में नहीं आते या'नी सवाब के मा'ना अपने ह़सनात (नेकियों) को देख कर खुश होना और अ़ज़ाब, अपने बुरे आ'माल को देख कर ग़मगीन होना है या येह कि वोह रूह़ानी लज़्ज़तें और बातिनी मा'ना हैं, वोह यक़ीनन काफ़िर है क्यूंकि इन उमूर पर कुरआने पाक और ह़दीस शरीफ़ में खुले हुवे इरशादात मौजूद हैं। यूंही येह कहना भी कुफ़्र है कि पैग़म्बरों ने अपनी अपनी उम्मतों के सामने जो कलाम, कलामे इलाही बता कर पेश किया वोह हरगिज़ कलामे इलाही नहीं था बल्कि वोह सब उन्हीं पैग़म्बरों के दिलों के ख़यालात थे जो फ़व्वारे के पानी की त़रह़ उन के कुलूब से जोश मार कर निकले और फिर उन्हीं के दिलों पर नाज़िल हो गए।

यूंही येह कहना कि न दोज़ख़ में सांप, बिच्छू और ज़न्जीरें हैं, और न वोह अ़ज़ाब जिन का ज़िक्र मुसलमानों में राइज है, न दोज़ख़ का कोई वुजूद ख़ारिजी है बल्कि दुन्या में **अल्लाह** तआ़ला की नाफ़रमानी से जो कुल्फ़त (तक्लीफ़) रूह़ को हुई थी बस इसी रूह़ानी अज़िय्यत का आ'ला दरजे पर मह़सूस होना इसी का नाम दोज़ख़ और जहन्नम हैं येह सब कुफ़्रे क़त़ई है। =

देखो **"कशफुल असरार"** इमाम अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बुख़ारी[1] मत़बअ़ कुस्तुनतुनिया और **"फ़सूलुल बदाइअ़"** मत़बअ़ इस्तम्बूल और मवाक़िफ़ व शर्हे़ मवाक़िफ़ और फ़वातिह़ वग़ैरा, और ज़रूरियाते दीन का मुन्किर मुसलमान नहीं है। देखो तन्वीरुल अबसार और दुर्रे मुख़्तार और शर्हे़ फ़िक़हे अक्बर और अदलाम इमाम इब्ने ह़जर और बह़रुर्राइक़ और रद्दुल मुह़तार[2] वग़ैरा वग़ैरा। चौथे येह कि इन के इमाम इस्माईल देहलवी ने ईज़ाहु़ल ह़क़ में **अल्लाह** तआ़ला को मकान व जहत से पाक मानने के अ़क़ीदए दीनी को **बिदअ़ते ह़क़ीक़ी**

= यूंही येह समझना कि न जन्नत में मेवे हैं न बाग़, न मह़ल हैं, न नह्रें हैं, न हूरें हैं, न ग़िलमान हैं, न जन्नत का कोई वुजूद ख़ारिजी है बल्कि दुन्या में **अल्लाह** तआ़ला की फ़रमां बरदारी की जो राह़त रूह़ को हुई थी बस इसी रूह़ानी राह़त का आ'ला दरजे पर ह़ासिल होना इसी का नाम जन्नत है, येह भी क़त़अ़न कुफ़्र है। यूंही येह कहना कि **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने कुरआने अ़ज़ीम में जिन फ़िरिश्तों का ज़िक्र फ़रमाया है, न इन का कोई अस्ल वुजूद है, न इन का मौजूद होना मुमकिन है, बल्कि **अल्लाह** तआ़ला ने अपनी हर मख़्लूक़ में जो मुख़्तलिफ़ क़िस्म की कुव्वतें रखी हैं जैसे पहाड़ों की सख़्ती, पानी की रवानी, नबातात की फ़िरावानी, बस इन्हीं कुव्वतों का नाम फ़िरिश्ता है, इन्सान में जो नेकी करने की कुव्वतें हैं बस वोही उस के फ़िरिश्ते हैं येह भी बिल क़त़अ़ वल यक़ीन कुफ़्र है। यूंही जिन्न व शयात़ीन के वुजूद का इन्कार और बदी की कुव्वत का नाम जिन्न या शैत़ान रखना कुफ़्र है और ऐसे अक़्वाल के क़ाइल यक़ीनन काफ़िर और इस्लामी बरादरी से ख़ारिज हैं।
(माख़ूज़ अज़ ए'तिक़ादुल अह़बाब फ़िल जमील, अल मा'रूफ़ दस अ़क़ीदे, अज़ आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن. स. **77-81** मत़बूआ़ फ़रीद बुक स्टोल लाहौर)

(1).....(انظر التخاریج والدلائل فی الفتاوی الرضویه، جدید، ج ۱۴، ص ۲۸۸ تا ۲۹۳)

(2)....."التنویر والدر ورد المحتار"، کتاب الجهاد، باب المرتد، ج ۶، ص ۳۴۲۔ و"بحر الرائق"، کتاب السیر، باب أحکام المرتدین، ج ۵، ص ۲۰۲۔

बताया[1] और येह कलिमए कुफ़्र है। देखो फ़तावा क़ाज़ी ख़ां व **फ़तावा आ़लमगीरी**[2] वग़ैरा। पांचवीं, इन के इमाम मज़्कूर ने "**तक़्वियतुल ईमान**[3] में अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की शान में

---

(1).....ईज़ाहुल ह़क़ (अज़ इस्माईल देहलवी) सफ़ह़ा 35-36 मत़बए फ़ारूक़ी में है تنزیہ او تعالیٰ از زمان ومکان جہت واثبات رویت بلاجہت ومحاذات ہمہ ازقبیل بدعات حقیقہ است (या'नी **अल्लाह** तआ़ला को ज़मान व मकान व जहत से पाक जानना और उस का दीदार बिला कैफ़ मानना बिदअ़त व गुमराही है) सदरुश्शरीआ़, बदरुत्तरीक़ा मौलाना अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَیْه इरशाद फ़रमाते हैं कि : "**अल्लाह** का दीदार बिला कैफ़ मानना और ज़मान व मकान व जहत से पाक जानना, तमाम अहले सुन्नत व जमाअ़त का अ़क़ीदा है तो इस क़ाइल (इस्माईल देहलवी) ने तमाम पेश्वायाने अहले सुन्नत को गुमराह व बिदअ़ती क़रार दिया, बह़्रुर्राइक़, दुर्रे मुख़्तार, आ़लमगीरी में है कि **अल्लाह** तआ़ला के लिये जो मकान साबित करे काफ़िर है। (बहारे शरीअ़त, जहेज़ एडीशन, हिस्सा अव्वल, जि. 1. स. 55 मत़बूआ़ मक्तबए रज़विय्या कराची)

(2).....الفتاوٰی العالمکیریہ، کتاب السیر، الباب التاسع في أحکام المرتدین، ومنها ما یتعلق بذات اللہ تعالی، ج۲، ص۲۵۹، المکتبۃ الرشیدیۃ، سرکی روڈ، کوئٹہ۔

(3)....."**तक़्वियतुल ईमान**" निहायत मुतनाज़िआ़ और रुस्वाए ज़माना किताब है, येह दर ह़क़ीक़त मुह़म्मद बिन अ़ब्दुल वह्हाब नजदी की तस्नीफ़ "**किताबुत्तौह़ीद**" का ईमान सोज़ तर्जमा है जो कि इस्माईल देहलवी का सियाह कारनामा है इस "**तक़्विय्यतुल ईमान**" ही की वजह से पाक व हिन्द में नए नए फ़िर्क़ों ने जनम लिया और ले रहे हैं इस की चन्द एक इबारतों का ख़ुलासा मुलाह़ज़ा फ़रमाएं। (i) जिस का नाम मुह़म्मद या अ़ली है वोह किसी चीज़ का मुख़्तार नहीं (ii) हुज़ूर عَلَيْهِ السَّلَام मर कर मिट्टी में मिल गए (iii) ह़दीस शरीफ़ में जिस हवा के मुतअ़ल्लिक़ इरशाद फ़रमाया गया था कि एक हवा चलेगी और सारे मुसलमानों को उठा लेगी वोह हवा चल चुकी है लिहाज़ा अब दुन्या में कोई मुसलमान न रहा (लेकिन इस ने येह न सोचा कि इस सूरत में तू ख़ुद भी काफ़िर हो गया) (iv) अम्बियाए किराम व औलियाए उ़ज़्ज़ाम को चोहड़े व चमार से तश्बीह देते हुवे लिखा कि इन से किसी ह़ाजत रवाई की तवक़्क़ोअ़ नहीं रखनी चाहिये। (v) रिज़्क़ में वुस्अ़त, तन्दुरुस्तों को बीमार और बीमारों को तन्दुरुस्त करना और मुश्किल कुशाई, येह सब **अल्लाह** की शान है किसी नबी, वली या भूत, परी की =

सख़्त गुस्ताख़ी के कलिमे लिखे और येह कुफ़्र है। देखो "शिफ़ा शरीफ़" क़ाज़ी इयाज़[1] और सैफ़ुल मस्लूल" इमाम सुबुकी वग़ैरा । छटी इसी "**तक़्वियतुल ईमान**" में हमारे नबी صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के मुतअ़ल्लिक मर कर मिट्टी में मिल जाना[2] लिखा है और इमामों ने तसरीह़ फ़रमाई है कि येह "कुफ़्र" है। देखो "शर्हे़ मवाहिब" अ़ल्लामा ज़ुरक़ानी, मत़बअ़ मिस्र। सातवीं येह कि सारा फ़िर्क़ा तक़्लीद को शिर्क और मुसलमान मुक़ल्लिदीन को मुशरिक कहता है और येह कलिमए कुफ़्र है। देखो दुर्रे मुख़्तार व दरर व ग़ुरर व मजमउ़ल अन्हर व आ़लमगीरी[3] व शर्हे़ फ़िक़्हे अक्बर वग़ैरा।

सुवाल नम्बर 26 : ऐसे मुबतदेअ़ के पीछे नमाज़ जाइज़ है या क्या ?

जवाब : मह़्ज़ बात़िल है। देखो शर्हे़ फ़िक़्हे अक्बर व फ़वातेह़ शर्हे़ मुसल्लम, व फ़तहुल क़दीर शर्हे़ हिदाया[4] वग़ैरा।

= येह शान नहीं। जो इन के लिये ऐसा तसर्रुफ़ माने वोह मुशरिक है। (vi) ह़रमे मदीना के अदबो एह़तिराम को शिर्क क़रार दिया (vii) हुज़ूर عَلَیْہِ السَّلَام के दौर में भी काफ़िर बुतों को **अल्लाह** के बराबर नहीं समझते थे। इन की नज़्रो नियाज़ करते और मन्नतें मांगते थे इस लिये वोह मुशरिक ठहरे सो जो आज भी कोई किसी को सिफ़ारिशी समझे या किसी से मदद चाहे गो उस को **अल्लाह** का बन्दा समझे, अबू जहल के बराबर मुशरिक है (viii) **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के सिवा किसी को ग़ैब का इल्म नहीं। (मुलख़्ख़स अज़ बहारे शरीअ़त, हि़स्सा अव्वल, वहाबिय्या के अ़क़ाइद व कुफ़्रिय्यात)

(1).....الشفاء بتعریف حقوق المصطفٰی صلی اللہ علیہ وسلم،فصل فی بیان ما ھو من المقالات کفر، ج۲،ص۲۴۶،عبد التّواب اکیڈمی،ملتان

(2).....تقویۃ الإیمان،ص ۸۱،شمع بُك ایجنسی،اردو بازار، لاہور

(3).....الفتاوٰی العالمگیریۃ

(4).....فتح القدیر، کتاب الصلاۃ، باب الإمامۃ، ج ۱،ص ۳۰۴،مکتبۃ رشیدیہ،سرکی روڈ،کوئٹہ

सुवाल नम्बर 27 : मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ है कि नहीं और मुसलमान को बुरा कहने वाला फ़ासिक़ है कि नहीं ?

जवाब : फ़ासिक़ है "**सहीह़ बुख़ारी शरीफ़**" में इस की ह़दीस[(1)] है ।

सुवाल नम्बर 28 : बिदअ़ती व फ़ासिक़ की इमामत मकरूह व ममनूअ़ है या नहीं ? इस की क्या सनदें हैं ?

जवाब : हां मकरूह है। देखो त़ह़त़ावी, दुर्रे मुख़्तार और त़ह़त़ावी मराक़िल फ़लाह़ और तबय्यीनुल ह़क़ाइक़ इमाम ज़ैलई और रद्दुल मुह़तार और ग़ुनिय्या[(2)] और सग़ीरी और फ़त्हुल मुबीन वग़ैरा ।

सुवाल नम्बर 29 : ला मज़हबी फ़िस्क़ है या नहीं ?

जवाब : ला मज़हबी हर फ़िस्क़ से बद तर फ़िस्क़ है कि येह बद मज़हबी है। देखो "**ग़ुनिय्या**"।[(3)] त़ब्अ़ क़ुस्तुन्तुनिया ।

सुवाल नम्बर 30 : इमाम बनाना दीनी ता'ज़ीम है कि नहीं ? और मुबतदेअ़ की दीनी ता'ज़ीम ह़राम है या नहीं ?

जवाब : हां। देखो रद्दुल मुह़तार और फ़त्ह़ व त़ह़त़ावी[(4)] और ज़ैलई वग़ैरा और मिश्कात शरीफ़ वग़ैरा में ह़दीस है कि "जो

---

(1).....صحيح البخاري كتاب الإيمان،باب خوف المؤمن من أن يحبط ألخ،
ج ١،ص ٣٠،رقم الحديث:٤٨،دار الكتب العلمية،بيروت

(2).....ردالمحتار مع الدر المختار،كتاب الصلاة،باب الإمامة،مطلب:البدعة خمسة أقسام،ج ١،ص ٤٠٢،دار الفكر،بيروت

(3).....''غنية المستملي''المشتهر بحلبي كبير، فصل الإمامة،بحث:الأولى بالإمامة،ص ٥١٤،سهيل اكيڈمى لاهور-

(4).....ردالمحتار على الدر المختار،كتاب الصلاة،باب الإمامة ج ٢، ص ٣٥٦-٣٥٥، دارالمعرفة،بيروت،لبنان

किसी बिदअ़त वाले की ता'ज़ीम करे बेशक उस ने इस्लाम के ढाने में मदद दी''[1]

सुवाल नम्बर 31 : कोई ह़दीस सह़ीह़ पेश कर सकते हैं जिस से ज़ाहिर हो कि मुबतदेए़ फ़ासिक़ की इमामत मकरूह व नादुरुस्त है ?

जवाब : एक ह़दीसे सह़ीह़ जो अभी गुज़री और सिह़ाह़ सत्ता से सुनने इब्ने माजा में है कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने खुत़बा इरशाद फ़रमाया :

لَا يؤمُّ فاجرٌ مومناً إلا أن يقهره بسلطان، يخاف سيفه وسوطه[2]

कोई फ़ासिक़ किसी मुसलमान की इमामत न करे मगर इस ह़ालत में कि वोह अपनी सलत़नत के ज़ोर से उसे दबाए कि येह उस की तल्वार और ताज़ियाने का ख़ौफ़ रखता हो ।

सुवाल नम्बर 32 : जिस त़रह़ नमाज़ ह़नफ़ी की, शाफ़ेई के पीछे जाइज़ है तो इसी त़रह़ ग़ैर मुक़ल्लिदों के पीछे क्यूं नहीं जाइज़ है अगर वोह भी रिआ़यत मज़हबे मुक़्तदी कर लेवें ?

जवाब : शाफ़ेईय्या अहले सुन्नत हैं, इन पर ग़ैर मुक़ल्लिदों का क़ियास नहीं हो सकता । यहीं देखिये, ह़ज़रते मौलाना मुह़म्मद सईद बाबसील सरदारे उ़लमाए मक्कए मुअ़ज़्ज़मा शाफ़ेइय्युल मज़हब हैं इन्हों ने और दीगर मज़ाहिबे अहले सुन्नत के मुफ़्तियाने अ़रब ने इन ग़ैर मुक़ल्लिदों को बिल इत्तिफ़ाक़ ''**गुमराह**'' लिखा है, अभी मैं शाफ़ेइय्या की निस्बत भी फ़तावा आ़लमगीरी का

---

(1).....مشکاۃ المصابیح، کتاب الإیمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنّۃ، ص ۳۱، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی

(2)..... سنن ابن ماجۃ، کتاب : إقامۃ الصلاۃ، باب في فرض الجمعۃ، ج ۲، ص ۵، رقم الحدیث: ۱۰۸۱، دار المعرفۃ، بیروت۔

हवाला दे चुका हूं कि हनफ़ी से तअस्सुब रखें तो उन के पीछे भी नमाज़ मन्अ़ है न कि ग़ैर मुक़ल्लिदीन कि बद मज़्हब और बद मज़्हब भी ऐसे जिन में बहुत कुफ़्रिय्या बिदअ़तें हैं और हनफ़िय्या से तअस्सुब इतना कि उन को "**मुशरिक**" कहते हैं।

सुवाल नम्बर 33 : बा'ज़ इबारात फुक़हा में, मिस्ले शामी वग़ैरा के जो मज़्कूर है कि नमाज़, बिर्र व फ़ाजिर की इक़्तिदा में जाइज़ है। अ़ला हाज़ा हदीस (1) صلوا خلف كل بِرّ و فاجر इस जवाज़ से क्या मुराद है ?

जवाब : येह जवाज़ इस मा'ना पर है कि फ़र्ज़ उतर जाएगा, न येह कि कोई कराहत नहीं। मैं इन्हीं शामी के दो अक़्वाल से बयान कर चुका कि "फ़ासिक़ व मुबतदेअ़ के पीछे नमाज़ मकरूह व मन्अ़ है।" अस्ल बात येह है कि नमाज़े आ़म की इमामत सलातीन खुद करते हैं या वोह जिसे वोह मुक़र्रर करें, और बा'ज़ वक़्त हुक्काम बद मज़्हब या फ़ासिक़ भी हुवे, उन के पीछे नमाज़ पढ़ने से वोही अन्देशा था तल्वार और ताज़ियाने का, जो हदीस में गुज़रा। इसी बिना पर येह हदीस आई है कि ज़रूरत के वक़्त इन के पीछे पढ़ ले। और उ़लमा ने फ़रमाया है कि "येह हुक्म इस सूरत में है कि उस का फ़िस्क़ हद्दे कुफ़्र तक न पहुंचा हो और कोई मर्दे सालेह मौजूद न हो।" देखो "अश्अ़तुल लमआ़त शर्हे मिश्कात"(2) और फिर इस हदीस के नीचे साफ़ लिख दिया

---

(1).....**हदीस का तर्जमा :** हर नेक व फ़ासिक़ के पीछे नमाज़ पढ़ो।
(كشف الخفاء، الجزء الثاني، ص ٢٦، رقم الحديث: ١٦٠٩، دار الكتب العلمية، بيروت)

(2).....أشعة اللمعات، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ١، ص ٥١٧، مكتبة رشيديه، سركى روڈ، كوئٹه

है कि "**इन के पीछे नमाज़ मकरूह**" है। देखो "मिर्क़ात शर्हे मिश्कात"[(1)] इलावा बरीं इस ह़दीस की सिह़ह़त में भी उ़लमाए मुह़द्दिसीन, मिस्ल दारे क़ुत़्नी वग़ैरा को कलाम है और इस ह़दीस का शुरूअ़ का टुकड़ा येह है। جاهدوا مع کل برأ کان أو فاجرا[(2)] या'नी हर सुल्त़ान के साथ जिहाद करो चाहे वोह नेक हो या बद। इसी से पता चलता है कि यहां बादशाहों का ज़िक्र है। मगर ग़ैर मुक़ल्लिदीन इस ह़दीस पर अपनी ख़ास ग़रज़ों के लिये ज़ोर देते हैं कि अगर्चे मुबतदेअ़ और फ़ासिक़ हैं मगर इन के पीछे नमाज़ पढ़नी वाजिब है और इन के पेश्वा इस्माईल देहलवी ने भी येही ह़दीस लोगों को वा'ज़ में सुना कर जिहाद पर उभारा था।

सुवाल नम्बर 34 : जवाज़ का इत़लाक़, **मकरूह**[(3)] पर भी आता है या नहीं ?

जवाब : आता है देखो ! "**रद्दुल मुह़तार**"[(4)]

सुवाल नम्बर 35: मस्जिद जो अहले सुन्नत बनाएं, वोह ख़ास अपने फ़िर्क़े के लिये बनाते हैं या आ़म कलिमा गोयों के वासित़े ?

जवाब : ख़ास अपने फ़िर्क़े के लिये कि उन की मज़हबी मस्अले

---

(1).....مرقاة شرح المشكاة،كتاب الصلاة،باب الإمامة،ج٣،ص ٢٠١، رقم الحديث: ١١٢٥،دارالفكر،بيروت۔

(2).....التحقيق في أحاديث الخلاف، ،لم نجد فيه إلا بلفظ "وجاهدوا مع كل بر و فاجر"،الحديث الثالث،طريق ثالث،ج ١،ص٤٧٥،دار الكتب العلمية، بيروت

(3).....**मकरूह**, फ़िक़्ह की एक इस्तिलाह़ का नाम है जिस का मत़लब है "**नापसन्दीदा काम**" जवाज़ पर मकरूह की मिसाल जैसे त़लाक़ देना जाइज़ है मगर बिला वजह शरई हो तो "**मकरूह**" है।

(4).....ردالمحتار على الدرالمحتار،كتاب الطهارة،مطلب: قد يطلق الجائز على ما لا يمتنع شرعاً ألخ، الجزء الأول،ص١٣،دار الفكر، بيروت۔

से मुबतदेओं के साथ नमाज़ पढ़ने की मुमानअ़त है देखो अ़रब शरीफ़ का फ़तावा सफ़हा **80**[1] जो मैं ने दाख़िल किया है।

सुवाल नम्बर 36 : मुबतदेअ़ के साथ मैल जोल करने से मन्अ़ होने के अज़् रूए शरअ़ क्या दलाइल हैं ?

जवाब : कुरआने मजीद में है

﴿وَاِمَّا یُنۡسِیَنَّکَ الشَّیۡطٰنُ فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ الذِّکۡرٰی مَعَ الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِیۡنَ﴾[2]

और अगर तुझे भुला दे शैत़ान तो याद आने पर ज़ालिमों के पास न बैठ। तफ़्सीरे अह़मदी में है कि ज़ालिमों से मुराद काफ़िर मुबतदेअ़ और फ़ासिक़ सब हैं [3]والقعود مع کلھم ممتنع या'नी इन सब के पास बैठना मन्अ़ है।

सुवाल नम्बर 37 : और कोई रिवायत ऐसी भी साबित है जिस से मुबतदेईन के जनाज़े की नमाज़ पढ़नी और उन के साथ नमाज़ पढ़नी मन्अ़ है ?

जवाब : फ़तावल ह़रमैन के सफ़ह़ा **80** पर येह ह़दीस है। إن مرضوا فلاتعودوھم و إن ماتوا فلا تشھدوھم[4] और येह ह़दीस है।

لا تجالسوھم ولا تشاربوھم ولا تؤ اکلو ھم ولا تناکحوھم[5]

और येह ह़दीस है।

---

(1).....فتاوٰی الحرمین برجف ندوۃ المین، فصلِ اوّل، عام بدمذہبوں اورخاص الخ ص۶، ناشر رضا اکیڈمی بمبئی۔

(2)..... پ ۷، الانعام: ۶۸

(3).....التفسرات الأحمدیة، پ۷، الأنعام:۶۸، ص۳۸۸، مکتبہ اکرمیہ، محلہ جنگی، عقب، قصّہ خوانی بازار، پشاور۔

(4).....کشف الخفاء، الجزء الأول، ص ۳۹۱، رقم الحدیث ۱۴۳۹ دار الکتب العلمیہ، بیروت

(5).....کتاب الضعفاء، باب الألف ، رقم الحدیث ۱۵۴ ،ا لجزء الأوّل، ص ۱۴۴ ، دار الصمیعي السّعودیة

لا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم[1] या'नी मुबतदेअ़ लोग बीमार पड़े तो उन को पूछने को न जाओ और अगर मर जाएं तो उन के जानाज़े पर न जाओ और उन के साथ न बैठो और उन के साथ खाना पीना, शादी बियाह न करो, उन के जनाज़े की नमाज़ न पढ़ो उन के साथ नमाज़ न पढ़ो।

सुवाल नम्बर 38 : क्या मस्जिद में सब मुसलमानों का हक़ होता है ? और मुसलमान किसे कहते हैं ?

जवाब : मुसलमान वोह है जो हमारे नबी صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की उम्मत हो। उम्मत के दो मा'ना हैं। **उम्मते दा'वत**, जिन्हें नबी صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने हक़ की त़रफ़ बुलाया। यूं तो तमाम आ़लम, हमारे नबी صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की उम्मत हैं और **उम्मते इजाबत**, वोह जिन्हों ने बुलाना क़बूल किया और हक़ को पूरा माना, जब उम्मत, मुत़लक़ बोलते हैं। येही दूसरे मा'ना मुराद होते हैं। इस मा'ना पर जो मुसलमान है उस के लिये मस्जिद में हक़ है मगर मुबतदेअ़ इस मा'ना में दाख़िल नहीं। देखो "तौज़ीह़" **इमाम सदरुश्शरीआ़**[2] और **"तल्वीह़"**[3] इमाम तफ़्ताज़ानी

सुवाल नम्बर 39 : क्या सब मुसलमान जो उम्मते इजाबत हों या'नी अहले सुन्नत हों, उन सब का हक़ मस्जिद में बराबर है ?

(1)......العلل المتناهية، كتاب السنة و البدع، باب ذم الرافضة، الجزء الأول، ص ١٢٨، دار الكتب العلمية، بيروت

(2)....सदरुश्शरीआ़ से मुराद यहां उ़बैदुल्लाह बिन मसऊ़द رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه हैं

(3).....التوضيح والتلويح، الركن الثالث في الإجماع، ج٢، ص٥٢٨، مير محمد كتب خانه كراچی۔

जवाब : उन सब का हक़ भी बराबर नहीं। बल्कि जो मस्जिद जिस क़बीले के लिये बने, उस का हक़ उस में मुक़द्दम है। वोह वक़्ते हाजत, औरों को इस में नमाज़ पढ़ने से रोक सकते हैं। देखो दुर्रे मुख़्तार।[1]

सुवाल नम्बर 40 : किसी वजह और किसी मस्लेहत से मुसलमान को, जिस का हक़ मस्जिद में था, निकाल देना जाइज़ है या नहीं ? और रोकने वाला ब मूजिब आयत शरीफ़ ﴿وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللهِ﴾الآية[2] के, ज़ालिम कहलाएगा या नहीं ?

जवाब : बहुत सी सूरतों में मुसलमान को मस्जिद से रोकना और निकाल देना शरीअ़त ने जाइज़ रखा है बल्कि हुक्म दिया है, अज़ां जुम्ला लहसन और कच्ची प्याज़ खाने वाला और ह़दीस में है من وجب سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا[3] जो गुन्जाइश पाए और क़ुरबानी न करे, वोह हमारे मुसल्ले के पास न आए। देखो इब्ने माजा। फ़िक़्ह में हुक्म है कि मूज़ी शख़्स को मस्जिद से निकाल दिया जाए। जिस के आने से बरहमी पैदा होती है। देखो अश्बाह और दुर्रे मुख़्तार, उ़म्दतुल क़ारी शर्हे सहीह़ बुख़ारी[4] और आयत

---

(1).......الدر المختارمع رد المحتار،كتاب الصلاة،باب مايفسد الصلاة، ج٢،ص٥٢٨،دار المعرفة،بيروت،

(2).....**तर्जमए कन्ज़ुल ईमान :** और इस से बढ़ कर कौन ज़ालिम जो **अल्लाह** की मस्जिदों को रोके। (پ١،البقرة:١١٤)

(3).....ابن ماجة،كتاب الأضاحي،باب: الأضاحي واجبة ألخ، رقم الحديث: ٣١٢٣،الجزء الثالث،ص٥٢٩،دار المعرفة بيروت

(4).....الدر المختار مع ردالمحتار،كتاب الصلاة،باب مايفسد الصلاة،ج٢،ص٥٢٦،دار المعرفة،بيروت

शरीफ़ में **फ़ासिक़**[1] बिला वजहे शरई मस्जिदों से लोगों को बाज़ रख कर इन्हें वीरान कर देने की बुराई का बयान है, वरना खुद इसी आयत में मुफ़्सिदों की निस्बत फ़रमाया है कि **उन्हें मस्जिद में आने का ह़क़ नहीं है मगर डरते हुवे**।[2]

सुवाल नम्बर 41 : ग़ैर मुक़ल्लिदीन अगर सुन्नियों की जमाअ़त में आ कर शरीक हों तो सुन्नियों का कोई मज़हबी ह़रज है ?

जवाब : कई ह़रज हैं। एक तो येह कि सुन्नियों के मज़हबी मस्अले से इन के साथ नमाज़ मन्अ़ है। देखो "**फ़तावल ह़रमैन" सफ़ह़ा 80**।[3] दूसरे येह कि सुन्नियों को मुशरिक और इन के इमामों को बुरा कहते हैं, तो नमाज़ में इन का पास होना, इन्हें ग़ैज़ आने का बाइ़स होता है और अस्ल मक़्सूद नमाज़ कि ज़िक्रे इलाही है इस में ख़लल पड़ता है। तीसरे, ग़ैर मुक़ल्लिदीन जब अपने त़रीक़े से वुज़ू करें और नमाज़ पढ़ें तो हमारे मज़हब में वोह नमाज़ से बाहर हैं क्यूंकि इन की नमाज़ और वुज़ू ठीक नहीं और जो नमाज़ से बाहर हो उसे नमाज़ की सफ़ों में खड़ा करना गुनाह है।

सुवाल नम्बर 42 : क्या ह़नफ़ियों को **इस्तिह़क़ाक़**[4] अपने मज़हबी मस्अले की रू से है कि ग़ैर मुक़ल्लिदों को अपनी मसाजिद में आने से रोकें ?

जवाब : हां कई वजह से इस्तिह़क़ाक़ है।

---

(1).....ए'लानिय्या गुनाहों में मुब्तला रहने वाला।

(2).....پ ۱، البقرۃ:۱۱۴

(3).....فتاوی الحرمین برجف ندوۃ المین، فصلِ اوّل، عام بدمذہبوں اورخاص ارالخ ص۶، ناشر رضا اکیڈمی بمبئی

(4).....ह़क़

अव्वल : उन के आने से फ़ितना होता है कि जिस के सबब मुल्क में बकसरत **फ़ौजदारी**[1] के मुक़द्दमे हुवे और **मचलकों**[2] वग़ैरा तक नौबत पहुंची और फ़ितने का बन्द करना, अ़क़्ल व शरअ़ व क़ानून सब में वाजिब है।

दुवुम : इन के आने से नमाज़ियों को नफ़रत होती है और जो वजहे नफ़रत हो मस्जिद से रोका जाएगा। जैसे जुज़ामी या वोह जिस का बदन पीप हो गया हो, ह़ालांकि इन का अपना कोई क़ुसूर भी नहीं तो बद मज़हब बदरजए औला रोका जाएगा।

सिवुम : उन के फ़ितने के ख़ौफ़ से नमाज़ी मस्जिद को छोड़ बैठे तो मस्जिद वीरान हुई और न छोड़ा और फ़ितना उठे तो जैल आबाद हुवे। मस्जिदें यूं भी वीरान हुईं और ग़म व ग़ुस्सा खाया तो नमाज़ ख़राब हुई।

सुवाल नम्बर 43 : नसाराए नजरान का वफ़्द ब ख़िदमते हु़ज़ूर सरवरे आ़लम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم मस्जिद शरीफ़ में आना किस हैसिय्यत से था और हु़ज़ूर ने मन्अ़ क्यूं न फ़रमाया ?

जवाब : नसाराए नजरान अमान ले कर ह़ाज़िर हुवे थे और जो अमान ले कर आए उस से तअ़र्रुज़ जाइज़ नहीं, इस लिये बा वुजूद इस के कि सह़ाबए किराम ने इन को रोकना चाहा नबी صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने मन्अ़ फ़रमाया। देखो **"ज़ुरक़ानी शर्हे मवाहिब"**

सुवाल नम्बर 44 : मस्जिदे ह़राम, ख़्वाह और मसाजिद में कुफ़्फ़ार का आना इमाम शाफ़ेई व इमाम मालिक व इमाम अह़मद बिन ह़म्बल (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُم) के नज़्दीक जाइज़ है कि नहीं ?

जवाब : इमाम मालिक तो मुत़लक़न इजाज़त नहीं देते और इमाम शाफ़ेई व इमाम अह़मद मस्जिदुल ह़राम में मन्अ़ करते हैं और

(1).....लड़ाई झगड़ा या फ़साद (2).....तह़रीरी मुआ़हदे

इमाम मुह़म्मद का भी येही मज़हब है और येह इख़्तिलाफ़ ज़िम्मियों के बारे में है, जो सलत़नते इस्लाम में मुत़ीए़ इस्लाम हो कर रहें। देखो जामेए़ सग़ीर इमाम मुह़म्मद, हिदाया व दुर्रे मुख़्तार।(1)

सुवाल नम्बर 45 : इमामे आ'ज़म رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه के नज़्दीक कुफ़्फ़ार का मस्जिद में ह़क़्दार बन कर आना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब : नहीं जाइज़ है, देखो हिदाया।(2)

सुवाल नम्बर 46 : कुफ़्फ़ारे मुस्तामिन पर मुद्दइयाने इस्लाम का क़ियास सह़ीह़ हो सकता है या नहीं ?

जवाब : हरगिज़ नहीं। अभी ह़दीसों से गुज़रा कि **मुस्तामिन**(3) को नबी صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने मस्जिद में आने से न रोका और नमाज़ पढ़ने दी और कच्चा लहसन और प्याज़ खाने वाले मुसलमान को मस्जिद से मन्अ़ फ़रमाया और क़ुरबानी छोड़ने वाले को हुक्म हुवा कि हमारे मुसल्ले के पास न आए और मुनाफ़िक़ीन कलिमा गो मुद्दइय्याने इस्लाम को ख़ास जुमुआ़ के मजमअ़ में एक एक का नाम ले कर मस्जिदे अक़्दस से निकलवा दिया कि اُخْرُجْ يَافُلَانُ فَاِنَّكَ مُنَافِقٌ۔ اُخْرُجْ يَا فُلَانُ فَاِنَّكَ مُنَافِقٌ(4) निकल जा ! ऐ फ़ुलां कि तू मुनाफ़िक़ है। निकल जा ! ऐ फ़ुला कि तू मुनाफ़िक़ है।

---

(1).....الهداية، كتاب الكراهية/ مسائل متفرقة، الجزء الرابع، ص۳۷۹، دار إحياء التراث والعربي، بيروت، الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحظر و الإباحة، فصل في البيع، ج۹، ص۵۰۷، دار الفكر، بيروت

(2)..... الهداية

(3).....अम्न चाहने वाला, पनाह मांगने वाला। येह फ़िक़्ह की एक इस्तिलाह़ है जिस में मुस्लिम हुकूमत की त़रफ़ से आ़इद कर्दा शराइत़ की पाबन्दी करने से कोई ग़ैर मुस्लिम या ग़ैर मुल्की उस की पनाह में आ जाता है फिर उस के जान व माल, इ़ज़्ज़त, आबरू की ह़िफ़ाज़त हुकूमत के ज़िम्मे हो जाती है।

(4)....مجمع الزوائد، كتاب التفسير، الباب ١٠، رقم الحديث:١١٥٣، الجزء السابع، ص١١١، دار الفكر بيروت

सुवाल नम्बर 47 : किसी शख़्स का दा'वए इस्तिह़्क़ाक़े इमामत का बानिये मस्जिद या अवलादे बानिये मस्जिद के होते हुवे क़ाबिले ए'तिबार है या बात़िल है ? और अवलादे बानिये मस्जिद को ह़क़, इमाम व मुअज़्ज़िन वग़ैरा का ह़ासिल है या औरों को ?

जवाब : औरों को दा'वा बानिये मस्जिद या उस की अवलाद के आगे, ख़िलाफ़े फ़िक़्ह है। देखो **आ़लमगीरी** व **क़ाज़ी ख़ान**।[1] और इमाम व मुअज़्ज़िन क़ाइम करने का ह़क़ बानिये मस्जिद को है और वोह न हो तो उस की अवलाद को। देखो "**ह़मवी शर्ह़े अश्बाह**"।[2]

सुवाल नम्बर 48 : तक़र्रुरे इमाम में बह़ालते इख़्तिलाफ़, क़िल्लते राए का ए'तिबार है या कसरत का ?

जवाब : कसरते राए का ए'तिबार है यहां तक कि अगर जमाअ़ते कसीर जिसे चाहे, उस से वोह अफ़्ज़ल हो जिसे जमाअ़ते क़लील चाहे तो वोही मुक़र्रर होगा जिसे जमाअ़ते कसीर ने चाहा, देखो **आ़लमगीरी** वग़ैरा।

सुवाल नम्बर 49 : मस्जिदे जामेअ़ में इमाम व ख़त़ीब के रहते हुवे दूसरे को इमामत व ख़ित़ाबत का ह़क़ ह़ासिल है या नहीं ?

---

(1)....الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب السابع، فصل كره غلق باب المسجد، ج ١، ص ١١١، المكتبة الرشيدية، كوئٹه، الفتاوٰى الخانية، كتاب الصلاة، باب الأذان، فصل فيمن يصح الاقتداء ألخ، أولين، ص ٤٥، مكتبهٔ حقانيه، پشاور۔

(2).... غمز العيون، شرح الأشباه للحموي

जवाब : नहीं। बल्कि उस की बिग़ैर इजाज़त के ख़ुत़बा पढ़े या इमामत करे तो नमाज़ ही न होगी। देखो आ़लमगीरी व रद्दुल मुह़तार व फ़तावा **सिराजिय्या**(1) वग़ैरा।

सुवाल नम्बर 50 : قوله تعالى ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ﴾(2) से इजमाअ़ व क़ियास का सुबूत है या इस का रद्द ?

जवाब : सुबूत है। देखो "**तफ़्सीरे कबीर**"(3) इमाम राज़ी वग़ैरा।

सुवाल नम्बर 51 : इस आयत में "اُولِي الْاَمْرِ" से क्या मुराद है और "فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ" के मुख़ात़िब कौन लोग हैं ?

जवाब : मुज्तहिदीन। देखो "**तफ़्सीरे कबीर**"(4)

सुवाल नम्बर 52 : "اُولِي الْاَمْرِ" के अन्दर वोह मुफ़स्सिरीन व मुह़द्दिसीन जो रुत्बए इजतिहाद तक नहीं पहुंचे हैं वोह भी दाख़िल हैं या नहीं ? उन की भी इत़ाअ़त व तक़्लीद वाजिब है कि नहीं ?

जवाब : नहीं। देखो "**तफ़्सीरे कबीर**"(5)

---

(1).....الفتاوى العالمكيرية،كتاب الصلاة،الباب الخامس في الإمامة،الفصل الثاني في بيان من هو أحق بالإمامة، ج ١، ص ٨٤، المكتبة الرشيدية،كوئٹه۔

(2).....ऐ ईमान वालो ! हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का और उन का जो तुम में हुकूमत वाले हैं फिर अगर तुम में किसी बात का झगड़ा उठे तो उसे अल्लाह और रसूल के हुज़ूर रुजूअ़ करो (پ٥،النساء:٥٩)

(3).....التفسير الكبير للإمام الرازي، پ٥، النساء: ٥٩، ج٤، ص ١١٢، دار إحياء التراث العربي،بيروت

(4).....التفسير الكبير، پ ٥، النساء: ٥٩، ج٤، ص ١١٣، دارإحياء التراث العربي،بيروت

(5).....التفسير الكبير،پ٥،النساء: ٥٩، ج٤، ص ١١٧، دارإحياء التراث العربي،بيروت

सुवाल नम्बर 53 : फिर ऐसे ह़ज़रात किस हुक्म में दाख़िल हैं ?

जवाब : उन पर भी तक़्लीद वाजिब है। देखो तफ़्सीरे कबीर[1] और **मुसल्लमुस्सुबूत** और **फ़सूलुल बदाइअ़** वग़ैरा।

सुवाल नम्बर 54 : इन से निज़ाअ़, सिर्फ़ आमीन बिल जह्‌र व रफ़अ़ यदैन पर है या क्या ?

जवाब : ग़ैर मुक़ल्लिदों से अस्ल निज़ाअ़ इस पर है कि वोह तक़्लीद के मुन्किर हैं, क़ियास के मुन्किर हैं, मुक़ल्लिदीन को मुशरिक कहते हैं, अम्बिया व औलिया की जनाब में गुस्ताख़ियां करते हैं। येह **आमीन बिल जह्‌र**[2]

---

(1).....التفسير الكبير،پ٥،النساء:٥٩،ج٤،ص ١١٧،دار إحياء التراث العربي،بيروت

(2).....बुलन्द आवाज़ से **आमीन** कहना। अह़नाफ़ के नज़्दीक हर नमाज़ी ख़्वाह इमाम हो या मुक़्तदी या अकेला और नमाज़ जहरी हो या सिर्री आमीन आहिस्ता कहे मगर ग़ैर मुक़ल्लिद वहाबियों के नज़्दीक जहरी नमाज़ में इमाम व मुक़्तदी बुलन्द आवाज़ से आमीन कहें। आहिस्ता आमीन कहना हुक्मे ख़ुदा व रसूल (عَزَّوَجَلَّ وصَلَّی اللہ تعالٰی علیہ والہٖ وسلَّم) के मुवाफ़िक़ है चीख़ से आमीन कहना क़ुरआने करीम के भी ख़िलाफ़ है और सुन्नत के भी मुख़ालिफ़ है। रब तआ़ला फ़रमाता है :

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً (پ٨،الاعراف:٥٥)

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : "अपने रब से दुआ़ करो गिडगिड़ाते और आहिस्ता" चूंकि आमीन भी दुआ़ है। लिहाज़ा येह भी आहिस्ता कहनी चाहिये, रब तआ़ला तो अपने इल्म व क़ुदरत के ए'तिबार से हमारी शह रग से भी ज़ियादा क़रीब है फिर चीख़ने की क्या ज़रूरत है ? बुख़ारी व मुस्लिम, अह़मद, मालिक, अबू दावूद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने ह़ज़रते अबू हुरैरा رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ से रिवायत की, कि फ़रमाया रसूलुल्लाह صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो क्यूंकि जिस की आमीन फ़िरिश्तों की आमीन के मुवाफ़िक़ होगी उस के गुज़श्ता गुनाह बख़्श दिये जाएंगे। इस ह़दीस से मा'लूम हुवा कि गुनाह की मुआ़फ़ी उस नमाज़ी के लिये =

व रफ़अ़ यदैन(1) करना उन का भी, किसी इमाम की तक़्लीद से नहीं कि येह तो तक़्लीद के क़ाइल नहीं ।

सुवाल नम्बर 55 : क्या शीआ़ के पीछे नमाज़ जाइज़ है कि नहीं ?

जवाब : शीआ़ में जो सिर्फ़ तफ़्ज़ीली है कि सब सहा़बा को अच्छा जानता है । अहले सुन्नत से फ़क़त़ इतनी मुख़ालफ़त रखता है कि मौला अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ को शैख़ैन (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا)

= है जिस की आमीन फ़िरिश्तों की आमीन की त़रह़ होगी और ज़ाहिर है फ़िरिश्ते आहिस्ता आमीन कहते हैं हम ने उन की आमीन आज तक न सुनी तो चाहिये कि हमारी आमीन भी आहिस्ता हो ताकि फ़िरिश्तों की मुवाफ़क़त हो और गुनाहों की मुआ़फ़ी हो, जो लोग चीख़ कर आमीन कहते हैं वोह फ़िरिश्तों की आमीन की मुख़ालफ़त करते हैं ।
(माख़ूज़ अज़ जाअल ह़क़ मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान नई़मी رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ स. 518, मत़बूआ़ ज़ियाउ़ल क़ुरआन पब्लीकेशन्ज़ कराची)

(1).....हाथों के उठाने को कहते हैं अह़नाफ़ अहले सुन्नत के नज़्दीक रुकूअ़ में जाते वक़्त और रुकूअ़ से उठते वक़्त दोनों हाथ उठाना ख़िलाफ़े सुन्नत और ममनूअ़ है मगर वहाबी ग़ैर मुक़ल्लिद इन दोनों वक़्तों में रफ़अ़ यदैन करते हैं और इस पर बहुत ज़ोर देते हैं । इमाम अबू दावूद ने ह़ज़रते बरा बिन आ़ज़िब رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत किया कि "रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم जब नमाज़ शुरूअ़ फ़रमाते थे तो अपने हाथ अपने कानों के क़रीब तक उठाते थे (फिर नमाज़ से फ़ारिग़ होने तक) न उठाते थे"

(سنن أبي داوٗد، کتاب الصلاۃ،باب من لم یذکر اللدفع عند الرکوع ،الجزء الأول، ص ۲۹۲، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

त़ह़ावी शरीफ़ में ह़ज़रते अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि आप صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم नमाज़ की पहली तक्बीर में हाथ उठाते थे फिर नमाज़ की किसी ह़ालत में हाथ न उठाते थे ।

(شرح معانی الآثار، کتاب الصلوٰۃ، باب التکبیر للرکوع الخ ، ج ۱، ص ۲۸۸، دارالکتب العلمیہ بیروت)

इलावा अज़ीं जिन अह़ादीस में रफ़अ़ यदैन का हुक्म है वोह तमाम मन्सूख़ हैं (माख़ूज़ अज़ जाअल ह़क़)

से अफ़्ज़ल जानता है। इस के पीछे नमाज़ "सख़्त मकरूह" है। देखो "**अरकाने अरबआ़**"। और जो **तबर्राई**[(1)] है, उस के पीछे नमाज़ ब हुक्मे फ़ुक़हाए किराम "**महूज़ बातिल**" है। देखो ख़ुलासा, आ़लमगीरी[(2)] वग़ैरा और जो ज़रूरियाते दीन से किसी बात का मुन्किर है वोह किसी के नज़्दीक "**मुसलमान नहीं**" उस के पीछे नमाज़ बिल यक़ीन सब के नज़्दीक "**बातिल**" होगी।

सुवाल नम्बर 56 : और हर शीआ़ के पीछे जाइज़ है कि तफ़रीक़ है और जाइज़ बिला कराहत है या येह कराहत तह़रीमी ?

जवाब : नम्बर 55 में इस का जवाब आ गया।

सुवाल नम्बर 57 : क़ाबिले अ़मल मस्अला, **मुफ़्ता बिहा**[(3)] होता है कि **ग़ैर मुफ़्ता बिहा** ?

जवाब : मुफ़्ता बिहा, देखो "दुर्रे मुख़्तार"[(4)]

सुवालाते जई़द व जवाबात अज़ हुज़ूरे पुरनूर आ'ला ह़ज़रत क़िब्ला رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ

सुवाल नम्बर 1 : इल्मे दीन में कौन कौन सी किताबें हैं ?

जवाब : हज़ारहा किताबें हैं।

सुवाल नम्बर 2 : आप ने इल्मे दीन की कौन कौन सी किताबें दर्स की हैं ?

---

(1).....ह़ज़राते शैख़ैन अबू बक्र सिद्दीक़ व उ़मर फ़ारूक़ (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) को गालियां बकने वाले को **तबर्राई** कहते हैं।

(2)..... الفتاوى العالمكيرية

(3).....जिस क़ौल पर फ़तवा दिया जाता हो।

(4).....الدر المختار مع رد المحتار، مقدمة، المجلد الأوّل، ص٧٨، دار الفكر، بيروت

जवाब : तमाम **दर्से निज़ामी ।**[1]

सुवाल नम्बर 3 : कुरआने मजीद व ह़दीस शरीफ़ भी उ़लूमे दीन की किताबों में दाख़िल हैं या नहीं ?

जवाब : हैं ।

सुवाल नम्बर 4 : ह़दीस शरीफ़ में कौन कौन सी किताबें हैं ?

जवाब : बे शुमार किताबें हैं ।

सुवाल नम्बर 5 : आप ने कुरआने मजीद दर्स किया है या नहीं ?

जवाब : हां किया है و الحمد الله

सुवाल नम्बर 6 : आप ने ह़दीस शरीफ़ की किताबों में कौन कौन सी किताबें दर्स की हैं ?

जवाब : मुस्नदे इमामे आ'ज़म व मुअत्ता इमाम मुह़म्मद व किताबुल आसार इमाम मुह़म्मद व किताबुल ख़िराज इमाम अबू यूसुफ़ व किताबुल ह़ज इमाम मुह़म्मद व शर्हे मआ़नी अल आसार, इमाम त़ह़ावी व मुअत्ता इमाम मालिक व मुस्नदे इमाम शाफ़ेई व मुस्नदे इमाम अह़मद व सुनने दारिमी व बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दावूद तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा व ख़साइसे निसाई व मुन्तक़ा इब्नुलजार व दूअ़लल मुतनाहिय्या व मिश्कात, जामेए़ कबीर व जामेए़ सग़ीर व ज़ैल जामेए़ सग़ीर व मुन्तक़ा इब्ने तीमिय्या व बलूग़ुल मराम व अ़मलुल यौमु वल्लैलह इब्नुस्सुनी व किताबुत्तरग़ीब व ख़साइसे कुब्रा व किताबुल फ़र्ह

---

(1).....उ़लूमे इस्लामिय्या पर मुश्तमिल आठ साला मुरव्वजा कोर्स जो कि तक़रीबन तमाम मकातिब फ़िक्र में राइज है । इसे **आ़लिम कोर्स** भी कहा जाता है ।

बा'दशशदह व किताबुल अस्मा वस्सिफ़ात वग़ैरा, पचास से ज़ाइद कुतुबे ह़दीस, मेरे दर्स व तदरीस व मुत़ालए़ में रहीं।

सुवाल नम्बर 7 : आप कुरआने मजीद व ह़दीस शरीफ़ से पूरी त़रह़ से वाक़िफ़िय्यत रखते हैं या नहीं ?

जवाब : लफ़्ज़ी तर्जमा, बालाई मत़लब, ग़ैर इजतिहादी अह़काम, हर ख़ासो आ़म अपनी इस्ति'दाद के लाइक़ समझता है, अह़कामे इजतिहाद येह समझने पर मुज्तहिद के सिवा कोई क़ादिर नहीं।

सुवाल नम्बर 8 : मुसलमानों के यहां मज़हबी किताबों में कुरआने मजीद सब से अव्वल दरजे की किताब है या नहीं ?

जवाब : है।

सुवाल नम्बर 9 : मुसलमानों के यहां कुरआने मजीद के इ़लावा दीनी किताबों में सब से अव्वल दरजे की किताब, ह़दीस की किताब है या नहीं ?

जवाब : मुतबर्रक के ए'तिबार से ऐसा ही है और तह़सीले इ़ल्म की नज़र से अव्वल दरजा, कुतुबे अ़क़ाइद हैं, फिर कुतुबे फ़िक़ह, लिहाज़ा उ़लमा ने फ़रमाया है कि आ़म मुसलमानों को फ़िक़ह के बा'द ह़दीस की ह़ाजत नहीं। "حدیقہ ندیہ" علامہ عبد الغنی نابلسی جلداول[1]

सुवाल नम्बर 10 : मुसलमानों के यहां ह़दीस की किताबो में दरजे की तरतीब या'नी येह कि ह़दीस की किताबों में कौन अव्वल दरजे की किताब है। कौन दुवुम दरजे की, कौन सिवुम दरजे की ? عَلٰی هٰذَا الْقِیاس

जवाब : कोई तरतीब सह़ाबा व ताबेई़न के यहां न थी, न उस वक़्त तक येह किताबें तस्नीफ़ हुई थीं, तस्नीफ़ के बा'द बा'ज़

(1).......حدیقة الندیة

लोगों ने अपने ख़याल के मुताबिक़ मुख़्तलिफ़ तरतीबें ठहरा लीं जो मोहक़्क़िक़ीन को तस्लीम नहीं। देखो فتح القدیر شرح ھدایہ[1] वग़ैरा।

सुवाल नम्बर 11 : मुसलमानों के यहां ह़दीस की किताबों में अव्वल दरजे की किताब कौन है। फिर कौन, फिर कौन ?

जवाब : अभी बयान हो चुका है।

सुवाल नम्बर 12 : मुसलमानों के यहां सब से अव्वल दरजे की किताब "सह़ीह़ बुख़ारी" फिर "सह़ीह़ मुस्लिम" है या नहीं ?

जवाब : बुख़ारी व मुस्लिम भी नबी صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के ढाई सो बरस बा'द तस्नीफ़ हुईं। मुसलमानों के बहुत से फ़िर्क़े इन्हें मानते ही नहीं और इस के सबब वोह इस्लाम से ख़ारिज न हुए, मानने वालों में बहुत से लोग किसी ख़ास किताब को सब से अव्वल दरजे की नहीं कहते, इस का मदार सिह़्ह़ते सनद पर रखते हैं। बा'ज़ जो तरतीब रखते हैं वोह मुख़्तलिफ़ हैं। मशरिक़ी "**सह़ीह़ बुख़ारी**" को तरजीह़ देते हैं और मग़रिबी "**सह़ीह़ मुस्लिम**" को और ह़क़ येह है कि जो कुछ बुख़ारी या मुस्लिम अपनी तस्नीफ़ में लिख गए सब को **बे तह़क़ीक़** मान लेना, उन की बुरी तक़्लीद है जिस पर ग़ैर मुक़ल्लिदीन जम्अ़ हुवे हैं ह़ालांकि तक़्लीद को ह़राम कहते हैं, उन्हें ख़ुदा और रसूल याद नहीं आते। ख़ुदा और रसूल ने कहां फ़रमाया है कि जो कुछ "**बुख़ारी**" या "**मुस्लिम**" में है सब सह़ीह़ है।

सुवाल नम्बर 13 : आप ने जो अपना मज़हब बयान फ़रमाया है। इस मज़हब की इब्तिदा कब से है ?

जवाब : जब से इस्लाम आया और अह़काम उतरे।

---

(1)....فتح القدیر،

सुवाल नम्बर 14 : रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم व सहाबए किराम رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُم के ज़माने में येह मज़्हब था या नहीं ?

जवाब : था।

सुवाल नम्बर 15 : रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم व सहाबए किराम رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُم का येही मज़्हब था या नहीं ?

जवाब : रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم हर मज़्हबे हक़ के **मुब्दा व माख़ज़**(1) हैं, इन का मज़्हब पूछना उ़लमा के नज़्दीक कमाले हमाक़त है। देखो "**तोह़फ़ए असना अ़शरिय्या**" सफ़्हा नम्बर 85 में येह भी लिखा है कि "फ़ुक़हा सह़ाबा भी माख़ज़े मज़्हब" हैं। ग़रज़ येह कि येह मज़्हब उन के हैं ना कि वोह इन मज़्हबों के, नहरें दरया की हैं न कि दरया नहरों के।

सुवाल नम्बर 16 : आप मुक़ल्लिद हैं या ग़ैर मुक़ल्लिद ?

जवाब : मुक़ल्लिद।(2)

सुवाल नम्बर 17 : आप तक़्लीद क्यूं करते हैं, या'नी किस मजबूरी से आप को तक़्लीद करनी पड़ी ?

जवाब : जिस मजबूरी से एक लाख से ज़ाइद सह़ाबी मुक़ल्लिद हुवे और इस ज़माने में आ़म मुसलमान मुक़ल्लिद हुवे या'नी मन्सबे इजतिहाद ह़ासिल न किया। देखो **फ़त्हुल क़दीर** व फ़तावा ख़ैरिय्या।(3)

सुवाल नम्बर 18 : आइम्मए अरबआ़ किस ज़माने में पैदा हुवे और इन का इन्तिक़ाल कब हुवा ?

जवाब : इमाम अबू ह़नीफ़ा और इमामे मालिक, ज़मानए सह़ाबा رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُم में पैदा हुवे और ज़मानए ताबेइन में इन्तिक़ाल

(1).....इब्तिदा करने वाले और पकड़ने वाले (2).....आइम्मए अरबआ़ में किसी भी एक इमाम की तक़्लीद करने वाले को **मुक़ल्लिद** कहते हैं।

(3)....فتح القدير،

फ़रमाया और इमाम शाफ़ेई और इमाम अह़मद, ज़मानए ताबेईन में पैदा हुवे और ज़मानए तबए़ ताबेईन में इन्तिक़ाल फ़रमाया।

सुवाल नम्बर 19 : मुज्तहिद किस को कहते हैं ?

जवाब : जो आयात व अह़काम व असाबते अह़काम व त़रीक़े ह़दीस व शज़ूज़ो नकारत व नक़्दे रिजाल, अस्बाबे जर्ह़ व तअ़दील व इलल ग़ामिज़ा व वुजूहे नज़्म व सनूहे़ मा'ना व जमीअ़ मबादिये अदबिय्या व उसूलिय्या व नासिख़ व मन्सूख़ व मनाहिजे तरजीह़ व तत़बीक़ व मनाशिये हुक्म व मक़ासिदे शर्ह़ व मसालेहे़ ज़मन व अ़वाइदे उमम व मिज़ाने हुक्म व अक़ावीले सह़ाबा व मवाज़ए़ इजमाअ़ व मशारिए़ ख़िलाफ़ व अ़लले मुअस्सरह व जवामेए़ मुग़ीरह व मसाअ़ा ता'दिय्या व मवारिदे क़स्र वग़ैरहा व जम्ए़ मवारिदे ह़स्र की मा'रिफ़त में दरयाए ज़ख़्ख़ार, नापैदा किनार हो और इस के साथ ज़ेह्ने साक़िब व फ़िक्रे साइब व त़ब्ए़ नक़ाद, अ़क़्ल व मक़ाद व तौफ़ीक़े ख़ुदादाद रखता हो कि जुम्ला ماله،وماعليه के लिह़ाज़ से मन्सूस से मस्कूत का हुक्म अपनी राए से क़ाइम कर सके।(1)

---

(1).....मुज्तहिद वोह है जिस में इस क़दर इल्मी लियाक़त और क़ाबिलिय्यत हो कि क़ुरआनी इशारात और रुमूज़ समझ सके और कलाम के मक़्सद को पहचान सके और इस से मसाइल निकाल सके, नासिख़ व मन्सूख़ का पूरा इल्म रखता हो, इल्मे सर्फ़ व नह़्व व बलाग़त वग़ैरा में उस को पूरी महारत ह़ासिल हो, अह़काम की तमाम आयतों और अह़ादीस पर उस की नज़र हो इस के इलावा ज़की और ख़ुश फ़हम हो, जो इस दरजे पर न पहुंचा हो, वोह मुज्तहिद नहीं। मुज्तहिद के छे त़बक़े हैं (i) मुज्तहिद फ़िश्शरअ़ (ii) मुज्तहिद फ़िल मज़हब (iii) मुज्तहिद फ़िल मसाइल (iv) अस्ह़ाबे तख़रीज (v) अस्ह़ाबे तरजीह़ (vi) अस्ह़ाबे तमईज़

(i)...... **मुज्तहिद फ़िश्शरअ़ :** वोह ह़ज़रात हैं जिन्हों ने इजतिहाद कर के क़वाइद व उसूल बनाए जैसे चारों आइम्मा, इमाम अबू ह़नीफ़ा, इमाम शाफ़ेई, इमाम मालिक, इमाम अह़मद बिन ह़म्बल (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُم اَجْمَعِیْن)

सुवाल नम्बर 20 : चारों इमामे मज़्कूरा बाला, मुज्तहिद थे या नहीं ?

जवाब : थे ।

सुवाल नम्बर 21 : मुज्तहिद को तक़्लीद जाइज़ है या नहीं है ?

जवाब : इस में मुज्तहिदीन का इख़्तिलाफ़ है ।

(ii).....**मुज्तहिद फ़िल मज़्हब :** वोह ह़ज़रात हैं जो उन उसूल में इन की तक़्लीद करते हैं और उन उसूल से मसाइले शरइय्या फ़रइय्या ख़ुद इस्तिम्बात़ कर सकते हैं जैसे इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मुह़म्मद, इब्ने मुबारक (رَحْمَةُاللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن) कि येह क़वाइद में ह़ज़रते इमाम अबू ह़नीफ़ा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه के मुक़ल्लिद हैं और मसाइल में ख़ुद मुज्तहिद

(iii).....**मुज्तहिद फ़िल मसाइल :** वोह ह़ज़रात हैं जो क़वाइद और मसाइले फ़रइय्या दोनों में मुक़ल्लिद हैं मगर वोह मसाइल जिन के मुतअ़ल्लिक़ आइम्मा की तसरीह़ नहीं मिलती इन को (क़ुरआन व ह़दीस) वग़ैरा दलाइल से निकाल सकते हैं जैसे इमाम त़ह़ावी और क़ाज़ी ख़ां, शम्सुल आइम्मा सरख़सी वग़ैरहुम ।

(iv).....**अस्ह़ाबे तख़रीज :** वोह ह़ज़रात हैं जो इजतिहाद तो बिल्कुल नहीं कर सकते, हां आइम्मा में से किसी के मुजमल क़ौल की तफ़्सील फ़रमा सकते हैं जैसे इमाम कर्ख़ी عَلَيْهِ الرَّحْمَة वग़ैरा

(v).....**अस्ह़ाबे तरजीह़ :** वोह ह़ज़रात हैं जो अपने इमाम साह़िब की चन्द रिवायात में से बा'ज़ को तरजीह़ दे सकते हैं या'नी अगर किसी मस्अले में ह़ज़रते इमाम अबू ह़नीफ़ा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه के दो क़ौल रिवायत में आए तो इन में से किस को तरजीह़ दें ? येह ह़ज़रात वोह कर सकते हैं इसी त़रह़ जहां इमाम साह़िब और साह़िबैन का इख़्तिलाफ़ हो तो किस के क़ौल को तरजीह़ दे सकते हैं कि येह बेहतर है या वोह, वग़ैरा । जैसे साह़िबे क़ुदूरी और साह़िबे हिदाया वग़ैरा ।

(vi).....**अस्ह़ाबे तमईज़ :** वोह ह़ज़रात हैं जो ज़ाहिर मज़्हब और रिवायाते नादिरा, इसी त़रह़ क़ौले ज़ईफ़ और क़वी और अक़्वा में फ़र्क़ कर सकते हैं कि अक़्वाले मर्दूदा रिवायाते ज़ईफ़ा को तर्क कर दें और सह़ीह़ रिवायात और मो'तबर अक़्वाल को लें जैसे कि साह़िबे कन्ज़ और साह़िबे दुर्रे मुख़्तार । जिन में इन छे वस्फ़ों में से कुछ भी न हो वोह मुक़ल्लिद मह़्ज़ हैं जैसे हम और हमारे ज़माने के आ़म उ़लमा कि इन का सिर्फ़ येही काम है कि किताब से मसाइल देख कर लोगों को बता दें । (माख़ज़ अज़ जाअल ह़क़)

सुवाल नम्बर 22 : मुज्तहिद को तक़्लीद जाइज़ नहीं तो क्यूं जाइज़ नहीं ?

जवाब : अपना ह़ाल मुज्तहिदीन जानें, हमें इस से क्या बह़स ?

सुवाल नम्बर 23 : रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم व सह़ाबए किराम के ज़माने में, आ़म मुसलमानों का क्या मज़हब था ?

जवाब : दीन, दीने इस्लाम था। अ़क़ाइद, अ़क़ाइदे अहले सुन्नत, अस्ल आ'माल में गिनती के सह़ाबा मुज्तहिद थे बाक़ी सब मुक़ल्लिद।

सुवाल नम्बर 24 : रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم व सह़ाबए किराम के ज़माने में आ़म मुसलमानों का मज़हब ह़नफ़ी, शाफ़ेई, मालिकी, ह़म्बली था या नहीं मअ़ सनद बयान फ़रमाए ?

जवाब : इन चारों मज़हब के माख़ज़ वोही मज़हब हैं जो ज़मानए रिसालत व सह़ाबा में थे। अगर्चे कोई इस्तिलाह़ी नाम बा'द को ह़ादिस हो जैसे अ़क़ाइद में **अश्अ़री**(1) **मातरीदी**।(2) ग़ैर मुक़ल्लिदीन अपने आप को अहले ह़दीस कहते हैं और दा'वा करते हैं कि येही मज़हब, सह़ाबा के ज़माने में था। ह़ालांकि उस वक़्त कोई मज़हब अपने नाम से न पुकारा जाता था।

---

(1).....ह़ज़रते इमाम शैख़ अबुल ह़सन अश्अ़री رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه की पैरवी करने वालों को "**अश्अ़रिय्या**" कहते हैं।

(2).....इमामुल हुदा, ह़ज़रते अबू मन्सूर मातरीदी के मानने वालों को "**मातरीदिय्या**" कहा जाता है। अह़नाफ़, अ़क़ाइदे फ़रइय्या में इन्हीं के मुक़ल्लिद हैं। सदरुश्शरीआ़, बदरुत्तरीक़ा मौलाना अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ الرَّحْمَة इरशाद फ़रमाते हैं कि "दोनों जमाअ़तें (अश्अ़रिय्या, मातरीदिय्या) अहले सुन्नत ही की हैं और दोनों ह़क़ पर हैं आपस में सिर्फ़ बा'ज़ फ़ुरूअ़ का इख़्तिलाफ़ है, इन का इख़्तिलाफ़ ह़नफ़ी, शाफ़ेई का सा है कि दोनों अहले ह़क़ हैं कोई किसी की तज़्लील व तफ़्सीक़ नहीं कर सकता। (बहारे शरीअ़त जहेज़ एडीशन, ह़िस्सा अव्वल, जि. 1, स. 46 मत़बूआ़ मक्तबए रज़विय्या कराची)

सुवाल नम्बर 25 : किताब "**शर्हे मुसल्लमुस्सुबूत**" को आप जानते हैं ? और येह आप की किताब है या नहीं ?

जवाब : मुसल्लमुस्सुबत की कई शर्हें हैं और इन में हमारी कोई तस्नीफ़ नहीं और अगर येह मुराद है कि इन में जो कुछ लिखा है वोह सब हमें तस्लीम है या नहीं तो इस का येह ह़ाल है कि हम अपने इमाम से मुक़ल्लिद हैं इन मुसन्निफ़ों के मुक़ल्लिद नहीं, हम हमेशा **जमहूर सवादे आ'ज़म**[(1)] के पैरू हैं, जो बात जिस मुसन्निफ़ की खुसूसन ह़ाल के लोगों, खुसूसन हिन्दी मौलवियों की, जमहूर के ख़िलाफ़ हो, हमें तस्लीम नहीं हो सकती।

सुवाल नम्बर 26 : "**शर्हे मुसल्लमुस्सुबूत**" में इबारते ज़ैल दर्ज है या नहीं ? لا واجب إلا ما أوجب الله تعالى وله الحكم ولم يوجب على أحدٍ أن يتمذهب برجل من الأئمة فإيجابه تشريع شرع جديد या'नी वाजिब वोही है जिस को **अल्लाह** तआ़ला ने वाजिब फ़रमाया और हुक्म उसी को सज़ावार है और **अल्लाह** ने किसी पर येह वाजिब नहीं फ़रमाया कि इमामों में से किसी एक इमाम के मज़हब को लाज़िम पकड़े,

(1).....बड़ा गुरौह, मुसलमानों की सब से बड़ी जमाअ़ते ह़क़्क़ा को **सवादे आ'ज़म** कहते हैं। ह़दीस शरीफ़ में है। سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ثلثًا و سَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً (या'नी मेरी) "येह उम्मत तहत्तर फ़िर्क़े हो जाएगी एक फ़िर्क़ा जन्नती होगा बाक़ी सब जहन्नमी" सह़ाबा ने अ़र्ज़ की : مَنْ هُمْ يارسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "वोह नाजी (नजात पाने वाला) फ़िर्क़ा कौन है या रसूलल्लाह (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ।" आप (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ने इरशाद फ़रमाया : "مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِي वोह जिस पर मैं और मेरे सह़ाबा हैं।" (या'नी सुन्नत के पैरूकार) दूसरी रिवायात में هُمُ الجماعة वोह जमाअ़त है या'नी मुसलमानों का बड़ा गुरौह जिसे **सवादे आ'ज़म** फ़रमाया और फ़रमाया जो इस से अलग हुवा जहन्नम में अलग हुवा। इसी वजह से इस नाजी फ़िर्क़े का नाम अहले सुन्नत व जमाअ़त हुवा। (बहारे शरीअ़त, जहेज़ एडीशन, ह़िस्सा अव्वल, जि. 1, स. 47 मत़्बूआ़ मक्तबए रज़विय्या कराची)

पस एक इमाम का मज़्हब पकड़ने को वाजिब करना, एक नई शरअ़ क़ाइम करना है।

जवाब : "**मुसल्लमुस्सुबूत**" में येह क़ौल "**क़ील**" कर के लिखा है या'नी बा'ज़ लोगों ने यूं कहा और दुर्रे मुख़्तार और फ़तावा ख़ुलासा और बहरुर्राइक़ और फ़तावा ख़ैरिय्या व उ़क़ूदुद्दरिया व इह़याउ़ल उ़लूम वग़ैरा बकसरत कुतुबे मो'तमदा से साबित है कि जमहूर उ़लमा इस के ख़िलाफ़ पर हैं।(1) बल्कि इमाम हुज्जतुल इस्लाम ग़ज़ाली ने **इह़याउ़ल उ़लूम** की नवीं किताब के तीसरे बाब में तस्रीह़ फ़रमाई है कि तमाम उ़लमाए कामिलीन में कोई इस त़रफ़ न गया।(2)

सुवाल नम्बर 27 : और "शर्हे मुसल्लमुस्सुबूत" में इबारते ज़ैल दर्ज है या नहीं ليس للا تباع بمذهب واحد موجبٌ شرعى या'नी "कोई शरई दलील ऐसी नहीं है जिस से साबित हो कि एक मज़्हब का पैरू हो जाना वाजिब है।"

जवाब : येह भी बा'ज़ के क़ौल में यूं लिखा है कि मुक़ल्लिद जहां क़ौले इमाम की तक़्लीद कर चुका अब इस से नहीं फिर सकता, वरना जिस की चाहे तक़्लीद करे। साइल ने नाक़िस बात नक़्ल की। पूरी बात येह थी और इस में हर त़रह़ ग़ैर मुक़ल्लिदों का रद्द था, बा'दे तक़्लीद नहीं फिर सकता। येह तो साफ़ ग़ैर मुक़ल्लिदों का रद्द है और इस के क़ब्ल जिस की चाहे तक़्लीद करे। येह और ज़ियादा ग़ैर मुक़ल्लिद ही का रद्द है। क्यूंकि हर मस्अले में **अल्लाह** جَلَّ جَلَالُهٗ व रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का हुक्म एक ही होगा। वोह मुख़्तलिफ़ हुक्म न फ़रमाएंगे कि

(1)......الدر المختار،مقدمة،مطلب:طبقات الفقهاء،ج ١،ص٨٣ دارالفكر،بيروت۔

(2)......إحياء علوم الدين

एक ही चीज़ को जाइज़ भी फ़रमा दें और नाजाइज़ भी या वाजिब भी फ़रमा दें और ह़राम भी। मगर मुज्तहिदीन, येह आपस में मुख़्तलिफ़ हैं तो जिन में बा'ज़ ने इख़्तियार दिया कि जिस के क़ौल पर चाहे अ़मल करे। इस का साफ़ मत़लब ग़ैर मुक़ल्लिदों के नज़्दीक येह हुवा कि **"जाइज़ है"** चाहे ख़ुदा व रसूल جل و علا و صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم के मुवाफ़िक़ चले चाहे मुख़ालिफ़, तो इन में बा'ज़ ने ग़ैर मुक़ल्लिदों के त़ौर पर हर मुज्तहिद को **अल्लाह** व रसूल جل و علا و صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم के सिवा अस्ल ह़ाकिम बना लिया कि किसी मुज्तहिद का क़ौल देख लो और अ़मल कर लो। चाहे ख़ुदा व रसूल جل و علا و صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم के मुवाफ़िक़ हो या मुख़ालिफ़, तो येह बा'ज़ जो ग़ैर मुक़ल्लिदीन के नज़्दीक मुक़ल्लिदीन, इमामे वाह़िद से भी बढ़ कर मुशरिक हैं, इन के क़ौल से सनद लाना मह़्ज़ धोका है एक ही क़ौल पर हमेशा अ़मल हो तो यक़ीनी मुख़ालफ़त ख़ुदा व रसूल عَزَّوَجَلَّ وصلَّی اللہ تعالٰی علیہ والہٖ وسلَّم की न हुई। मुमकिन है इस के सब क़ौल, मुत़ाबिक़े हुक्मे ख़ुदा और रसूल جَلَّ جَلَالُہٗ وَ صلَّی اللہ تعالٰی علیہ والہٖ وسلَّم हो, लेकिन जब इख़्तियार दिया गया कि हर बात में जिस क़ौल पर चाहो अ़मल करो और इन में मुत़ाबिक़े हुक्मे ख़ुदा व रसूल جَلَّ جَلَالُہٗ وَ صلَّی اللہ تعالٰی علیہ والہٖ وسلَّم एक ही होगा। बाक़ी मुख़ालिफ़ हैं तो दीदाह व दानिस्ता, क़स्दन ख़ुदा व रसूल جَلَّ جَلَالُہٗ وَ صلَّی اللہ تعالٰی علیہ والہٖ وسلَّم की मुख़ालफ़त की इजाज़त हुई।

सुवाल नम्बर 28 : किताब **"हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा"** को आप जानते हैं और येह अहले सुन्नत व जमाअ़त की किताब है या नहीं ?

जवाब : जवाब मुत़ाबिक़ नम्बर 25।

सुवाल नम्बर 29 : "**हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा**" में इबारते ज़ैल दर्ज है।

علم أنَّ الناس ماکانوا قبل المائة الرابعةِ مجتمعين على التقليد الخالص لمذهب واحدٍ

या'नी लोग चौथी सदी के क़ब्ल किसी एक ख़ास मज़हब की ख़ालिस तक़्लीद पर मुत्तफ़िक़ न थे ?

जवाब : येह इबारत "**हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा**" के अकसर नुस्ख़ों में नहीं है। सिर्फ़ एक नुस्ख़े में है जो कि **ततिम्मा**(1) बना कर अल ह़ाक़ की गई है, छापने वाले ने उसे ह़ाशिये पर ज़ाहिर कर दिया है और येह इबारत ख़ुद इन्हीं मुसन्निफ़ की किताबे मुसम्मा बिह "**इन्साफ़**" के ख़िलाफ़ है। दो सदी के बा'द एक इमामे मुअ़य्यन का मज़हब लेना मुसलमानों में शाएअ़ हुवा, कम कोई ऐसा न करता और उस वक़्त वोही वाजिब था, और इतना तो इस "हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा" की इस इबारत से भी ज़ाहिर है कि तीसरी सदी तक भी तक़्लीदे शख़्से ख़ालिस मौजूद थी गो इस पर इजमाअ़ न था फिर तो इस पर सब का इजमाअ़ हो गया।

सुवाल नम्बर 30 : और "हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा" में इबारते ज़ैल दर्ज है या नहीं ?

ثم بعد هٰذا لقرون كان النَّاس آخرون ذهبوا يميناً و شمالاً وحدث فيهم أمورٌ

या'नी फिर उन ज़मानों के लोग हुवे जो दाहिने और बाएं चल निकले और उन में कई बातें पैदा हो गईं ?

जवाब : येह भी इसी **ततिम्मा** में है जिस से अकसर नुस्ख़े ख़ाली हैं।

सुवाल नम्बर 31 : और "हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा" में इबारते ज़ैल दर्ज है या नहीं ? منها انهم بالتقليد فى صدورهم ربيب النمل وهم لا يشعرون

---

(1).....ज़मीमा। बक़िय्या ह़िस्सा।

जवाब : येह भी इसी ततिम्मा में है। येह इबारत भी साइल ने नाक़िस नक़्ल की है, इस के बा'द जो उमूर मुसन्निफ़ ने लिखे हैं, उन से ज़ाहिर है कि ख़ालिस तक़्लीदे शख़्सी को वोह दीनी ज़रूरत जानते हैं और येह कि उन के ए'तिराज़ों का तस्फ़िय्या और मुक़द्दमात का इन्साफ़ के साथ फ़ैसला ज़ुल्म का इन्सिदाद है और मुसन्निफ़ ने रिसाला "**इन्साफ़**" में तसरीह की, येह एक राज़ ख़ुदा का है कि उ़लमा के दिल में डाल दिया और उ़लमा को इस का पैरू कर दिया, और अपने दूसरे रिसाले "**अक़्दुल जय्यिद**" में एक बाब इस लिये लिखा है कि "पैरविये मज़ाहिबे अरबआ़ पर ताकीद और उन से बाहर होने की सख़्त मुमानअ़त है" और लिखा है कि इन चारों मज़हबों से रूगर्दानी करने में बड़ा फ़साद है तो इन्हीं मुसन्निफ़ के कलाम से साबित होता है कि ग़ैर मुक़ल्लिदीन बड़े मुफ़्सिद होते हैं।

सुवाल नम्बर 32 : जिन लोगों का मज़हब हर हर मस्अले में कुरआनो ह़दीस या'नी जिन लोगों का मज़हब येह है जो मस्अला कुरआने मजीद या ह़दीस शरीफ़ से साबित होता है उसी को वोह मानते हैं और इसी को लाइक़े पाबन्दी जानते हैं और किसी रस्मो रवाज को या किसी के क़ौल व फ़े'ल को जिस की सनद कुरआने मजीद व ह़दीस शरीफ़ से न हो नहीं मानते और न लाइक़े पाबन्दी जानते हैं, उन के इस मज़हब की इब्तिदा कब से है?

जवाब : येह मज़हब कि हर शख़्स अपनी समझ पर कुरआनो ह़दीस से मस्अले ले कर इमाम के क़ौल की सनद न माने, येह कुरआनो ह़दीस सब के ख़िलाफ़ है। येह मज़हब न ज़मानए रिसालत में था, न ज़मानए सह़ाबा में और न ज़मानए ताबेईन में बल्कि नए मुन्किर जाहिलों के कान में शैत़ान ने फूंका कि तुम क्या कम हो जो ऐसे सह़ाबा व आइम्मा की पैरवी करो? कुरआन समझने को कुछ इ़ल्म दरकार नहीं, हर जाहिल अपनी गढ़त पर चले।

सुवाल नम्बर 33 : ऐसे लोग जिन का मज़हब जवाब नम्बर 32 में दर्ज किया गया है मुसलमान अहले सुन्नत व जमाअ़त हैं या नहीं ?

जवाब : ऐसे लोग हरगिज़ सुन्नी मुसलमान नहीं ।

सुवाल नम्बर 34 : इस्लाम में अस्ली क़ानून क्या है ?

जवाब : फ़क़त़ कलामुल्लाह शरीफ़ ।

सुवाल नम्बर 35 : इस्लाम में अस्ली क़ानून कुरआने मजीद व ह़दीस शरीफ़ है या नहीं ?

जवाब : ह़दीस भी अस्ली क़ानून नहीं बल्कि कुरआने मजीद की ताबेअ़ है । कलामे मजीद ही ने हुक्म फ़रमाया है कि ह़दीस व इजमाअ़ व आइम्मा की इत़ाअ़त करो, इसी लिये चार उसूल ठहरे ।

सुवाल नम्बर 36 : जब मुसलमानों में किसी अम्र में नज़ाअ़ और इख़्तिलाफ़ वाक़ेअ़ हो तो ऐसी ह़ालत में अल्लाह तआ़ला ने कुरआने मजीद में अस्ली क़ानून की त़रफ़ रुजूअ़ करने का हुक्म दिया है या नहीं ?

जवाब : क़ानूने अस्ली और क़ानूने ताबेअ़ दोनों की त़रफ़ रुजूअ़ का हुक्म दिया है और वोह भी ह़क़ीक़तन क़ानूने अस्ली ही की त़रफ़ रुजूअ़ है कि क़ानूने ताबेअ़, क़ानूने अस्ली की त़रफ़ रुजूअ़ करता है । कुरआने मजीद में फ़रमाया :

﴿وَلَوْرَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰۤى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِیْنَ یَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ﴾(1)

देखो इस आयत ने क़ानूने ताबेअ़, मुज्तहिदीन की त़रफ़ रुजूअ़ का हुक्म दिया और क़ियासे आइम्मा को साबित किया है । देखो मुआ़लिमुल तन्ज़ील(2) वग़ैरा । ग़ैर मुक़ल्लिदीन इस क़ानूने ताबेअ़ की त़रफ़ रुजूअ़ के मुन्किर हो कर ख़ास, हुक्म, क़ानूने अस्ली के मुन्किर हो बैठे ।

---

(1).....**तर्जमए कन्ज़ुल ईमान :** अगर इस में रसूल और अपने ज़ी इख़्तियार लोगों की त़रफ़ रुजूअ़ लाते तो ज़रूर इन से इस की ह़क़ीक़त जान लेते (پ۵،النساء:۸۳)

(2).....تفسیر البغوي المسمّٰی "معالم التنزیل" پ۵،النساء:۸۳،ج ۱ ، ص۳۶۳،دارالکتب العلمیة،بیروت

सुवाल नम्बर 37 : मुसलमान की क्या ता'रीफ़ है और मुसलमान किस को कहते हैं ?

जवाब : जो तमाम ज़रूरियाते दीन को मानता हो और कोई अ़लामत तकज़ीब की न रखता हो देखो "**मवाक़िफ़े शर्ह़**"(1)

सुवाल नम्बर 38 : येह बात ठीक है या नहीं कि जो शख़्स لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ का इक़रार करे और सिद्क़ दिल से इस पर ए'तिक़ाद रखे वोह मुसलमान है ?

जवाब : हां ! सिद्क़ दिल से माने तो ज़रूर मुसलमान है और वोह यूं ही होगा कि ज़रूरियाते दीन से किसी चीज़ का इन्कार न करे वरना निरी कलिमा गोई काफ़ी नहीं।

सुवाल नम्बर 39 : मस्अला नम्बर 38, ह़दीस शरीफ़ का मस्अला है या नहीं ?

जवाब : ह़दीस शरीफ़ में सारा कलिमा और لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ दोनों आए हैं और मुराद वोही है जो इस से पहले नम्बर में गुज़री।

सुवाल नम्बर 40 : ह़दीसे ज़ैल सह़ीह़ बुख़ारी व सह़ीह़ मुस्लिम की ह़दीस है या नहीं।

مامن أحدٍ شهد أن لا إلٰه إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرّمه الله على النار

या'नी मुह़म्मद रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया जो शख़्स لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ का इक़रार करे और सिद्क़ दिल से इस पर ए'तिक़ादर रखे, **अल्लाह** तआ़ला उस को दोज़ख़ की आग पर ह़राम कर देगा।

जवाब : है(2) और "صدقا من قلبه" इस लिये फ़रमाया, निरी कलिमा गोई मुसलमान होने को काफ़ी नहीं।

---

(1).....شرح المواقف،

(2).....صحيح البخاري،كتاب العلم،باب من خص بالعلم ألخ،رقم الحديث ١٢٨،الجلد الأول ص ٦٧،دارالكتب العلمية بيروت ، قد وجدنا فى البخارى بلفظ "ويشهد"

सुवाल नम्बर 41 : जो शख़्स मस्अला 38 पर साबित क़दम रहे, चाहे उस के दीगर अफ़्आल कैसे ही हों वोह मुसलमान है या नहीं ?

जवाब : जवाब ऊपर के इन्हीं नम्बरों में गुज़रा है।

सुवाल नम्बर 42 : अबू दावूद सिहाह सत्ता में से है या नहीं ?

जवाब : है।(1)

सुवाल नम्बर 43 : सिहाह सत्ता, अहले सुन्नत व जमाअ़त की किताबों में से हैं या नहीं ?

जवाब : अहले सुन्नत की कुतुबे ह़दीस में से सिहाह सत्ता भी हैं।

सुवाल नम्बर 44 : ह़दीसे ज़ैल "**सुनने अबू दावूद**" में है या नहीं ?

ثلثٌ من أصل الإيمان الكف عمن قال لا اِلٰهَ اِلّا اللّٰه ولا تكفر وه بذنب ولا تخرجوه من الإسلام بعمل

या'नी रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : तीन बातें ईमान की जड़ हैं। जिन में एक बात येह है कि जो शख़्स لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه पढ़ ले, उस के बारे में रोको ज़बान को, उस को न तो उस के किसी गुनाह की वजह से काफ़िर कहो, न उस को किसी फ़े'ल की वजह से इस्लाम से ख़ारिज करो।

---

(1)..... सिहाह सत्ता से मुराद ह़दीस की छे **सह़ीह़ तरीन कुतुब** हैं जिन के नाम येह हैं। (i) **बुख़ारी शरीफ़** अज़ अबू अ़ब्दुल्लाह मुह़म्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (ii) **मुस्लिम शरीफ़** अज़ अबुल हुसैन इमाम मुस्लिम बिन अल ह़ज्जाज अल क़ुशैरी (iii) **तिर्मिज़ी शरीफ़** अज अबू ईसा मुह़म्मद बिन ईसा तिर्मिज़ी (iv) **नसाई शरीफ़** अज़ अबू अ़ब्दुर्रह़मान अह़मद बिन शोऐ़ब नसाई (v) **अबू दावूद शरीफ़** अज़ सुलैमान बिन अश्अ़स सजिस्तानी (vi) **इब्ने माजा शरीफ़** अज़ अबू अ़ब्दुल्लाह मुह़म्मद बिन यज़ीद बिन माजा

जवाब : येह इन्हीं ह़दीसों में से है[1] जिन का बयान दो तीन नम्बर ऊपर हो चुका कि यहां फ़क़त़ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللہِ का ही ज़िक्र नहीं, और मुराद वोही तस्दीक़े जमीअ़ ज़रूरियाते दीन है

सुवाल नम्बर 45 : दीने इस्लाम, रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के वक़्त में मुकम्मल हो चुका था या नहीं ?

जवाब : बेशक, और यूं ही हुवा कि कुछ अह़काम क़ुरआन व ह़दीस में मज़्कूर हुवे बाक़ी नहीं। ह़क़ तआ़ला ने राहे इजतिहाद खोली और मुज्तहिदीन पैदा किये और इन का इत्तिबाअ़ फ़र्ज़ किया। अगर येह न होता तो लाखों अह़काम से क़ुरआन व ह़दीस ख़ाली रहते और दीन ना मुकम्मल ठहरता।

सुवाल नम्बर 46 : आयते करीमा : ﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ﴾ सब के पीछे नाज़िल हुई या नहीं। या'नी इस आयत के बा'द भी कोई नया हुक्म नाज़िल हुवा या नहीं ?

जवाब : येह आयत सब के बा'द नाज़िल न हुई। इस के बा'द और अह़काम भी उतरे जैसे आयते रबा, आयते दीन, आयते मीरास और **शायद कोई और है**[2] इस वक़्त मेरी याद में नहीं। देखो तफ़्सीरे इत्तिक़ान, सह़ीह़ बुख़ारी, सह़ीह़ मुस्लिम[3] वग़ैरा।

---

(1).....سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب(في) الغزو مع أئمة الجور، رقم الحديث: ۲۵۳۲، الجزء الثالث ص۲٦، دار احياء التراث بيروت، قد وجدنا فيها بلفظ: "لا نكفّرهُ، ولا نخرجه".

(2)..... आयत وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللهِ जो कि वा'ज़ व नसीह़त पर मुश्तमिल है, भी बा'द में नाज़िल हुई। (ख़ज़ाइनुल इरफ़ान स. 193 पाक कम्पनी लाहौर)

(3).....तफ़्सीरुल इत्तिक़ान

सुवाल नम्बर 47 : ह़ज़रते मुह़म्मद रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم पर पैग़म्बरी ख़त्म हो गई या नहीं ? और **अल्लाह** तआ़ला ने मुह़म्मद रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को ख़ातमुन्नबिय्यीन फ़रमाया है या नहीं ?

जवाब : बेशक नबी صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم पर बनस्से क़त़इये कुरआन नबुव्वत ख़त्म हो गई, अब कोई नबी नहीं हो सकता।(1) लिहाज़ा ज़रूरी हुवा कि आप के दीन में मुज्तहिदीन हों और मुसलमानों पर मुज्तहिदों की पैरवी फ़र्ज़ हो कि वोह **वक़ाएअ़**(2) जिन का ज़िक्र कुरआने मजीद व ह़दीस शरीफ़ में नहीं अपनी राए से इन में हुक्मे शरई क़ाइम फ़रमा लें। वरना येह अह़काम, मुजमल रह जाते कि कुरआन व ह़दीस में ज़िक्र नहीं। और कोई **ताज़ा**(3) नबी हो नहीं सकता तो मुज्तहिदीन अगर न होते या इन का हुक्म, हुक्मे शरअ़ न ठहरता तो येह अह़काम क्यूं कर मा'लूम हो सकते ?

---

(1)..... कुरआने पाक में इरशादे बारी तआ़ला है कि

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا(پ ۲۲ ،احزاب:۴۰)

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान शरीफ़ : "हां **अल्लाह** के रसूल हैं और सब नबियों के पिछले और **अल्लाह** सब कुछ जानता है" इस आयत के तह़त मुफ़स्सिरे शहीर मौलाना सय्यिद मुह़म्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी عَلَيْهِ الرَّحْمَة इरशाद फ़रमाते हैं कि हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का आख़िरुल अम्बिया होना क़त़ई है, नस्से कुरआनी भी इस में वारिद है और सिह़ाह़ की बकसरत अह़ादीस जो ह़द्दे तवातुर तक पहुंचती हैं इन सब से साबित है कि हुज़ूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم सब से आख़िरी नबी हैं, आप के बा'द कोई नबी होने वाला नहीं जो हुज़ूर عَلَيْهِ السَّلَام की नबुव्वत के बा'द किसी और को नबुव्वत मिलना मुमकिन जाने, वोह ख़त्मे नबुव्वत का मुन्किर और काफ़िर, ख़ारिज अज़ इस्लाम है।
(कन्ज़ुल ईमान मअ़ तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, स. 63, मत़बूआ़ पाक कम्पनी लाहौर)
(2).....वाक़िआ़त (3).....नया

सुवाल नम्बर 48 : अहले सुन्नत व जमाअ़त की क्या ता'रीफ़ है ?

जवाब : जो सवादे आ'ज़म मुस्लिमीन के पैरू हैं, जिस के इत्तिबाअ़ का **मुतवातिर**(1) ह़दीसों में हुक्म है, और ह़दीस ने मज़हबे ह़क़ की आ़म फ़हम ता'रीफ़ बयान फ़रमाई है । اتبعو ا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار(2) मुसलमानों के बड़े गुरौह की पैरवी करो, जो इस से जुदा हुवा, वोह जहन्नम में जुदा हुवा ।" हर शख़्स जानता है कि मुसलमानों का बड़ा गुरौह मुक़ल्लिद है ग़ैर मुक़ल्लिदीन बहुत क़लील हैं । खुद "हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा" की इसी इ़बारत में, जिस के चन्द नाक़िस टुकड़े साइल ने नक़्ल किये, साफ़ लिखा है कि इन चार मज़हबों की तक़्लीद दुरुस्त होने पर तमाम मुसलमानों का इजमाअ़ है, अगर कोई इस का मुख़ालिफ़ है भी तो ऐसा कि वोह किसी गिनती (शुमार) में नहीं ।"

सुवाल नम्बर 49 : "शर्हे अ़क़ाइदे नस्फ़ी" को आप जानते हैं या नहीं ? और येह आप की किताब है या नहीं ?

जवाब : हां ! और अस्ले कुल्ली मुत़ाबिक़ नम्बर 25 ।

सुवाल नम्बर 50 : "शर्हे अ़क़ाइदे नस्फ़ी" में अहले सुन्नत व जमाअ़त की ता'रीफ़ ज़ैल के मुत़ाबिक़ लिखी है या नहीं ?

القاب خادمه السنة ومضٰى عليه الجماعة فسموا أهل السنة و الجماعة

---

(1).....**ह़दीसे मुतवातिर :** वोह ह़दीस जिसे एक जमाअ़त से दूसरी जमाअ़त नक़्ल करे और वोह जमाअ़त इतनी बड़ी हो कि उन का किसी झूट पर मुत्तफ़िक़ होना मुतसव्विर न हो और येह सिलसिला हम तक इसी त़रह़ चला आता हो मसलन (i) कुरआने पाक का मुन्तक़िल होना (ii) रक्अ़ाते नमाज़ की ता'दाद (iii) मिक़्दारे ज़कात वग़ैरा वग़ैरा (تلخیص اصول الشاشی،ص٣٠،مکتبہ اسلامیہ سعیدیہ مانسہرہ)

(2)...... مشکوٰۃ شریف، کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ، الفصل الثانی، ص٣٠، قدیمی کتب خانہ کراچی)

या'नी "अहले सुन्नत व जमाअ़त का नाम, इस वजह से अहले सुन्नत व जमाअ़त हुवा की उन्हों ने सुन्नते रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم व जमाअ़ते सह़ाबा की पैरवी की।"

जवाब : पूरी इबारत देखने से मा'लूम होगा कि इस में **कुछ लफ़्ज़ रह गए हैं**(1) और येह वजहे तस्मिय्या है, ता'रीफ़ नहीं और जमाअ़त के तर्जमे में सह़ाबा की क़ैद साइल ने अपनी त़रफ़ से लगा दी है। फिर ग़ैर मुक़ल्लिदीन सह़ाबा की भी तक़्लीद नहीं करते, न इजमाअ़ को मानते हैं, तो यूं भी अहले सुन्नत के मुख़ालिफ़ हुवे।

सुवाल नम्बर 51 : "तौज़ीह़ व तलवीह़" को आप मानते हैं या नहीं ? और येह आप की किताब है या नहीं ?

जवाब : है। बदस्तूर नम्बर **25**।

सुवाल नम्बर 52 : "तौज़ीह़ व तलवीह़" में अहले सुन्नत की ता'रीफ़ ज़ैल लिखी है या नहीं ?

اهل السنة والجماعة هم الذين طريقهم طريق رسول الله या'नी अहले सुन्नत व जमाअ़त वोह लोग हैं जिन का त़रीक़ा, त़रीक़ए रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم है।

जवाब : येह इबारत इस त़रह़ **"तौज़ीह़ व तलवीह़"** में नहीं। जहां तक मुझे याद है येह कलाम सुबूते इजमाअ़ में लिखा है और किताब में इस के बा'द و أصحابة رضی الله تعالى عنهم भी है जिसे साइल ने

---

(1).....अस्ल इबारत यूं है "اثبات ماورد به السنة ومعنٰى عليه الجماعة فسمّوا أهل السنة والجماعة" जो चीज़ सुन्नत और सह़ाबा व ताबेईन رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُم के अ़मल से साबित हो उस पर साबित क़दम रहने वाले लोगों को अहले सुन्नत व जमाअ़त का नाम दिया गया। (شرح عقائد نسفی، ص۷، قدیمی کتب خانہ کراچی)

साक़ित़ कर दिया।(1) तो इस इ़बारत की रू से भी ग़ैर मुक़ल्लिदीन कि त़रीक़े सह़ाबा को हुज्जत नहीं मानते और अहले सुन्नत से ख़ारिज हुवे।

सुवाल नम्बर 53 : किताब "**हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा**" जिस का बयान नम्बर 28 में हो चुका है, इस किताब में अहले सुन्नत व जमाअ़त की ता'रीफ़े ज़ैल ही है या नहीं ?

لما ظهر أعجاب كل ذى رأى برأيه وتشعبت بهم السبل اختار قوم ظاهر الكتاب والسنة وعضوا بنواجذهم على عقيدة السلف وهم أهل السنة

या'नी "जब लोगों के त़रीक़े मुख़्तलिफ़ हो गए और हर अहले राए का अपनी राए पर ख़ुश होना ज़ाहिर हो गया तो एक क़ौम ने साफ़ साफ़ क़ुरआन व ह़दीस को इख़्तियार किया और सलफ़ के अ़क़ाइद को मज़बूत़ पकड़ा येही लोग अहले सुन्नत हैं"

जवाब : येह इ़बारत इस वक़्त मेरे ख़याल में नहीं, मा'लूम नहीं साइल ने इस में कुछ **क़त़अ़ व बुरीद**(2) की हो, फिर भी इस से ग़ैर मुक़ल्लिदों का अहले सुन्नत से ख़ारिज होना साबित, कि सलफ़

---

(1).....तौज़ीह़ व तलवीह़ में अस्ल ता'रीफ़ यूं है कि

"أهل السنة والجماعة وهم الذين طريقتهم طريقة الرسول عليه السلام واصحابه رضى الله عنهم دون أهل البدع(توضيح تلويح بحث الركن الثالث "الاجماع"، ص٥٢٨،ج٢،مطبوعه مير محمد كتب خانه كراچى)

आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن के ह़ाफ़िज़े का क्या कहना, जैसे आप ने इरशाद फ़रमाया वैसा ही किताब में भी लिखा हुवा पाया।

(2)......हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में अहले सुन्नत व जमाअ़त की ता'रीफ़ एक जगह पर यूं मिलती है कि

"الفرقة الناجية(أي: أهل السنة و الجماعة)هم الآخذون في العقيدة و العمل جميعا بما ظهر من الكتاب و السنة وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين

या'नी अहले सुन्नत व जमाअ़त वोह लोग हैं जो अ़क़ाइदो आ'माल में क़ुरआन व सुन्नत की पैरवी करते हैं और इन्ही अ़क़ाइदो आ'माल पर तमाम सह़ाबा व ताबेईन का भी अ़मल रहा।

(حجة الله البالغة حصه اول، باب الاعتصام بالكتاب و السنة، ص ١٧١ ،مكتبه نور محمد كتب خانه كراچى)

के अक़ाइद से तस्लीमे इजमाअ़ व क़ियास व तक़्लीद भी थी, ग़ैर मुक़ल्लिदों ने इन्हें न पकड़ा, यक लख़्त छोड़ा।

सुवाल नम्बर 54 : "ग़ुन्यतुत्तालिबीन" को आप जानते हैं या नहीं और येह किताब हज़रते पीराने पीर या'नी हज़रते शैख़ अ़ब्दुल क़ादिर जीलानी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه की तस्नीफ़ है या नहीं ?

जवाब : इस किताब की तस्नीफ़ हुज़ूरे पुरनूर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْه से होने में शुबा है। हज़रते शैख़ अ़ब्दुल हक़ मुह़द्दिसे देहलवी फ़रमाते हैं कि येह, हरगिज़ साबित नहीं।

सुवाल नम्बर 55 : "ग़ुन्यतुत्तालिबीन" में अहले सुन्नत व जमाअ़त की येह ता'रीफ़ लिखी है या नहीं ?

فعلی المومن اتباع السنة و الجماعة فالسنة ماسنه رسول اللہصلی اللہتعالی علیه وسلم وجماعة ما اتفق علیه أصحاب رسول اللہصلی اللہ تعالی علیه وسلم

या'नी "हर मुसलमान पर लाज़िम है कि सुन्नत व जमाअ़त की पैरवी करे। सुन्नत से मुराद त़रीक़ए रसूलुल्लाह है और जमाअ़त से मुराद वोह त़रीक़ा है जिस पर कुल सह़ाबए रसूलुल्लाह मुत्तफ़िक़ हों" ?

जवाब : येह इ़बारत भी इस वक़्त **मुज़हिर** को याद नहीं और इस क़दर से ग़ैरे मुक़ल्लिदीन का अहले सुन्नत से न होना साबित है कि इस में तक़्लीदे जमाअ़त लाज़िम, इजमाए सह़ाबा को **हुज्जत**[1] मानना लाज़िम, ग़ैर मुक़ल्लिदीन इन दोनों बातों के मुन्किर हैं, यूं कि वोह क़ुरआन व ह़दीस के सिवा किसी की सनद मानते ही नहीं।

(1).....दलील

सुवाल नम्बर 56 : मज़हब के हक़ होने की कोई शनाख़्त है या नहीं ?

जवाब : है।

सुवाल नम्बर 57 : अगर मज़हब के हक़ होने की शनाख़्त है तो क्या है ?

जवाब : सवादे आ'ज़म मुस्लिमीन की मुताबक़त, जिस का बयान ऊपर गुज़रा।

सुवाल नम्बर 58 : मज़हब के हक़ होने की येह भी कोई शनाख़्त है या नहीं कि एक ज़माने में एक मुल्क के बाशिन्दगान और उस मुल्क की सल्तनत का, वोह मज़हब हो या वोह मज़हब रहा हो ?

जवाब : जिस मुल्क के लोग अहले सुन्नत हों और क़दीम से इस में एक अक़ीदा रहा हो और अब लोग उस की मुख़ालफ़त करें, और ख़ुसूसन जब कि वोह मुख़ालफ़त, सल्तनते इस्लाम जाने के बा'द हो तो येह ज़रूर दलील है कि येह नई मुख़ालफ़त, बातिल है और मज़हबे हक़ वोही था। जो क़दीम से चला आता था रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने हमें बातिल मज़हब वालों की येही पहचान बताई कि يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولآ أبائكم[(1)] वोह बातें तुम्हारे पास लाएंगे जो न तुम ने सुनीं और न तुम्हारे बाप दादा ने और फ़रमा दिया कि فإياكم و إياهم لا يضلّونكم ولا يفتنونكم۔[(1)] उन से दूर भागो ! उन्हें अपने से दूर करो ! कहीं वोह तुम्हें बहका न दें कहीं वोह तुम्हें फ़ितने

---

(1)...... الصحیح لمسلم،باب النھی عن الروایۃعن الضعفاء والاحتیاط فی تَحَمّلھا،رقم الحدیث۷،ص ۹،دار ابن حزم، بیروت۔

में न डाल दें।" देखो "**सहीह़ मुस्लिम**" येह ह़दीस भी हुक्म फ़रमा रही है कि अहले सुन्नत, ग़ैर मुक़ल्लिदों से दूर रहें, उन के मजमअ़ में ख़ुद न जाएं, अपनी मस्जिदों में उन्हें न आने दें कि फ़ितने न उठें, अ़वाम ख़राब न हों।

सुवाल नम्बर 59 : "**मिश्कात शरीफ़**" को आप जानते हैं या नहीं ? और येह, अहले सुन्नत व जमाअ़त की ह़दीस की किताब, है या नहीं ?

जवाब : है।

सुवाल नम्बर 60 : "**मिश्कात शरीफ़**" में एक ह़दीस है, मज़्हबे ह़क़ की शनाख़्त के बयान में, येह है या नहीं ? कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ما أنا عليه و أصحابى या'नी "ह़क़ मज़्हब वोह त़रीक़ा है जो मेरा और मेरे कुल अस्ह़ाब का त़रीक़ा है ?"

जवाब : है [2] और इस की पहचान की रू से भी ग़ैर मुक़ल्लिदीन अहले ह़क़ से नहीं। कि इजमाअ़ व क़ियास व तक़्लीद का इस्बात जो त़रीक़ा सह़ाबा का था, येह उस से मुन्किर हैं।

सुवाल नम्बर 61 : "**त़ह़त़ावी**" को आप जानते हैं या नहीं ? और येह आप की किताब है या नहीं ?

जवाब : है। मुत़ाबिक़ नम्बर 25।

सुवाल नम्बर 62 : "**त़ह़त़ावी**" में येह इबारते ज़ैल, दरबारए शनाख़्ते ह़क़ीक़ते मज़्हब के दर्ज है या नहीं ?

---

(1).....الصحيح لمسلم،باب النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها،رقم الحديث ٧،ص ٩،دار ابن حزم، بيروت۔

(2).....مشكوة المصابيح،كتاب الايمان،باب الاعتصام بالكتاب والسنة،الفصل الثانى ص ٣٠،قدیمی کتب خانہ کراچی۔

فان قلت: ماوقومك على أنك على صراط مستقيم وكل واحد من هٰذه الفرق يدعي أنه عليه، قلت: ليس ذالك بالإ دعاء بل بالنّقل عن جهابذة الصحابة وعلماء أهل الحديث الذين جمعوا صحاح الأ حاديث فى أمور رسول الله صلى الله تعالٰى عليه وسلم وأحواله وأقواله وحركاته وسكناته وأحوال أصحابه والذين اتبعوهم باحسان، مثل الإمام البخاري ومسلم وغير هما من الثّقات المشهورين الذين اتفق أهل المشرق والمغرب على صحة ماروو ه فى كتبهم من أمور النبى صلى الله تعالٰى عليه وسلم واصحابه (إلى آخره)

या'नी "अगर तू येह सुवाल करे कि तू येह क्यूं कर जान सकता है कि राहे रास्त पर तू ही है, ह़ालांकि हर एक फ़िर्क़ा अपने राहे रास्त पर होने का दा'वा रखता है। तो इस का जवाब येह है कि किसी फ़िर्क़े के, **मुजर्रद**(1) ऐसा दा'वा कर देने से उस फ़िर्क़े का राहे रास्त पर होना साबित नहीं हो सकता बल्कि राहे रास्त पर होना इस से साबित होता है कि वोह सह़ीह़ सह़ीह़ ह़दीसें, जिन को इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम वग़ैरा ही ने रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के ह़ालात, में अपनी किताबों में जम्अ़ कीं उन पर पेश किये जाएं, फिर देखा जाए कि इन ह़दीसों के मुत़ाबिक़ उसूल व फ़ुरूअ़ में रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم व सह़ाबए किराम رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُم का कौन पैरू है और कौन नहीं। जो पैरू है, वोह ह़क़ है और जो ऐसा नहीं है, वोह बात़िल।

जवाब : येह बात तो यक़ीनन यूं नहीं है, इस में साइल ने बड़ी क़त़्अ़ व बुरीद की है। इस के मुत्तसिल बिला फ़ासिला इस से

(1).....अकेला।

क़ब्ल, किताब में है कि आज अहले सुन्नत इन **चार मज़ाहिब**[1], ह़नफ़ी, शाफ़ेई, मालिकी, ह़म्बली, में मुज्तमअ़ हैं जो इन चार से ख़ारिज है, बद मज़्हब जहन्नमी है और ख़ुद इतने टुकड़े में, जो अभी साइल ने ज़िक्र किया, तक़्लीदे सह़ाबा का ज़िक्र मौजूद है नीज़ सह़ीह़ ह़दीसें और सीरते सह़ाबा और इजमाअ़ व क़ियास व तक़्लीद की निस्बत हैं और ग़ैरे मुक़ल्लिदीन इस के मुन्किर, यूं भी अहले सुन्नत से ख़ारिज हैं।

सुवाल नम्बर 63 : मस्जिद आ़म मुसलमानों के वासिते़ है या नहीं ?

जवाब : नहीं ! कि बच्चा और मजनून और मजज़ूम और बर्स और बद बू के ज़ख़्म वाले और कच्चा लहसन प्याज़ खाने वाले और **मुफ़्सिद**[2] और मूज़ी येह सब भी मुसलमानों में दाख़िल हैं और शरअ़ ने इन्हें मस्जिद में आने का ह़क़ न दिया बल्कि मस्जिद से दूर करने का हुक्म दिया।

सुवाल नम्बर 64 : मस्जिद में आ़म मुसलमान नमाज़ अदा कर सकते हैं या नहीं ?

जवाब : इस का जवाब अभी बयान हो चुका है।

सुवाल नम्बर 65 : मस्जिद वासिते़ इबादते आ़म के हैं या नहीं ?

जवाब : बशर्ते़ सद्र।

सुवाल नम्बर 66 : अज़ रूए क़ुरआन व ह़दीस ऐसी कोई मस्जिद है या नहीं जिस में सिर्फ़ एक ही फ़िर्क़ा व मज़्हब के मुसलमान नमाज़ पढ़ सकते हों ?

जवाब : अहले सुन्नत की सब मस्जिदें ऐसी ही हैं जिस में इन के ग़ैरों, मुफ़्सिदों, मूज़ियों और ऐसे लोगों को, जिन के आने से

(1).....त़ह़त़ावी (2).....फ़साद करने वाले

मस्जिद के नमाज़ियों को नफ़रत हो या फ़ितना फ़साद उठे, आने तक की इजाज़त नहीं, नमाज़ पढ़ना तो बड़ी बात है।

सुवाल नम्बर 67 : अज़ रूए कुरआन व ह़दीस ऐसी कोई मस्जिद है या नहीं जिस में किसी को नमाज़ पढ़ने और इबादते इलाही बजा लाने से रोक सकते हैं ?

जवाब : जवाब बार बार गुज़रा।

सुवाल नम्बर 68 : इबारते ज़ैल कुरआने मजीद की आयत है या नहीं ? ﴿وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ یُّذْکَرَ فِیْهَا اسْمُهٗ﴾ या'नी उस शख़्स से बढ़ कर ज़ालिम कौन है जो **अल्लाह** की मस्जिदों से, या'नी इस बात से कि इन में खुदा का ज़िक्र किया जाए, मन्अ़ करे ?

जवाब : साइल ने पूरी आयत नक्ल न की और तर्जमे में भी मुग़ालत़ा दिया है, आयत में इस के बा'द येह फ़रमाया है : ﴿وَسَعٰی فِیْ خَرَابِهَا اُولٰٓئِکَ مَا کَانَ لَهُمْ اَنْ یَّدْخُلُوْهَا اِلَّا خَآئِفِیْنَ﴾(1) और इस का तर्जमा यूं है कि "इस से बढ़ कर ज़ालिम कौन ? जो खुदा की मस्जिदों को, इन में खुदा का नाम लिये जाने से रोक दे और इन के वीरान करने में कोशिश करे, इन लोगों को नहीं पहुंचता था कि मस्जिदों में जाएं मगर डरते हुवे" साइल ने तर्जमा येह किया कि "मस्जिदों से रोके" ह़ालांकि आयत में येह इरशाद हुवा कि "मस्जिदों को रोके" किसी शख़्स को रोकना और बात है और मस्जिदों को यादे खुदा से रोक देना और बात ! अगर बा'ज़ अश्ख़ास किसी वजहए शरई के सबब मस्जिदों से रोके गए और सदहा नमाज़ी इन में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो यहां इन शख़्सों का रोकना हुवा, मस्जिदों

(1).....پ۱، البقرۃ:۱۱۴

का रोकना न हुवा, जिस का इस आयत में ज़िक्र है कि मस्जिदों में तो यादे खुदा हो रही है, मस्जिदों का रोकना उस वक़्त हो कि किसी को इन में इबादत न करने दें। "मस्जिदों की वीरानी में कोशिश करने वाले" वोही लोग हैं जो अपनी मस्जिद होते हुवे दूसरों की मस्जिद पर क़ब्ज़ा चाहें और फ़ितना उठाएं कि इस के अन्जाम में जो फ़रीक़ क़ैद में पहुंचेगा उस की मस्जिद वीरान होगी। हर फ़रीक़ अपनी अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करता तो सब मस्जिदें अम्न व अमान से आबाद रहतीं।

सुवाल नम्बर 69 : "हिदाया" को आप मानते हैं या नहीं और येह आप की किताब है या नहीं ?

जवाब : है।

सुवाल नम्बर 70 : हिदाया में इबारते ज़ैल दर्ज है या नहीं ?

لأن المسجد مالا يكون كأحد فيه حق المنع

या'नी "मस्जिद एक ऐसी जगह है जिस में किसी को इबादते इलाही से रोकने का हक़ नहीं ?"

जवाब : यहां भी साइल ने पूरी बात ज़िक्र न की। यहां इस का ज़िक्र है कि आदमी अपने घर के वस्त़ को मस्जिद करे और चारों त़रफ़ अपनी मिल्क रखे जिस के सबब उसे मुमानअ़ते आ़म का इख़्तियार हो कि अस्लन किसी को न आने दे[1] ऐसा हक़ मस्जिद में किसी को नहीं होता।[2]

---

(1).....الهداية، كتاب الوقف، فصل و إذا بنى مسجداً لم يزل ملكه عنه ألخ، ج٣، ص ٢١، دار إحياء التراث العربي، بيروت۔

(2).....**मस्जिद** के मुतअ़ल्लिक़ मुकम्मल अह़काम जानने के लिये आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن का रिसाला التحرير الجيد فی حق المسجد मुलाह़ज़ा फ़रमाएं।

सुवाल नम्बर 71 : "फ़तहुल क़दीर" और **"शामी"** को आप जानते हैं या नहीं और येह आप की किताबें हैं या नहीं ?

जवाब : हैं, ब दस्तूर नम्बर **25** ।

सुवाल नम्बर 72 : "फ़तहुल क़दीर और शामी" में इबारते जै़ल दर्ज है ?

أنه يشبه المنع من الصلاة وهو حرام، قال تعالى ﴿وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ﴾

या'नी मस्जिद के दरवाज़े को कुफ़्ल लगाना इस लिये मकरूह है कि येह कुफ़्ल लगाना गोया मस्जिद में नमाज़ से रोकना है और येह ह़राम है। **अल्लाह** तआ़ला फ़रमाता है : और उस से बढ़ कर ज़ालिम कौन है जो **अल्लाह** की मस्जिदों से या'नी इस बात से कि इन में खुदा का नाम ज़िक्र किया जाए मन्अ़ करे।"

जवाब : येह भी मन्ए़ कुल्ली का ज़िक्र है कि जब कुफ़्ल पड़ा, कोई न आ सकेगा और अस्ल बात येह है कि नमाज़ से रोकने की निय्यत और बात है, और फ़ितना फ़साद को वहां से रोकने की निय्यत और। वोह मन्अ़ है और इस का हुक्म जवाज़ है।

सुवाल नम्बर 73 : मुक़ल्लिदीन और ग़ैर मुक़ल्लिदीन में बा खुदहा शादी बियाह होता है या नहीं ?

जवाब : जो कलिमा गो हो कर ज़रूरियाते दीन का मुन्किर हो उस से शादी बियाह **किसी त़रह़ नहीं हो सकता**।(1) कोई जाहिल अगर कर बैठा तो इस की सनद नहीं कि लोग तो ज़िना तक करते हैं।

सुवाल नम्बर 74 : ग़ैर मुक़ल्लिद बाप का तर्का, मुक़ल्लिद बेटे को मिलता है या नहीं ?

जवाब : हां मिल सकता है, **ब त़रीक़ अरस**(2) ख़्वाह बरवजहे फ़िए

(1).....मुकम्मल मन्अ़ कर देना (2).....विरासत

जब कि **फ़िए**(1) में इस का ह़क़ हो या फ़क़ीर या आ़लिम वग़ैरा।

सुवाल नम्बर 75 : मुक़ल्लिद बाप का तर्का ग़ैर मुक़ल्लिद बेटे को मिलता है या नहीं ?

जवाब : ब हुक्मे फ़िक़्ह नहीं पहुंच सकता है कि जिस की बिदअ़त कुफ़्रिय्या हो, वोह **मुर्तद**(2) के हुक्म में है। देखो हिदाया व दरर व ग़ुरर व मजमउ़ल अन्हुर(3) वग़ैरा।

सुवाल नम्बर 76 : मुसलमान और काफ़िर में शादी बियाह होता है या नहीं ?

जवाब : हां होता है जब कि औ़रत, साहि़बे किताब हो।

सुवाल नम्बर 77 : काफ़िर का तर्का मुसलमान को मिलता है या नहीं ?

जवाब : मिलता है जब कि वोह काफ़िर, मुर्तद हो कि अब उस का कस्बे इस्लाम मुसलमान वारिसों को पहुंचेगा। और **कस्बे रिद्दत**(4) फ़ुक़राए मिस्कीन को।

सुवाल नम्बर 78 : मुसलमान का तर्का काफ़िर को मिलता है या नहीं ?

जवाब : नहीं।

सुवाल नम्बर 79 : चारों इमामों की तक़्लीद का मज़हब, किस से जारी हुवा ?

---

(1).....**फ़ई :** से मुराद वोह माल जो मुशरिकीन से बिग़ैर जंग के ह़ासिल हो मसलन जंग करने गए थे लेकिन उन्हों ने सुल्ह़ कर ली या मैदाने जंग में अपना माल व अस्बाब छोड़ कर भाग जाएं

(तफ़्सीरे नईमी, पारह नम्बर 10, सूरतुल अन्फ़ाल, ज़ेरे आयत नम्बर 41)

(2).....इस्लाम से फिर जाने वाला।

(3)...الهداية،كتاب السير،باب أحكام المرتدين،ج٢،ص٧٠٤،دارإحياء التراث العربي،بيروت

(4)..... मुर्तद हो जाने के बा'द जो माल कमाया।

जवाब : अस्ल मज़हब, सहाबा के हैं और इन की अस्ल, ह़दीस और इस की अस्ल, कुरआन। इमामों की तक्लीद, बि ऐनिही इन्हीं का इत्तिबाअ़ है जो ज़मानए रिसालत से जारी है, इस क़िस्म का ए'तिराज़ राफ़िज़ियों ने हम अहले सुन्नत पर किया था। और "**तोह़फ़ए असना अ़शरिय्या**" में अहले सुन्नत की त़रफ़ से इस का येही जवाब दिया देखो "**क़ैद नम्बर 85**"

सुवाल नम्बर 80 : ख़ुद चारों अइम्मा और इन के शागिर्दों ने तक्लीद के बारे में कुछ फ़रमाया है या नहीं ?

जवाब : हां ! ग़ैर मुज्तहिद को हमेशा तक्लीद का हुक्म दिया है, इ़बारते मज़्कूरा "**हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा**" येही जिस के नाक़िस टुकडे साइल ने नक़्ल किये, इस की तसरीह़ है। नीज़ अइम्मा का लाखों मसाइल निकालना और मुद्दविन करना, जिन की इन्हें ख़ुद भी ह़ाजत न पड़ती, अगर दूसरों के अ़मल के लिये न था तो क्या مَعَاذَاللہ लग़्व ह़रकत थी, जिस में इन्हों ने अपनी तमाम उ़म्र गिरां बहा को सर्फ़ फ़रमाया ?

सुवाल नम्बर 81 : ख़ुद चारों इमामों ने अपनी अपनी तक्लीद करने से मन्अ़ फ़रमाया है या नहीं ?

जवाब : हरगिज़ नहीं, हां अपने शागिर्दों में जो मन्सबे इजतिहाद तक पहुंचे, उन्हें इजतिहाद का हुक्म दिया है।

सुवाल नम्बर 82 : तफ़्सीरे मज़हरी में इमाम अबू ह़नीफ़ा رَحْمَۃُاللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ का क़ौले ज़ैल मज़्कूर है या नहीं ?

اتركوا قولي بخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

या'नी "मेरे क़ौल को ब मुक़ाबला ह़दीसे रसूलुल्लाह صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم व क़ौले सहाबा के छोड़ दो।"

जवाब : येह क़ौल बे सनद है और इस के मुख़ात़ब वोही तलामिज़ा थे जो मन्सबे इजतिहाद तक पहुंचे, जैसे अबू यूसुफ़ व मुह़म्मद व ज़ुफ़र व ह़सन बिन ज़ियाद।

सुवाल नम्बर 83 : तफ़्सीरे मज़हरी में इमाम अबू ह़नीफ़ा का क़ौले ज़ैल मज़्कूर है या नहीं ? إذا صح الحديث فهو مذهبي[1] या'नी "जब ह़दीस सह़ीह़ साबित हो जाए तो वोही मेरा मज़हब है।"

जवाब : सिह़्ह़त से मुराद सिह़्ह़ते फ़िक़्हिय्या है, जिस की रू से बरबनाए ह़दीस इसे फ़तवा देने का इख़्तियार हो। "हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा" की इसी इ़बारत में है कि जो चार लाख ह़दीसें जम्अ़ कर चुका हो, वोह भी ह़दीस से फ़तवा देने के लाइक़ नहीं और पांच लाख में भी सिर्फ़ लियाक़त की उम्मीद है, यक़ीन नहीं, ग़ैर मुक़ल्लिदीन कि ह़दीस से फ़तवा दिया चाहते हैं। अगर हिन्दुस्तान भर के जम्अ़ हो जाएं तो याद रखना कैसा, अपने पास की तमाम किताबें इकठ्ठा कर के भी एक लाख ह़दीसे सह़ीह़ नहीं गिना सकते, पांच लाख तो बहुत हैं।

किताब के वरक़ों में लिखा होना काफ़ी नहीं, अपने लिये नज़र होना ज़रूरी है इस का ह़ाल इम्तिह़ान से खुल सकता है कि सब किताबें दर कनार फ़क़त़ सिह़ाह़ सत्ता बल्कि इन में से एक ही किताब की सब ह़दीसें भी एक वक़्त में पेशे नज़र होनी दुश्वार हैं, अगले उ़लमा को अकसर बारहा धोके हुवे कि सब से मश्हूर तर किताब "**सह़ीह़ बुख़ारी**" में ह़दीस मौजूद थी, उन की नज़र न पहुंची तो आज कल के नाक़िसों का क्या ठीक है ?

सुवाल नम्बर 84 : "हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा" जिस का बयान, नम्बर 28 में हो चुका है इस में इमाम अबू ह़नीफ़ा رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه का क़ौले ज़ैल मज़्कूर है या नहीं ? لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي या'नी जो शख़्स मेरी दलील को न जाने, उस को लाइक़ नहीं कि मेरे क़ौल के मुवाफ़िक़ फ़तवा दे।"

(1).....تفسير مظهری

जवाब : येह इबारत भी उसी ततिम्मा की है जो सिर्फ़ एक नुस्खे़ में है और मैं अपनी यक़ीनी याद से कहता हूं कि इस की नक़्ल में साइल ने बहुत **क़त्अ़** व **बुरीद** की। यहां येह बयान है कि मुज्तहिद मुत़लक़ इस्तिम्बात़ कर लेगा या'नी खु़द अह़काम निकालेगा और मुख़र्रज कि वोह भी एक क़िस्म का मुज्तहिद है, मुज्तहिद मुत़लक़ के निकाले हुवे मसाइल में तरजीह़ पर नज़र करेगा, इन के सिवा तमाम लोग सिर्फ़ तक़्लीद करेंगे, आइम्मा ने इसी की वसिय्यत की है। इस के बाद इमाम अबू ह़नीफ़ा का येह क़ौल है और इस के सिवा इमाम शाफ़ेई, इमाम मालिक, इमाम अह़मद और शायद इमाम अबू यूसुफ़ वगै़रा, हमारे इमाम के बा'ज़ शागिर्दों के अक़्वाल भी इस मा'ना में नक़्ल किये हैं, जिस से साफ़ ज़ाहिर है कि येह अक़्वाल मुज्तहिद के लिये हैं न कि आ़म लोगों के लिये जिन्हें खु़द लिखा कि तमाम आइम्मा इन को तक़्लीद की वसय्यित फ़रमाते रहे और खु़सूसन इस क़ौल में तो लफ़्ज़ "इफ़्ता मौजूद है और उस ज़माने में मुफ़्ती कहते थे, मुज्तहिद को ही देखो"[1] مسلم الثبوت وفتح القدير و رد المحتار

सुवाल नम्बर 85 : और "हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा" में इमाम मालिक رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْه का क़ौले ज़ैल दर्ज है या नहीं ?

مامن أحدٍ إلا وما خوذ من كلامه ومردودٌ عليه إلا رسول اللهصلى اللهتعالى عليه وسلم[2]

या'नी **बजुज़**[3] रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के कोई ऐसा नहीं है जिस की सारी बातें क़बूल या सारी बातें क़ाबिले तरदीद हों।"

---

(1)..... ردالمحتار،مقدمة،مطلب:في طبقات الفقهاء ، ج ١ ، ص ٨٣، دارالفكر،بيروت

(2).....حجة الله البالغة،فصل في عدة أمور مشكلة من التقليد ألخ،الكلام على حال النّاس ألخ، ج ١ ،ص١٥٧ ،نور محمد كتب خانه ، كراچى

(3).....मासिवाए रसूले करीम عَلَيْهِ السَّلَام

या'नी सिर्फ़ रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ऐसे हैं जिन की सारी बातें क़ाबिले क़बूल हैं, दूसरा कोई ऐसा नहीं।

जवाब : येह इमाम का वोह क़ौल है जिस का ज़िक्र अभी हुवा और येह ज़रूर सहीह़ है, इसी लिये "**मुफ़्ता बेह**" क़ौल पर अ़मल होता है।

सुवाल नम्बर 86 : और "हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा" में इमाम शाफ़ेई رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه का क़ौले ज़ैल मज़्कूर है या नहीं ?

إذ صح الحديث فهو مذهبي و إذ رأيتم كلامي يخالف الحديث فعملوا بالحديث و اضربوا الكلامي الحائط ولا تقلد ني في كل ماأقول و انظر في ذالك بنفسك فإنه دين ولا حجة في قول أحدٍ دون رسول اللّٰه صلى الله تعالٰى عليه وسلم و إن كثروا ولا في قياس ولا في شيءٍ وما ثمه إلا طاعة اللّٰه و رسول اللّٰه بالتسليم

या'नी जब ह़दीस सह़ीह़ साबित हो जाए तो वोही मेरा मज़्हब है और जब मेरे कलाम को ह़दीस के ख़िलाफ़ देखो तो ह़दीस ही पर अ़मल करो और मेरे कलाम को दीवार पर मार दो और हर बात में मेरी तक़्लीद न करो, तो ख़ुद ही अपने से, इस में ग़ौर करे, इस लिये कि येह दीन है और बजुज़ रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के और किसी का क़ौल हुज्जत नहीं अगर्चे उस क़ौल के क़ाइल बहुत हों और न किसी का क़ियास हुज्जत है और न कोई चीज़ हुज्जत है, यहां तो **अल्लाह** तआ़ला और रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की फ़रमांबरदारी है और बस।"

जवाब : येह इमाम शाफ़ेई का वोही क़ौल है जिस का ज़िक्र अगले नम्बर में गुज़रा और अगर मेरी याद ग़लती नहीं करती है

तो इस में साइल ने एक कार रवाई और की है, मुझे याद है कि यहां لاتقلدني से पहले ياإبراهيم का लफ़्ज़ था जिसे **साइल ने उड़ा दिया ।**[1] इस से साफ़ ज़ाहिर है कि येह ख़िताब अपने शागिर्दे मुज्तहिद, इमाम इब्राहीम मदनी से है न कि ज़ैद व अम्र से। और बेशक नबी صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का इरशाद हुज्जत है। इस लिये इजमाअ़ व क़ियास हुज्जत हुवे कि इन्हीं के इरशाद से साबित हैं और इसी लिये क़ौले सहाबा और क़ौले आइम्मा हुज्जत हुवा और इन्हों ने इन की इत्तिबाअ़ का हुक्म पहुंचाया और फ़रमाया, और येह क़ियास जिस की इस क़ौले इमाम शाफ़ेई में नफ़ी है क़ियास ग़ैरे शरई है जो ग़ैर मुज्तहिद का क़ियास है।

वरना खुद इमाम शाफ़ेई, क़ियास फ़रमाते हैं जिस की इसी इबारत "हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा" में तसरीह़ है। इलावा बरीं जब यहां कलाम मुज्तहिद में है तो ज़रूर एक मुज्तहिद का क़ियास दूसरे मुज्तहिद पर हुज्जत नहीं। इमाम शाफ़ेई का येही मज़हब है और बेशक **अल्लाह** और रसूल के सिवा किसी की इताअ़त नहीं, इन्हीं के हुक्म से सहाबा और आइम्मा व हुक्काम की इताअ़त वाजिब हुई। ग़ैर मुक़ल्लिदीन ऐसे अक़्वाल से येह चाहते हैं कि इमामों के मुतीअ़ रहें न हाकिमों के मुतीअ़, मगर येह खुद इताअ़ते खुदा व रसूल के ख़िलाफ़ है।

---

(1).....हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा के हिस्सा अव्वल, स. 157 पर येह इबारत वैसे ही है जैसा कि आ'ला हज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ने इरशाद फ़रमाई कि इस से पहले "**या इब्राहीम**" का लफ़्ज़ था।

(حجة الله البالغه حصه اول، ص۱۵۷، باب الكلام على حال الناس قبل المائة الرابعة،
مطبوعہ نور محمد کتب خانہ کراچی)

सुवाल नम्बर 87 : और "हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा" में इमाम अह्मद बिन ह़म्बल عَلَيْهِ الرَّحْمَة का क़ौल दर्जे ज़ैल है या नहीं ?

ليس لأحد مع الله و رسوله كلام ولا تقلدني ولا تقلدن مالكا ولا الأوزاعي و لا النخعي ولا غيرهم وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب و السنة(1)

या'नी **अल्लाह** तआ़ला व रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के मुक़ाबले में किसी का कोई क़ौल मो'तबर नहीं, न तो मेरी तक़्लीद कर, न मालिक की, न औज़ाई की और न नख़ई की और न किसी और की। अह्काम को वहीं से ले, जहां से इन्हों ने लिये हैं।"

जवाब : येह इमाम अह्मद का वोही क़ौल है जिस का ज़िक्र दो या तीन नम्बर पर पेशतर कर चुका हूं, "और तू भी वहीं से अह्काम ले जहां से अगले मुज्तहिदीन ने लिये" साफ़ दलील है कि ख़ित़ाब मुज्तहिद से है।

सुवाल नम्बर 88 : और "हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा" में इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम ज़ुफ़र عَلَيْهِ الرَّحْمَة का क़ौले ज़ैल मज़्कूर है या नहीं ? لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا مالم يعلم من أين قلنا(2) या'नी "किसी को ह़लाल नहीं कि हमारे क़ौल के मुत़ाबिक़ फ़तवा दे, जब तक येह न जान ले कि हम ने कहां से या'नी किस दलील से कहा है।"

जवाब : इस का बयान भी उसी नम्बर में गुज़रा है।

सुवाल नम्बर 89 : चारों इमामों से पहले भी कोई तक़्लीदी मज़्हब जारी था या नहीं ? अगर जारी था तो किस इमाम की

---

(1)......حجة الله البالغة، فصل في عدة أمور مشكلة من التّقليد ألخ، الكلام على حال النّاس ألخ، ج ١، ص ١٥٧، نور محمد كتب خانه، كراچي۔

(2).....حجة الله البالغة، فصل في عدة أمور مشكلة من التّقليد ألخ، الكلام على حال النّاس ألخ، ج ١، ص ١٥٨، نور محمّد كتب خانه، كراچي

तक़्लीद का मज़्हब जारी था और इस इमाम की तक़्लीद किस नाम से पुकारी जाती थी और अब इस इमाम की तक़्लीद जाइज़ है या नहीं, अगर नहीं जाइज़ है, तो किस ने मन्अ़ किया और कब मन्अ़ किया और क्यूं मन्अ़ किया ?

जवाब : चारों इमामों से पहले और बा'द हमेशा तक़्लीद हुवा की और होती है। चारों मज़्हब का इत्तिबाअ़ बिऐनिही इत्तिबाए़ सह़ाबा है कि येह मज़ाहिब उन्हीं से माख़ूज़ हैं और इन की इत्तिबाअ़ से न मुमानअ़त थी न है, इसी इ़बारत "हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा" में तस्रीह़ है कि मज़्हब इमाम अबू ह़नीफ़ा की अस्ल, ह़ज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ के फ़तावा और ह़ज़रते मौला अ़ली رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ और उन के अस्ह़ाब के फ़ैसले हैं और येह कि वोह, इस राह से जुदा न हुवे। चारों इमामों से पहले अहले ह़क़ किसी ऐसे ख़ास नाम से न पुकारे जाते थे, न वोह मुह़म्मदी या अहले ह़दीस कहलाते, बल्कि अहले सुन्नत व जमाअ़त के नाम से भी मश्हूर न थे, येह नाम भी कई सदी के बा'द ग़ालिबन इमाम अबुल ह़सन अश्अ़री رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ के ज़माने से शाएअ़ हुवा है। देखो "**शर्ह़े अ़क़ाइद नस्फ़ी**"(1) वग़ैरा, तो ह़नफ़ी शाफ़ेई नामों का **हुदूस**(2) ऐसा है जैसा अश्अ़री, मातरीदी, ह़ालांकि अ़क़ीदे यक़ीनन वोही हैं जो नबी صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم व सह़ाबा से माख़ूज़ हैं।

सुवाल नम्बर 90 : तक़्लीद के बारे में **अल्लाह** तआ़ला और रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने भी कुछ फ़रमाया है या नहीं ?

---

(1).....شرح عقائد النسفي، مبحث تقسيم الأحكام الشرعية ألخ، ص٧، قديمی کتب خانه، آرام باغ، کراچی

(2).....ज़ाहिर होना

जवाब : हां ! बहुत आयतों और ह़दीसों में हुक्म दिया है। **पहली आयत :** ﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ﴾(1) "ऐ ईमान वालो ! हुक्म मानो अल्लाह का और फ़रमाने पर चलो रसूलुल्लाह और अपने उ़लमा के" सह़ीह़ येह है कि इस आयत में "اولی الامر" से मुराद "**उ़लमा**" हैं। देखो "ज़ुरक़ानी शर्हे मवाहिब" **दूसरी आयत :** ﴿وَلَوْرَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ﴾(2) "जो मुआ़मला पेश आता, अगर इसे रसूल और अपने आ़लिमों की त़रफ़ रुजूअ़ करते तो ज़रूर वोह जो अपनी फ़िक्र से बारीक हुक्म निकालते हैं, ख़ुदा का हुक्म जान लेते।" इस आयत से साफ़ ज़ाहिर हुवा कि इस्तिम्बात़ पर, मुज्तहिदीन ही क़ादिर हैं और मुसलमानों को इन की त़रफ़ रुजूअ़ का हुक्म है और नीज़ येह कि "اولی الامر" से मुराद "उ़लमा" हैं। कि इस आयत के बड़े मिस्दाक़ अबू बक्र व उ़मर हैं رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا और येह नबी صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के ज़माने में ह़ाकिम न थे। **आयते सिवुम :**

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ﴾(3)

मुसलमान सब के सब तो जाने से रहे, तो क्यूं न हो कि हर गुरौह में से एक टुकड़ा निकलता कि दीन में समझ ह़ासिल करते और वापस आ कर डर सुनाते, इस उम्मीद पर कि वोह ख़िलाफ़े हुक्म करने से बचें।" **आयते चहारुम :** ﴿فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾(4) "उ़लमा से पूछो ! अगर तुम्हें इ़ल्म न हो" हमेशा उ़लमा इस आयत से वुजूबे तक़्लीद पर इस्तिदलाल करते रहे हैं। देखो

(1)......پ۵،النساء:۵۹ (2)......پ۵،النساء:۸۳
(3)......پ۱۱،التوبہ:۱۲۲ (4)......پ۱۷،الانبیاء:آیت۷

"**मुसल्लमुस्सुबूत**" वग़ैरा और ह़दीसें तो इतनी कसीर हैं कि जिन्हें मैं इस वक़्त याद पर, लिखा ही नहीं सकता।

सुवाल नम्बर 91 : अगर फ़रमाता है तो क्या फ़रमाता है, इबारत ज़ैल कुरआने मजीद की आयत है या नहीं ?

﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِیْنَ یَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓئِکَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ﴾

या'नी "पस तो मेरे उन बन्दों को ख़ुशख़बरी सुना दे, जो हर तरह़ की बातें सुनते हैं फिर उन में से जो अच्छी बात होती है उस की पैरवी करते हैं, येह वोह लोग हैं जिन को अल्लाह ने राहे रास्त दिखाया है और येही लोग अ़क़्लमन्द हैं ?"

जवाब : है[1] और इस में मुज्तहिदीन को बिशारत है और येह कि अह़काम ख़ुद पहचानने की हिदायत उन्हीं को मिली है और येह कि अ़क़्ले कामिल वोही रखते हैं तो इस से भी तक़्लीद का सुबूत है।

सुवाल नम्बर 92 : इबारते ज़ैल कुरआने मजीद की आयत है कि नहीं ? ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ اُولٰٓئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا﴾

या'नी "जिस बात का तुझ को इ़ल्म न हो, उस की पैरवी मत करो। इस में कुछ शुबा नहीं कि कान और आंख दोनों और दिल इन सब की बाज़पुर्स होगी ?"

जवाब : है[2] मगर नक़्ल में दो जगह ग़लती हुई है और इसी लिये ग़ैर मुज्तहिद पर तक़्लीद फ़र्ज़ होती है कि उसे बे इत्तिबाए़ मुज्तहिद, हुक्मे इलाही मा'लूम न होगा और बे हुक्म के मा'लूम

(1).....پ۲۳،زمر:۱۸۔۱۷ (2).....پ۱۵،بنی اسرائیل:۳۶

किये अ़मल की मुमानअ़त फ़रमाई। देखो मुसल्लमुस्सुबूत व फ़ुसूलुल बदाइअ़ व फ़वातिह़ वग़ैरा।

सुवाल नम्बर 93 : इबारते ज़ैल क़ुरआने मजीद की आयत है या नहीं ?

﴿وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾

या'नी "**अल्लाह** ने तुम को तुम्हारी माओं के पेटों से पैदा किया, तुम कुछ नहीं जानते थे और तुम को कान दिये और आंखें दीं और दिल, ताकि तुम शुक्र गुज़ारी करते रहो"

जवाब : है[1] और इसे नफ़िये तक़्लीद से कुछ अ़लाक़ा नहीं।

सुवाल नम्बर 94 : आयते करीमा ﴿فَاسْـَٔلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾[2] या'नी "अहले ज़िक्र से सुवाल करो अगर तुम नहीं जानते हो" में अल्फ़ाज़ ज़ैल से क्या मुराद है ? (i)سوال (ii)الذکر (iii)أهل الذکر ब लिह़ाज़ सियाक़ व सबाक़ जवाब दीजिये।

जवाब : सुवाल : दरयाफ़्त करना है, الذکر क़ुरआन है, أهل الذکر "उ़लमा" कि न जानने का इलाज जानने वालों ही से पूछ कर हो सकता है। खुसूसे सबब का ए'तिबार नहीं उ़मूमे लफ़्ज़ का है।

सुवाल नम्बर 95 : इस आयत में न जानने से, किस चीज़ का न जानना मुराद है ?

जवाब : हर शै को, दीन में जिस की ह़ाजत हो। देखो ! "**मुसल्लमुस्सुबूत**"

---

(1).....پ۲۳،زمر:۱۸۔۱۷ (2).....پ۱۵،بنی اسرائیل:۳٦

सुवाल नम्बर 96 : इमामत के बारे में ह़दीस शरीफ़ में क्या तरतीब वारिद हुई है, या'नी ह़दीस शरीफ़ की रू से अव्वल नम्बर का मुस्तह़िक़े इमामत कौन है दुवुम नम्बर का कौन ?

जवाब : मुख़्तलिफ़ तरतीबें आई हैं, देखो **फ़तहुल क़दीर**(1) व **फ़ुसूलुल बदाएअ़** वग़ैरा।

सुवाल नम्बर 97 : ह़दीसे ज़ैल "**सह़ीह़ मुस्लिम**" की ह़दीस है या नहीं ?

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسّنة فإن كانوا في السّنة سواء فأقومهم سناً

या'नी "इमामत वोह शख़्स करे जो सब से ज़ियादा क़ुरआन दां हो, अगर क़ुरआन दानी में सब बराबर हों तो इमामत वोह शख़्स करे जो सब से ज़ियादा ह़दीस दां हो, अगर ह़दीस दानी में सब बराबर हों तो इमामत वोह शख़्स करे जो हिजरत में सब से पहले हो, अगर हिजरत में सब बराबर हों तो इमामत वोह शख़्स करे जो सिन में सब से ज़ियादा हो।"

जवाब : येह ह़दीस भी मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ से आई है और नबी صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के क़ौले आख़ीर से मन्सूख़ हो चुकी है। देखो फ़तहुल क़दीर व सह़ीह़ैने बुख़ारी व मुस्लिम।(2)

सुवाल नम्बर 98 : इस बारे में कोई आयत या ह़दीस है या नहीं, कि ह़क़्क़े इमामत, बानिये मस्जिद या अवलादे बानिये मस्जिद है, इन के रहते हुवे किसी को ह़क़ नहीं है, अगर हो तो बयान फ़रमाइये ?

---

(1).....फ़तहुल क़दीर।

(2).....صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع، باب من أحق بالإمامة؟، ص٣٣٨، رقم الحديث:٦٧٣، دار ابن حزم، بيروت

जवाब : येह हुक्म फ़िक़्ह का है किसी आयत या ह़दीस में इस का रद्द नहीं।

सुवाल नम्बर 99 : इस बारे में कोई आयत या ह़दीस है या नहीं कि ऐसा मस्अला जो मज़ाहिबे अरबआ़ से ख़ारिज हो अगर्चे अहले ह़दीस के मुत़ाबिक़ हो, वोह मस्अला बात़िल है और इस पर अ़मल करने वाला बिदअ़ती और नारी है अगर हो तो बयान फ़रमाइये ?

जवाब : मैं अभी ह़दीस से बयान कर चुका हूं कि **सवादे आ'ज़म** से जुदा होने वाला नारी है, और येह भी सुबूत हो चुका कि हज़ार बरस से मुसलमानों का सवादे आ'ज़म, इन्हीं चार मज़ाहिब में **मह़सूर** है, नीज़ येह भी ख़ुद साइल की पेश कर्दा इ़बारत से बता दिया कि इन चारों मज़हबों से रूगर्दानी में बड़ा फ़साद है और फ़साद छोटा भी बात़िल है बड़ा तो बड़ा, और जो ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं वोह बहुक्मे कुरआन व ह़दीस "**नारी**" हैं।

सुवाल नम्बर 100 : इस बारे में आइम्मए अरबआ़ का या आइम्मा में किसी का क़ौल है या नहीं, कि ऐसा मस्अला जो मज़ाहिबे अरबआ़ से ख़ारिज हो अगर्चे आयत व ह़दीस के मुत़ाबिक़ हो वोह मस्अला बात़िल है और इस पर अ़मल करने वाला बिदअ़ती व नारी है अगर हो तो बयान फ़रमाइये ?

जवाब : इस का ह़दीस से सुबूत हो चुका, और आइम्मए अरबआ़ में इमाम मालिक से सराह़तन मन्क़ूल है कि अपने उ़लमा के अ़मल को ह़दीस पर तरजीह़ देते। देखो "मुदख़ल" इमाम इब्नुल ह़ाज मक्की, मालिकी।

सुवाल नम्बर 101 : "शर्हे मुसल्लमुस्सुबूत" जिस का बयान, नम्बर 25 में हो चुका इस में इ़बारते ज़ैल है या नहीं ?

الحق أنّه أنّما منع من منع تقليد غيرهم لأنّه لم يبق رواية مذهبهم محفوظة حتى لو وجد رواية صحيحة عن مجتهد آخر يجوز العمل بها، ألا ترىٰ أنّ المتأخرين أفتوا بتحليف الشهود وإقامة له موقع التزكية على مذهب ابن أبي ليلى

या'नी "ह़क़ बात येह है कि जिस शख़्स ने ग़ैर आइम्मए अरबआ़ की तक़्लीद से मन्अ़ किया है, सिर्फ़ इस वजह से मन्अ़ किया है और मुज्तहिदीन के मज़्हब की राविय्यत मह़्फ़ूज़ नहीं रही ह़त्ता के अगर दूसरे मुज्तहिद के मज़्हब की कोई सह़ीह़ रिवायत मिल जाए तो उस पर अ़मल जाइज़ है, चुनान्चे, मुतअख़्ख़िरीने ह़नफ़िय्या ने मुज्तहिद के बजाए तज़्किय्यए गवाहान के तह़्लीफ़ गवाहान का फ़तवा दिया है **इब्ने अबी लैला के मज़्हब पर**(1) जो मज़ाहिबे अरबआ़ के इ़लावा है।"

जवाब : अ़मली त़ौर पर इस में भी तस्लीम है कि ब नज़्रे वाक़ेअ़, मज़ाहिबे अरबआ़ की मुख़ालफ़्त ममनूअ़ है कि अब कोई रिवायत, और मज़ाहिब की मह़्फ़ूज़ नहीं रहीं, फ़र्ज़ी सूरते ग़ैर वाक़ेअ़ में फ़र्ज़ी इजाज़त, अ़मल के लिये भी कार आमद नहीं गवाहान का मस्अला इसी सूरत में है जब क़ाज़ी मुज्तहिद हो। देखो "**रद्दुल मुह़्तार किताबुल क़ज़ा**"(2) वरना अगर बादशाहे इस्लाम भी **तह़्लीफ़ का हुक्म दे**(3) तो उ़लमा पर वाजिब है कि उसे नसीह़त करें कि वोह हुक्म न करे, जिसे हम न मानें तो तेरा ग़ज़ब हो और मानें तो ख़ुदा का ग़ज़ब हो, देखो "**दुर्रे मुख़्तार**"(4) वग़ैरा।

---

(1).....या'नी गर्दिशे ज़माना के पेशे नज़र गवाहों से गवाही के साथ साथ क़सम भी ली जाएगी।

(تقريرات الرافعي على حاشية ردالمحتار، كتاب القضاء، مطلب:طاعة الإمام واجبة، ج٨، ص١٣٢، دار المعرفة، بيروت)

(2).....رد المحتار، كتاب القضاء، مطلب:طاعة الإمام واجبة، ج٨، ص١٣٢، دار المعرفة، بيروت-

(3).....ह़लफ़ उठाने को कहे।

(4).....الدرالمختار، كتاب القضاء، فصل في الحبس، مطلب:طاعة الإمام واجبة، ج٨، ص١٣٢، دارالمعرفة، بيروت

सुवाल नम्बर 102 : आइम्मए ह़दीस, जैसे इमाम बुख़ारी व इमाम तिर्मिज़ी वग़ैरहुमा ने अपनी अपनी किताबों में आइम्मए अरबआ़ के इ़लावा दूसरे मुज्तहिदीन जैसे इमाम सुफ़्यान सौरी رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَیْه और इमाम इस्ह़ाक़ बिन राहविय्या और इमाम अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक के मज़ाहिब की सह़ीह़ सह़ीह़ रिवायतें भी मअ़ सनद बयान की हैं या नहीं ?

जवाब : ग़लत़ है। सह़ीह़ बुख़ारी का हरगिज़ येह त़रीक़ा नहीं कि इन साहिबों के अक़्वाल की ताईद में सह़ीह़ ह़दीसें लाए और जामेए तिर्मिज़ी में भी ग़ालिबन इन के अक़्वाल, बे सनद मज़्कूर हैं और अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ह़नफ़िय्युल मज़्हब हैं। देखो **"दुर्रे मुख़्तार"**(1)

सुवाल नम्बर 103 : मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में चार मुसल्ले किस ने क़ाइम किये और कब क़ाइम हुवे और क्यूं क़ाइम किये मअ़ सनद बयान कीजिये ?

जवाब : जिस क़ौम या'नी मुसलमान ने, जिस ग़रज़ या'नी नफ़्ए मुस्लिमीन के लिये मद्रसे क़ाइम किये और इन्हें दीनी काम समझा, और ग़ैर मुक़ल्लिदीन भी बराबर उन की तक़्लीद कर रहे है, हालांकि वोह ज़मानए सहाबा व ताबेईन में न थे, और इसी क़ौम ने उसी ग़रज़ के लिये येह मुसल्ले क़ाइम किये जिसे सदहा बरस गुज़रे। देखो حدیقۂ ندیہ شرح طریقۂ محمدیہ"علامہ عبدالغنی نابلسی(2) शुरूए तारीख़ न उन मद्रसों की याद है, न इन मुसल्लों की।

(1)..... الدر المختار مع رد المحتار،مقدمة،الجزء الأول،ص٢٣،دار الفكر، بيروت

(2).....الحديقة الندية،

सुवाल नम्बर 104 : जब मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में चारों मुसल्ले क़ाइम किये जाने लगे, तो उस वक़्त के उ़लमा ने इन का क़ाइम करना मन्अ़ फ़रमाया था या नहीं ?

जवाब : किसी सनदे सह़ीह़ से साबित नहीं कि येह मुसल्ले जिस वक़्त क़ाइम होना शुरूअ़ हुवे थे उस वक़्त के उ़लमा ने इन्हें मन्अ़ फ़रमाया, हां शायद बा'ज़ का ख़याल ख़िलाफ़ पर गया हो जिस पर अ़मल न हुवा ।

सुवाल नम्बर 105 : मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में चारों इमामों ने मुसल्ले क़ाइम किये थे या नहीं ? मअ़ सनद बयान फ़रमाइये ।

जवाब : चारों मज़हब, चारों इमामों ने सह़ाबा से अख़ज़ फ़रमा कर शाएअ़ किये, जो इन मुसल्लों की अस्ल हैं और इन मुसल्लों को न मन्अ़ फ़रमाया, न कोई ख़ास हुक्म दिया, येही ह़ाल मदारिस का है ।

सुवाल नम्बर 106 : मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में चारों मुसल्ले क़ाइम करने के बारे में कोई आयत या ह़दीस है या नहीं ? अगर है तो बयान फ़रमाइये ।

जवाब : कुरआनो ह़दीस में जमाअ़त का हुक्म है, मस्जिदुल ह़राम में मुसल्ले क़ाइम होने का हुक्म है, किसी ख़ास गिनती का ज़िक्र, न मुमानअ़त ।

सुवाल नम्बर 107 : शामी जिस का बयान, नम्बर 17 में हो चुका है । इस में इ़बारते ज़ैल है या नहीं ?

ان مايفعل أهل الحرمين من الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة مكروه اتفاقاً

या'नी "**अहले ह़रमैन**[1] जो मुतअ़द्दिद इमामों और मुतअ़द्दिद

---

(1).....मक्का और मदीना को "**ह़रमैने शरीफ़ैन**" कहते हैं मक्का को **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने ह़रम क़रार दिया तो मदीने को सरकार عَلَيْهِ السَّلَام ने ह़रम फ़रमाया, यहां रहने वाले ख़ुश नसीब लोगों को "**अहले ह़रमैन**" कहा जाता है ।

जमाअ़तों के सामने यके बा'द दीगरे नमाज़ पढ़ते हैं, येह फ़े'ल उन का बिल इत्तिफ़ाक़ मकरूह है।"

जवाब : साइल ने इ़बारत में क़त्अ व बुरीद की है। शामी तो रोज़ाना मेरे मुत़ालए़ में रहती है, शामी ने इसे नक़्ल कर के इस का सरीह़ रद्द कर दिया है और इस को तमाम उ़लमा के इजमाअ़ के ख़िलाफ़ बताया है।[1]

सुवाल नम्बर 108 : और शामी में इ़बारते ज़ैल दर्ज है या नहीं ?

نقل عن بعض مشائخنا إنكاره صريحاً حين حضر والموسم سنة ٥٥١ منهم الشريف الغزنوي وذكر أنه أفتى بعض المالكية بعدم جوازذالك على مذهب الفقهاء الأربعة ونقل إنكارذالك أيضاً عن جماعة من الحنفية و الشافعية والمالكية حضر والموسم سنة ٥٥١

या'नी "नक़्ल किया गया कि हमारे बा'ज़ मशाइख़ ने, जिन में शरीफ़ ग़ज़नवी भी हैं, और भी एक जमाअ़त उ़लमाए ह़नफ़िय्या शाफ़ेइय्या व मालिकिय्या ने जब सि. 551 हि. मौसिमे ह़ज में येह लोग ह़ाज़िर हुवे थे तो अहले ह़रमैन के उस फ़े'ल को जिस का बयान नम्बर 107 में किया गया, सरीह़न इन्कार किया और बा'ज़ उ़लमाए मालिकिय्या ने तो इस मज़्कूरा बाला फ़े'ल को नाजाइज़ होने का चारों इमामों के मज़्हब के मुत़ाबिक़ फ़तवा दिया।"

जवाब : येह इसी इ़बारत का ततिम्मा है जिस के बा'द शामी ने तमाम उ़लमा के इजमाअ़ से इस का रद्द किया और ख़ुद इस शामी व अ़मावी वग़ैरा ने इन जमाअ़तों की निस्बत लिखा कि तमाम मुसलमानों ने बेहतर समझा और जमहूर अहले ईमान ने

---

(1).....رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب: في تكرار الجماعة و الاقتداء بالمخالف، ج ٢، ص ٣٩، دار المعرفة، بيروت

मक्कए मुअ़ज़्ज़मा व मदीनए मुनव्वरा व बैतुल मुक़द्दस और मिस्र व शाम में इन पर अ़मल किया और येह कि शाज़ो नादिर जिस ने ख़िलाफ़ किया, वोह ए'तिमाद के क़ाबिल नहीं ।(1)

सुवाल नम्बर 109 : ''तफ़्सीरे अ़ज़ीज़ी'' को आप जानते हैं या नहीं ? और येह अहले सुन्नत व जमाअ़त की किताब है या नहीं ?

जवाब : देहली के एक आ़लिम ज़मानए ह़ाल के थे, येह तफ़्सीर इन की तस्नीफ़ है, जिसे आधी चहारुम भी न लिख पाए थे कि इन्तिक़ाल हो गया, नज़्रे सानी तो दूसरा दरजा है और अस्ले कुल्ली, मुत़ाबिक़ नम्बर 25 ।

सुवाल नम्बर 110 : ''तफ़्सीरे अ़ज़ीज़ी'' में इबारते ज़ैल है या नहीं ?

وخدائے تعالیٰ نچر نیست از آنچہ درزمانۂ آئندہ عمل خواہندکرد و ازراہ
بدعت یک یک جہت کعبہ تقسیم خود خوانہندکرد

जवाब : जहां तक मुझे ख़याल है येह इबारत इस त़रह़ नहीं है बल्कि एक इजमाली बात कर के लिखी है और इस की सनद किसी से न दी और ख़ुद साहि़बे अ़ज़ीज़ी ने तक़रीरे वलीमा में तसरीह़ की है, जो किसी बात को यूं लिखे कि ज़ाहिर येह है वोह भी इस में शक रखता है, और ख़ुद ही इस का क़ाइल नहीं है । देखो **''जबदतुन्नसाइह़''** तो जो निरा इजमाल बताए वोह क्यूं कर इस बात का क़ाइल ठहर सकता है फिर तक़्सीम के येह मा'ना हैं कि एक हिस्से में दूसरे का ह़क़ न हो । देखो **''हिदाया''**

---

(1)..... ردالمحتار، کتاب الصلاۃ،مطلب: في تکرار الجماعۃ و الاقتداء بالمخالف،
ج۲،ص۴۹،دارالمعرفۃ،بیروت

बाब सिफ़तुल सलात[1] और जिहाते का'बा का यूं हिस्सा बांट, बेशक नाजाइज़ है। फिर "**अ़ज़ीज़ी**" में इस के बा'द येह भी है कि अपनी अपनी जिहत को अफ़्ज़ल बताओगे और बेशक येह भी शरअ़न पसन्द नहीं तो ए'तिराज़ उन जाहिलों पर है जो तक़्सीम और तफ़्ज़ील के क़ाइल हों, न कि अस्ल मुसल्लों पर।

सुवाल नम्बर 111 : सब से पहले येह राए किस ने क़ाइम की, कि चारों इमामों के इलावा और किसी की तक़्लीद जाइज़ नहीं ?

जवाब : "**अश्बा**"[2] व "**तह़रीरुल उसूल**" वग़ैरा कुतुबे मुतअ़द्दिदा में इस पर इजमाअ़ नक़्ल किया और इजमाअ़ में येह नहीं देखा जाता कि पहले येह राए किस ने निकाली क्यूं निकाली ? न इस की हमें तह़क़ीक़, न इस की हमें ह़ाजत।

सुवाल नम्बर 112 : जिस शख़्स ने येह राए क़ाइम की, किस बिना पर क़ाइम की ?

जवाब : जवाब अभी गुज़ारिश हुवा।

सुवाल नम्बर 113 : उस शख़्स ने जिस बुन्याद पर येह राए क़ाइम की, वोह बुन्याद सह़ीह़ है या नहीं ?

जवाब : अभी गुज़र चुका।

सुवाल नम्बर 114 : येह राए चारों इमामों के ज़माने में क़ाइम हुई या बा'द में, अगर बा'द में क़ाइम हुई तो किस क़दर बा'द में ?

जवाब : इस की तारीख़ मैं ने मा'लूम न की, न इजमाअ़ में दरयाफ़्त तारीख़ की ज़रूरत है।

---

(1).....الهداية،كتاب الصلاة،باب صفة الصلاة، ج ١، ص ٥١،دار إحياء التّراث العربي،بيروت

(2).....الأشباه و النّظائر

सुवाल नम्बर 115 : जिस शख़्स ने येह राए क़ाइम की, उस की तक़्लीद जाइज़ है या नहीं ? अगर जाइज़ है तो इस की तक़्लीद करने वाले किस नाम से पुकारे जाते हैं और ख़ुद वोह शख़्स क्या था, किस का मुक़ल्लिद था या मुज्तहिद ?

जवाब : इजमाअ़ की तक़्लीद जाइज़, बल्कि वाजिब है उस के पैरू अहले सुन्नत कहलाते हैं, इजमाअ़ किसी ख़ास शख़्स का नाम नहीं कि उसे बताया जाए कि किस का मुक़ल्लिद था या मुज्तहिद।

सुवाल नम्बर 116 : ऐसी कोई आयत या ह़दीसे सह़ीह़ किसी मो'तबर किताब, ह़दीस के ह़वाले से आप बता सकते हैं जिस में येह मस्अला हो कि ग़ैर मुक़ल्लिदीन के पीछे ह़नफ़िय्यों की नमाज़ जाइज़ नहीं ?

जवाब : इस की बह़स, ह़दीस वग़ैरा से, मैं लिख चुका हूं।

सुवाल नम्बर 117 : आप मस्अलए ज़ैल जानते हैं या नहीं ? من صلّى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة या'नी "फ़ासिक़ व मुबतदेअ़ के पीछे भी नमाज़ पढ़ने से सवाब जमाअ़त का मिलता है।"

जवाब : हां ! फ़िक़्ही किताबों में ऐसा लिखा है और कराहत सब मानते हैं यहां तक कि इन्हीं उ़लमा ने साफ़ येह भी बता दिया है कि जहां फ़ासिक़ इमाम हो उस मस्जिद को छोड़ कर दूसरी मस्जिद में नमाज़ पढ़े या'नी जब कि इस के रोकने पर क़ुदरत न हो, जैसे कि जुमुआ़ में है कि सह़ीह़ मज़्हब में जुमुआ़ भी एक शहर में कई जगह हो सकता है तो उस मस्जिद को छोड़ कर दूसरी मस्जिद में जा सकता है। देखो "**फ़तहुल क़दीर व दुर्रे मुख़्तार**"(1) तो ग़ैर मुक़ल्लिदीन इन अक़्वाल से मुग़ालत़ा दे कर येह चाहते

(1).....فتح القدير، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ۱، ص ۳۰۴، مكتبة رشيديه، سركی روڈ، كوئٹه

हैं कि अहले सुन्नत की मस्जिदें छीन लें इन में ख़ुद इमामत करें और अहले सुन्नत ब हुक्मे उ़लमा अपनी इन मसाजिद को छोड़ कर, नमाज़ के लिये और मस्जिदें ढूंडते फिरें। येह मसाजिद को अच्छा आ़म इबादत के लिये माना कि अस्ल जिस की बनाई हुई हैं उन्हीं को वहां से निकल जाने का हुक्म हुवा, इस क़ौल में भी कि अस्ल जमाअ़त का सवाब मिलेगा, वोह फ़ासिक़ व मुबतदेअ़ मुराद है जिस पर **लुज़ूमे कुफ़्र**[1] न हो, वरना नमाज़ बाति़ल मह्ज़ होगी, जैसे गै़र मुक़ल्लिदीन के पीछे, जैसा कि ऊपर बयान हो चुका।

सुवाल नम्बर 118 : किताब ''दुर्रे मुख़्तार'' को आप मानते हैं या नहीं ? और येह आप की किताब है या नहीं ? और आप इस पर अ़मल करते हैं या नहीं ?

जवाब : है। और अ़मल ''**मुफ़्ता बेह**'' पर होता है।

सुवाल नम्बर 119 : जो मस्अला सुवाल नम्बर 117 में बयान किया गया है वोह इस किताब में है या नहीं ?

जवाब : इसी तफ़्सील के साथ है जो मैं ने ज़िक्र की।

सुवाल नम्बर 120 : मकरूह या ह़राम के क़ौल को तर्क करने से थोड़ा बहुत सवाब मिलता है या नहीं ?

---

(1).....**लुज़ूमे कुफ़्र** और **इल्तिज़ामे कुफ़्र** में फ़र्क़ है। **लुज़ूमे कुफ़्र** की ता'रीफ़ का ख़ुलासा येह है कि वोह बात ऐ़ने कुफ़्र नहीं मगर कुफ़्र तक पहुंचाने वाली है और **इल्तिज़ामे कुफ़्र** येह है कि ज़रूरियाते दीन में से किसी चीज़ का सराह़तन (या'नी वाज़ेह़ तौर पर) ख़िलाफ़ करे। (कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब, स. 48) इस मस्अले की तफ़्सील के लिये शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल, मुह़म्मद इल्यास अ़त़्त़ार क़ादिरी रज़वी, ज़ियाई دامت برکاتہم العالیہ की मायानाज़ किताब ''**कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब**'' सफ़्ह़ा 47 मुलाह़ज़ा कीजिये।

जवाब : जो काम अपनी हद्दे ज़ात में नेक हो और हुरमत व कराहत, किसी बैरूनी आ़रिज़ी बात के बाइस हो तो अस्ल फे़'ल पर सवाब और उस आ़रिज़ी के सबब इस्तिह़क़ाके़ अ़ज़ाब व इक़ाब होता है, जैसे रेशमी कपड़े पहन कर नमाज़ या कु़रआन शरीफ़ की तिलावत, बिदअ़ती या फ़ासिक़ की इक्तिदा भी इसी क़बील से है कि अस्ल फे़'ल नमाज़ है नेक और नफ़्से फे़'ल जमाअ़त है नेक, मगर येह आ़रिज़ी बात कि इमाम बिदअ़ती या फ़ासिक़ है, मकरूह व ममनूअ़, तो इस आ़रिज़ी को ज़रूर मन्अ़ किया जाएगा। कि इस का सवाब व इक़ाब भी होता है। अगर्चे नफ़्से फे़'ल का सवाब अलग हो। फिर येह भी इस ह़ालत में है कि फ़िस्क़ व बिदअ़त **लुज़ूमे कुफ़्र** तक न पहुंचती हों, वरना नफ़्से फे़'ल ही बाति़ल हो जाएगा। और अब ख़ालिस अ़ज़ाब रह जाएगा, जैसे हमारे मज़हब में गै़र मुक़ल्लिदीन के पीछे नमाज़ पढ़ना।

सुवाल नम्बर 121 : ह़दीसे ज़ैल : صلّوا خلف کل بر و فاجر[1] या'नी "हर एक नेक व बद के पीछे नमाज़ पढ़ो" अम्र है या नहीं ?

जवाब : सीग़ा ज़रूर अम्र का है और मा'ना वुजूब, यहां किसी के नज़दीक नहीं कि फ़ासिक़ के पीछे नमाज़ पढ़ना ख़्वाह मख़्वाह लाज़िम कोई नहीं कहता, ह़दीस में लफ़्ज़ "کل" का है, जिस के मा'ना येह ठहरेंगे तमाम नेकों, बदों के पीछे नमाज़ अदा करना हर शख़्स पर वाजिब है। येह वाजिब न किसी से अदा हुवा, न कभी किसी से अदा हो सके। इस की उ़म्र इसी के लिये किफ़ायत न करेगी कि दुन्या के जितने भी नेक व बद हैं कम अज़ कम एक एक बार सब के पीछे नमाज़ पढ़े, अलबत्ता अगर कलाम सुल्त़ान

(1)....سنن الدار قطني، كتاب العيدين، باب:صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، ج ٢، ص ٧٠، رقم الحديث: ١٧٥٠، نشر السنة، ملتان، باكستان

व नाइबाने सुल्तान में मख़्सूस किया जाए जैसा कि बयान कर चुका हूं तो दफ़्ए ज़रर के लिये वुजूब ज़रूर है या'नी तमीज़े नेक व बद कर के आप अपने को हलाकत में न डालो, उ़लमा इस ह़दीस से येह मत़लब साबित करते हैं कि फ़ासिक़ के पीछे नमाज़ हो जाती है, या'नी फ़र्ज़ उतर जाता है और साथ ही तसरीह़ फ़रमा देते हैं कि मकरूह है, आ़म्मए कुतुबे फ़िक़्हिय्या में येह इस्तिदलाल इमाम मालिक के मुक़ाबिल है कि इन के मज़्हब में फ़ासिक़ के पीछे नमाज़ होती ही नहीं, और भी एक रिवायत इमाम अह़मद से है। देखो

غنيه شرح منيه" "مرقات شرح مشكوة(1)" "إرشاد السّاري شرح صحيح بخاري"

और कुतुबे अ़क़ाइद में येह इस्तिदलाल रवाफ़िज़ व ख़वारिज के मुक़ाबिल है कि राफ़िज़ियों के नज़्दीक इमामे मा'सूम शर्त़ है और ख़ारिजियों के यहां हर फ़ासिक़ काफ़िर है और येह इस्तिदलाल ज़रूर सह़ीह़ है, ग़ैर मुक़ल्लिदीन इन मक़ासिदे उ़लमा को पसे पुश्त डाल कर येह मत़लब निकालना चाहते हैं कि ग़ैर मुक़ल्लिद अगर्चे फ़ासिक़ व बिदअ़ती हैं मगर तुम पर लाज़िम है कि ख़्वाही न ख़्वाही इन के पीछे नमाज़ पढ़ो। येह मत़लब हरगिज़ ह़दीस का है, न उ़लमा का बल्कि इन की तसरीह़ात के साफ़ ख़िलाफ़ है।

सुवाल नम्बर 122 : अम्र के ह़क़ीक़ी मा'ना वुजूब हैं या नहीं। जब अफ़सरो ह़ाकिम अपने मातह़तों को किसी बात की ता'मील का हुक्म दें तो इस हुक्म से इस बात का वाजिब और ज़रूरी होना समझा जाता है या नहीं ?

जवाब : हां ! हमारे नज़्दीक ह़क़ीक़त, वुजूब है और मह़ल और मौक़अ़ से मुख़्तलिफ़ मा'ना समझते हैं।

(1)....مرقاة شرح المشكاة، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٣، ص ٢٠١ رقم الحديث:١١٢٥، دار الفكر، بيروت

सुवाल नम्बर 123 : "नूरुल अन्वार" को आप जानते हैं या नहीं ? किताब आप की है या नहीं ?

जवाब : हां ! है । बदस्तूर नम्बर 25

सुवाल नम्बर 124 : "नूरुल अन्वार" में इबारते ज़ैल दर्ज है या नहीं ? عندنا الوجوب حقيقة الأمرلا يكون إلّا للوجوب या'नी "हमारे यहां मा'ना ह़नफ़ी मज़्हब में वुजूब ही अम्र के ह़क़ीक़ी मा'ना हैं और अम्र, वुजूब ही के लिये होता है ।"

जवाब : नीचे की किताबें देखने का मुज़्हिर को कम इत्तिफ़ाक़ होता है, येह इबारत इस में हो न हो मगर मस्अला वोह है जो मैं ने अभी बयान किया ।

सुवाल नम्बर 125 : लफ़्ज़ के जो ह़क़ीक़ी मा'ना हों उस ह़क़ीक़ी मा'ना को छोड़ कर इस के **मजाज़ी मा'ना**(1) लेना किस ह़ालत में जाइज़ है और किस ह़ालत में नहीं ?

जवाब : जब ह़क़ीक़त **मुतअ़ज़्ज़िर**(2) **या महजूर**(3) हो तो बिल इत्तिफ़ाक़, और मग़्लूब हो तो साह़िबैन के नज़्दीक मा'ना मजाज़ी लिये जाएंगे, वरना नहीं ।

सुवाल नम्बर 126 : "नूरुल अन्वार" जिस का बयान नम्बर 123 में हो चुका है, इस किताब में इबारते ज़ैल दर्ज है या नहीं ?

---

(1).....जिस लफ़्ज़ के लिये मा'ना वज़अ़ किया जाए अगर उसी लफ़्ज़ के लिये इस्ति'माल हो रहा है तो उसे "**ह़क़ीक़ी मा'ना**" कहते हैं और अगर इस से हट कर किसी दूसरे लफ़्ज़ के लिये इस्ति'माल हो तो उसे "**मजाज़ी मा'ना**" मुराद लेना कहेंगे । (2).....मुश्किल (3).....छोड़ी जा चुकी हो या तर्क कर दी गई हो ।

مادام أمكن العمل بالمعنٰى الحقيقي يسقط المجازي या'नी "जब तक ह़क़ीक़ी मा'ना पर अ़मल हो सकता है मजाज़ी मा'ना साक़ितुल ए'तिबार हैं।"

जवाब : येह मस्अला तमाम कुतुबे उसूल में इसी तफ़्सील के साथ है जो मैं ने बयान की और "**नूरुल अन्वार**" में भी इसी तफ़्सील से होगा।

सुवाल नम्बर 127 : अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है : ﴿وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ﴾(1) या'नी "रुकूअ़ करने वालों के साथ रुकूअ़ करो।" या'नी "नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ने वालों के साथ।" येह अम्र है या नहीं, और इस आयत में नेक व बद की क़ैद है या नहीं ?

जवाब : येह अम्र भी वुजूब के वासित़े नहीं है और "راكعين" से मुराद सह़ाबा हैं (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُم) देखो "**तफ़्सीरे जलालैन**"(2) वग़ैरा, और सह़ाबा सब के सब नेक थे और आयत से जमाअ़त के सुबूत में कलाम है। देखो "**मुआ़लिम**"(3) वग़ैरा।

सुवाल नम्बर 128 : अल्लाह व रसूल جَلَّ جَلَالُہٗ وَ صلَّی اللہ تعالٰی علیہ والہٖ وسلَّم के कलाम में भी ऐसी बात का अम्र होता है या नहीं जो मकरूह या ह़राम हो, अगर होता है तो इस की कोई मिसाल बयान फ़रमाइये, मगर जो मिसाल बयान फ़रमाइये, वोह ऐसी मिसाल हो जो वाक़ेई अम्र हो, न सिर्फ़ सूरते अम्र ?

जवाब : जो बात अस्ल में ह़राम या मकरूह हो और बह़ाले ज़रूरत उस की इजाज़त फ़रमाई जाए, तो कभी वोह रुख़्सत

---

(1)....پ۱، البقرۃ:۴۳

(2)....تفسیر جلالین، پ ۱، البقرۃ:۴۳، ص۹، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی

(3)....تفسير البغوي المسمّى "معالم التنزيل"، پ ۱، البقرة:۴۳، ج ۱، ص۳۷، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

बसीग़ए अम्र आती है, जैसे فان عاد و اقعد और कभी वुजूब तक भी होती है, जैसे मख़्मसा में ह़राम चीज़ سد رمو यहां तक कि न खाते और मर जाते तो ह़राम मौत मरे। देखो "**रद्दुल मुह़तार**"[1] वग़ैरा।

सुवाल नम्बर 129 : "शर्हे अ़क़ाइदे नस्फ़ी" जिस का बयान, नम्बर 49 में हो चुका है, इस में इ़बारते ज़ैल दर्ज है या नहीं ?

ولأن علماء الأمة كانوا يصلّون خلف الفسقة وأهل الأهواء و البدع

या'नी "उ़लमाए उम्मत, सारे के सारे फ़ासिक़ों और बिदअ़तियों के पीछे नमाज़ पढ़ते थे।"

जवाब : "**शर्हे अ़क़ाइद**" में येह इ़बारत इस त़रह़ नहीं, बल्कि मुझ को यक़ीनन याद है कि इस के साथ फ़रमा दिया है कि फ़ासिक़ और बिदअ़ती के पीछे नमाज़ मकरूह होने में किसी को कलाम नहीं, और येह कि फ़िस्क़ और बिदअ़त ह़द्दे कुफ़्र तक पहुंची हो तो बिल्कुल **बात़िल** है।[2]

सुवाल नम्बर 130 : उ़लमाए उम्मत जो फ़ासिक़ों और बिदअ़तियों के पीछे नमाज़ पढ़ते थे, उन का येह फ़े'ल मकरूह या ह़राम था, या नहीं ?

जवाब : "**शर्हे अ़क़ाइद**" से नक़्ल कर दिया गया कि फ़ासिक़ और बिदअ़ती के पीछे नमाज़ मकरूह होने में किसी को कलाम नहीं, तो यक़ीनन येह उ़लमा भी इसे मकरूह जानते मगर सल्त़नत की मजबूरी से पढ़ते। मजबूरी में ममनूअ़ तक की रुख़्सत मिल जाती है, इस तफ़्सील पर कि "**हिदाया**"[3] और "**दुर्रे मुख़्तार**" में है।

---

(1)..... رد المحتار،

(2).....شرح العقائد النّسفي،مبحث تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجز،ص ١٢١،قديمى كتب خانه، كراچى

(3).....الهداية،كتاب الصلاة،باب الإمامة،ج ١،ص٥٧،دار إحياء التراث العربي،بيروت،لبنان

सुवाल नम्बर 131 : "शर्हे अ़क़ाइद" के "ह़ाशियए जलाल" में इबारते ज़ैल दर्ज है या नहीं ?

قولهٗ خلف كل بر وفاجر إشارة إلى أنهما سواء في الإمامة

या'नी "येह जो फ़रमाया है कि नेक व बद के पीछे, इशारा इस बात की त़रफ़ है कि नेक व बद दोनों इमाम होने में मसावी हैं।

जवाब : "शर्हे अक़ाइद" मेरी देखी हुई है और "शर्हे अ़क़ाइद नस्फ़ी" के साथ सत्तर (70) शुरूह़ व ह़वाशी मैं ने देखे और इन में कोई "**ह़ाशियए जलाल**" **नहीं**[1] हां हिन्दी छापे में ज़ैद व अम्र, किताब पर ह़ाशिया चढ़ा देते हैं, उन में कोई हो तो मुझे मा'लूम नहीं, न वोह क़ाबिले इल्तिफ़ात, न आ़लम में कोई आ़लिम इस का क़ाइल कि इमामत के लिये नेक व बद सब बराबर हैं। हां ! फ़र्ज़ उतर जाने में कहो तो एक बात है जब कि बदी ह़द्दे कुफ़्र तक न हो।

सुवाल नम्बर 132 : इबारते ज़ैल "**सह़ीह़ बुख़ारी**" में दर्ज है या नहीं ? قال الحسن: صل (خلفه) وعليه بدعته[2] या'नी "ह़ज़रते ह़सन बसरी رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَیْه ने फ़रमाया : कि तू मुबतदेअ़ के पीछे नमाज़ पढ़ ले और मुबतदेअ़ की बिदअ़त का वबाल ख़ुद उस पर है।"

जवाब : येह क़ौल बे सनद "**बुख़ारी**" में है और जहां तक मुझे याद है यहां "**बुख़ारी**" ने जो ह़दीसे नबी صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

---

(1).....कुतुबे अ़क़ाइद में से किसी किताब पर भी ह़ाशियए जलाल नहीं अलबत्ता मन्तिक़ के मौज़ूअ़ पर एक निहायत अहम ह़ाशियए मुल्ला जलाल, के नाम से बाज़ार में आ़म दस्तयाब है।

(2)....صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إمامة المفتون المبتدع، ج ١، ص ٢٥٠، رقم الحديث:٦٩٥، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

मअ् सनद बयान की, इस से साफ़ वोही मत्लब खुलता है कि येह उस वक्त है कि जब फ़ासिक़ व मुबतदेअ् बादशाह हो या उस की त़रफ़ से ह़ाकिम हुवा हो। "**बुख़ारी**" ने येह भी नक़्ल किया है कि ऐसा सिर्फ़ ज़रूरत और नाचारी में है।

सुवाल नम्बर 133 : अ़ब्दुल्लाह बिन अ़दी رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ ह़ज़रते उ़स्मान बिन अ़फ़्फ़ान رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ के पास इस ह़ालत में गए कि वोह घिरे हुवे थे, या'नी जब कि ह़ज़रते उ़स्मान को बलवाइयों ने घेर रखा था, अ़ब्दुल्लाह बिन अ़दी ने जा कर ह़ज़रते उ़स्मान से कहा कि आप देख रहे हैं और हम को इमामे फ़ितना नमाज़ पढ़ा रहा है और हम डरते हैं कि कहीं इस की वजह से गुनाह में न पड़ जाएं, ह़ज़रते उ़स्मान ने फ़रमाया :

الصلاۃ أحسن ما یعمل الناس فاذا أحسن الناس فأحسن معهم و إذا أساءوا فاجتنب إساء تهم۔

या'नी "जो लोग, जो काम करते हैं उन में नमाज़ सब से अच्छा काम है। तो जब लोग अच्छा काम करें तो तुम भी उन के इस अच्छे काम में शरीक हो जाओ और जब बुरा काम करें तो तुम उन के इस बुरे काम में साथ न दो"

जवाब :..(1) का ज़िक्र फ़रमा दिया और इन लोगों की मजबूरी खुद ज़ाहिर है कि बलवाइयों के सरदार ने इमामे बरह़क़ को नज़र बन्द कर लिया और खुद इमामत करता था।

सुवाल नम्बर 134 : येह कोई शख़्स, किसी त़ौर से इमाम बन जाए और लोग इस के पीछे नमाज़ पढ़ें और येह अम्र कि किसी को अपने इख़्तियार से इमाम बनाएं, इन दोनों सूरतों का एक

(1).....हमारे पास मौजूद नुस्ख़ों में यहां इसी त़रह है।

हुक्म है कि दोनों अम्र मकरूह हैं या दोनों ग़ैर मकरूह या इन में से एक मकरूह है और दूसरा ग़ैर मकरूह और कौन मकरूह है और कौन ग़ैर मकरूह ?

जवाब : फ़ासिक़ व मुबतदेअ़ के पीछे नमाज़ पढ़ना एक गुनाह है और उसे इमाम बनाना, दूसरा गुनाह है, और किसी त़रह़ इमाम हो गया हो तो बिला मजबूरी उस के पीछे नमाज़ पढ़ना एक गुनाह है।

सुवाल नम्बर 135 : किताब "**तफ़्सीरे अह़मदी**" को आप मानते या नहीं ? और येह आप की किताब है या नहीं ?

जवाब : है। मुताबिक़ नम्बर 25

सुवाल नम्बर 136 : "**तफ़्सीरे अह़मदी**" में जो अहले सुन्नत वल जमाअ़त होने के लिये दस (10) बातें ज़रूरी लिखी हैं उन में ज़ैल की दो बातें येह भी हैं या नहीं ? الصّلوٰة على الجنازتين الصلاة خلف الامامين या'नी सालेह़ व फ़ासिक़, दोनों के जनाज़े की नमाज़ पढ़नी और सालेह़ व फ़ासिक़ दोनों के पीछे नमाज़ पढ़नी।

जवाब : येह मेरी याद में एक बे सनद ह़िकायत है[1] और इस से मुराद वोही राफ़िज़ियों, ख़ारिजियों का रद्द है जैसा कि मैं ने बयान किया।

......तम्मत बिल ख़ैर......

---

(1)..... التفسيرات الأحمديه،پ٨،الأنعام:١٥٣،ص٤٠٨، مكتبہ اكرميہ،محلّہ جنگی عقب قصّہ خوانی بازار، پشاور

و الله أعلم بالصواب و رسوله عليه السلام

ماخذ ومراجع

نمبر شمار	کتاب	مصنّف / مؤلّف	مطبوعہ
1	قرآن مجید	کلامِ باری تعالی	پاك کمپنی ،اردو بازار لاہور
2	کنزالایمان في ترجمة القرآن	اعلیحضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمة الرحمن	پاك کمپنی ،اردو بازار لاہور
3	خزائن العرفان في تفسیر القرآن	مفسِّر شہیر صدرالافاضل مولانا نعیم الدین مرادآبادی رحمة اللہ علیہ	پاك کمپنی ،اردو بازار لاہور
4	التفسیرات الأحمدیة	أحمد بن أبو سعید المعروف''مُلّا جیون''	مکتبۂ اکرمیة،پشاور
5	التفسیر الکبیر	علامہ فخرالدین الرازي رحمة اللہ تعالی علیہ	دارإحیاء التراث العربي،بیروت
6	تفسیر البغوي	الإمامأبو الحسین بن مسعود الفرّاء البغوي الشافعي	دارالکتب العلمیة،بیروت
7	تفسیر مظھری	قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمة اللہ تعالی علیہ	بلوچشتان بك ڈپو،کوئٹہ
8	الاتقان في علوم القرآن	علامہ جلال الدین السیوطي رحمة اللہ تعالی علیہ	سھیل اکیڈمی ،لاھور
9	تفسیر جلالین	علّامہ جلال الدین السیوطي رحمة اللہ تعالی علیہ	قدیمی کتب خنہ، کراچی
10	تفسیر نعیمی	مفتی احمد یار خان نعیمی رحمة اللہ تعالی علیہ	مکتبہ اسلامیہ،اردو بازار لاھور
11	صحیح البخاري	الإمام أبو عبد اللہ محمد بن إسماعیل البخاري رحمة اللّٰہ تعالی علیہ	دار الکتب العلمیة،بیروت
12	الصحیح لمسلم	الإمام أبو الحسین مسلم بن حجاج القشیري رحمة اللّٰہ تعالی علیہ	دار ابن حزم،بیروت
13	سنن الترمذي	الإمام أبو عیسٰی محمد بن عیسٰی الترمذي رحمة اللّٰہ تعالی علیہ	دارالفکر،بیروت
14	سنن أبيداؤد	الإمام أبو داؤد سلیمان بن أشعث رحمة اللّٰہ تعالی علیہ	دار إحیاء التراث العربي،بیروت
15	سنن ابن ماجة	الإمام أبو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجة	دارالمرفة،بیروت،لبنان
16	سنن نسائی	الإمامأبو عبد الرحمٰن أحمد بن شعیب النسائي	دارالجیل،بیروت
17	المؤطا للإمام مالك	الإمام مالك بن أنس أصبحي رحمة اللّٰہ تعالی علیہ	نور محمد کتب خانہ،کراچی
18	المسند للإمام أحمد	أحمد بن حنبل رحمةاللّٰہ تعالی علیہ	دارالفکر،بیروت
19	شرح معاني الآثار	الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحطاوي رحمة اللّٰہ تعالی علیہ	دارالکتب العلمیة،بیروت
20	مشکوة المصابیح	محمد بن عبد اللّٰہ الخطیب رحمة اللّٰہ تعالی علیہ	قدیمی کتب خانہ کراچی

نمبر شمار	کتاب	مصنف / مؤلف	مطبوعه
21	سنن دار قطني	الإمام علي بن عمر دار قطني	نشر السنة،ملتان
22	مجمع الزوائد	حافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمى	دار الفكر،بيروت
23	التحقيق في أحاديث الخلاف	علامه أبو الفرج عبدالرحمٰن بن علي الجوزي	دار الكتب العلمية،بيروت
24	كشف الخفاء	علامه اسمٰعيل بن محمد عجلونى جراحى	دار الكتب العلمية،بيروت
25	مرقاة شرح المشكاة	علامه ملا علي القاري رحمة الله تعالى عليه	دار الفكر ،بيروت
26	أشعة اللمعات	عبدالحق محدث الدہلوي رحمة الله تعالى عليه	كتب خانه مجدديه،ملتان
27	العلل المتناهية	علامه أبو الفرج عبد الرحمٰن بن علي الجوزي	مكتبة أثرية،فيصل آباد
28	كتاب الضعفاء	علامه أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي	دار الكتب العلمية،بيروت
29	فتاوٰى رضويه	إمامِ اہلسنّت احمد رضا خان عليه رحمة الرحمٰن	رضا فاؤنڈيشن،لاهور
30	بهارشريعت	صدرالشريعة امجد على اعظمى رحمة الله تعالى عليه	مكتبة رضويه ، كراچى
31	الأشباه و النظائر	علامه زين الدين ابن نجيم رحمة الله تعالى عليه	دار الكتب العلمية،بيروت
32	الدر المختار	علامه علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصكفي	دار المعرفة ،بيروت
33	رد المحتار	علامه سيد محمد أمين ابن عابدين الشامي	دار المعرفة ،بيروت
34	تقريرات الرافعي على حاشية ردالمحتار	شيخ عبد القادر الرفعي رحمة الله تعالى عليه	دار المعرفة ،بيروت
35	الهداية	علامه أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني	دارِإحياء التراث
36	حاشية الطحطاوى	علامه أحمد بن محمد الطحطاوي رحمة الله تعالى عليه	المكتبة العربية،كوئٹه
37	فتح القدير	علامه كمال الدين ابن همام رحمة الله تعالى عليه	مكتبهٔ رشيديه،سركى روڈ،كوئٹه
38	غمز العيون للحموي	سيد أحمد بن محمد حموى الحنفى رحمة الله تعالى عليه	إدارة القرآن،كراچى
39	الفتاوٰى العالمكيرية	جمعيت علماء اورنگزيب عالمگير	مكتبهٔ رشيدية،سركى روڈ،كوئٹه
40	غنية المستملي المشتهر بحلبي كبير	محمد إبراهيم بن محمد الحلبي	سهيل اكيڈمى،لاهور

نمبرشمار	کتاب	مصنف / مؤلف	مطبوعہ
41	الطحطاوي على مراقي الفلاح	علامہ أحمد بن الطحطاوي رحمۃ اللّٰہ تعالٰی علیہ	قدیمی کتب خانہ،کراچی
42	حجة اللّٰه البالغه	شاہ ولی اللّٰہ محدث الدہلوی	نور محمد کتب خانہ،کراچی
43	فتاوٰی بزازیہ	علامہ محمد شہاب الدین بن بزاز الکردری	مکتبۂ رشیدیہ،سرکی روڈ کوئٹہ
44	فتاوٰی الحرمین برجف ندوۃالمین	امام اہلسنت اعلیحضرت احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن	رضا اکیڈمی ،بمبئی
45	تلخیص أصول الشاشي	مولانا محمد صدّیق ہزاروي دامت برکاتہم العالیہ	مکتبہ اسلامیہ سعیدیہ،مانسہرہ
46	رسائل ضیائیہ حصہ اول	ڈاکٹر مفتی محمد أبو بکر صدیق عطاری مدظلہ العالی	صدیقی پبلشرز، کراچی
47	التوضیح والتلویح	علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی	میر محمد کتب خنہ،کراچی
48	کشف الأسرار عن أصول البزدوي	إمام عبدالعزیز البخاري رحمۃ اللّٰہ تعالٰی علیہ	دارالکتب العلمیۃ،بیروت
49	شرح عقائد النسفي	علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازاني	نور محمد کتب خنہ،کراچی
50	شرح المواقف	میر سید شریف علی بن محمد الجرجاني	دارالکتب العلمیۃ،بیروت
51	الفضل الموہبی	امام اہلسنت اعلیحضرت احمدرضاخان علیہ رحمۃ الرحمٰن	صدیقی پبلشرز،کراچی
52	اعتقاد الأحباب في الجمیل	أعلیحضرت احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن	فرید بک سٹال،لاہور
53	عقائدِ حقّہ اہلسنت	أعلیحضرت احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن	رضا اکیڈمی بمبئی
54	جاء الحق	مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃاللّٰہ تعالٰی علیہ	ضیآء القرآن،لاہور
55	شفاء شریف	قاضی عیاض بن موسٰی المالکي رحمۃ اللّٰہ تعالٰی علیہ	عبدالتّواب اکیڈمي،لاہور
56	الحدیقۃ الندیۃ	علامہ عبد الغني نابلسي رحمۃ اللّٰہ علیہ	دارالطباعۃ ، عامرۃ ، مصر
57	إحیاء علوم الدین	حجۃ الإسلام حضرت امام غزالي علیہ رحمۃ الوالي	دارِصادر،بیروت
58	تاریخِ نجد وحجاز	مفتی عبد القیّوم قادری رحمۃ اللّٰہ تعالٰی علیہ	ضیاء القرآن پبلیشرز،لاہور
59	برطانوی مظالم کی کہانی	عبد الحکیم خان اختر شاہجہانپوری علیہ الرحمۃ	جنرل پرنٹرز،لاہور
60	إیضاح الحق	اسماعیل دہلوی	
61	تقویۃ الایمان	اسماعیل دہلوی	شمع بک ایجنسی لاہور

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

सुन्नत की बहारें

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ तबलीग़े कुरआनो सुन्नत की आलमगीर ग़ैर सियासी तह़रीक **दा'वते इस्लामी** के महके महके **मदनी माह़ोल** में ब कसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं। हर जुमा'रात इशा की नमाज़ के बा'द आप के शहर में होने वाले **दा'वते इस्लामी** के हफ़्तावार **सुन्नतों भरे इजतिमाअ़** में रिज़ाए इलाही के लिये **अच्छी अच्छी निय्यतों** के साथ सारी रात गुज़ारने की मदनी इलतिजा है। आ़शिक़ाने रसूल के **मदनी क़ाफ़िलों** में ब निय्यते सवाब सुन्नतों की तरबिय्यत के लिये सफ़र और रोज़ाना फ़िक्रे मदीना के ज़रीए **मदनी इन्आ़मात** का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह के इबतिदाई दस दिन के अन्दर अन्दर अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्अ़ करवाने का मा'मूल बना लीजिये। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ इस की बरकत से **पाबन्दे सुन्नत** बनने, **गुनाहों से नफ़रत** करने और **ईमान की ह़िफ़ाज़त** के लिये कुढ़ने का ज़ेह़न बनेगा।

हर इस्लामी भाई अपना येह ज़ेह़न बनाए कि मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश करनी है। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ अपनी इस्लाह़ की कोशिश के लिये **मदनी इन्आ़मात** पर अ़मल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश के लिये **मदनी क़ाफ़िलों** में सफ़र करना है। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ







-: मक्तबतुल मदीना की शाख़ें :-

... अह़मदाबाद :- फ़ैज़ाने मदीना, तीकोनी बाग़ीचे के सामने, मिरज़ापूर, अह़मदाबाद-1, फ़ोन : 9327168200
... मुम्बई :- 19 - 20, मुह़म्मद अ़ली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफ़िस के सामने, मुम्बई, फ़ोन : 022-23454429
... नागपूर :- सैफ़ी नगर रोड़, ग़रीब नवाज़ मस्जिद के सामने, मोमिन पूरा, नागपूर फ़ोन : 9326310099
... अजमेर :- 19 / 216 फ़लाहे दारैन मस्जिद के क़रीब, नला बाज़ार, स्टेशन रोड, फ़ोन : (0145) 2629385
... हुबली :- A.J मुधल कोम्पलेक्स, A.J मुधल रोड, ओल्ड हुबली, कर्नाटक - फ़ोन : 08363244860
... हैदराबाद :- मक्तबतुल मदीना, मुग़ल पूरा, पानी की टंकी, हैदराबाद, फ़ोन : (040) 2 45 72 786
... बनारस :- अल्लू की मस्जिद के पास, अम्बाशाह की तकया, मदनपूरा, बनारस, फ़ोन : 09369023101

MAKTABATUL MADINA
421, URDU MARKET, MATYA MAHAL, JAMA MASJID
DELHI - 110006, PH : 011-23284560
email : maktabadelhi@gmail.com
web : www.dawateislami.net

ISBN 978-969-579-847-8
0101167

MC 1286